खण्ड-299, अंक-8
शुक्रवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1894
(4 अगस्त, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1057–1061
प्रश्नोत्तर	1062–1108
स्वतंत्रता की रजत जयन्ती पर दलों के नेताओं को भाषण देने के अवसर की मांग	1108
'अविश्वास प्रस्ताव' पर श्री चरण सिंह द्वारा कही गई बातों के सम्बन्ध में श्री चन्द्र भानु गुप्त का वैयक्तिक स्पष्टीकरण	1109–1122
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि-व्यवस्था (नवम् संशोधन) नियमावली, 1972 (सदन के पटल पर रक्खी गई)	1122
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण–पत्र 1970–71 (सदन के पटल पर रखा गया)	1123
उत्तर प्रदेश उच्च-न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1123
उत्तर प्रदेश (1965–66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1123
प्रतिनिहित विधायन समिति का सोलहवां प्रतिवेतन (प्रस्तुत किया गया) ..	1123–1124
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	1124
भूमि भवन कर से सम्बन्धित मुख्य मंत्री की कथित घोषणा के विषय में औचित्य का प्रश्न	1124–1125
श्री गंगासिंह यादव सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई दल परिवर्तन की सूचना	1125
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	1126
उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	1126–1174
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1174
उत्तर प्रदेश में अनावृष्टि तथा सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य	1174
नत्थियां	1175–1201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार 4 अगस्त, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—406

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
श्री अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण मगन सिंह श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव,' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री

डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन, विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह कुंवर,
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीन सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पारस नाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण गुप्ता, डाक्टर

प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा,
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (श्री जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, (श्री जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद , श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद , श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल सन्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री

शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उफ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर , डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धूसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 4 अगस्त, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिला चिकित्सालय में बच्चों की मृत्यु

**1—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को विदित है कि जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में 3 बच्चों की मृत्यु दिनांक 30 अप्रैल, 1972 को गलत उपचार एवं डाक्टरों तथा नर्सों की लापरवाही के कारण हो गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

30 अप्रैल, 1972 को जिला अस्पताल, फैजाबाद में तीन बच्चों की मृत्यु का कारण दिमागी तपेदिक, समर डाइरियां (Summer diarrhcea) तथा बुखार था। भर्ती के समय ही इन बच्चों की, जिनकी आयु 1 से 2 वर्ष के अन्दर थी हालत बहुत गम्भीर एवं चिंता-जनक थी। इन बच्चों का उपचार सही ढंग से हुआ है और डाक्टरों तथा नर्सों ने इलाज में कोई लापरवाही नहीं की। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बातने की कृपा करेंगे कि वे कौन से डाक्टर थे जिनके इलाज में ये बच्चे थे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

डाक्टर के० एन० चन्द्रा, बाल रोग विशेषज्ञ थे जो जिला अस्पताल, फैजाबाद में पोस्टेड हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि फैजाबाद जिला अस्पताल में चाइल्ड सपेशलिस्ट डा० अन्सारी हैं जिन्होंने इंगलैंड से योग्यता प्राप्त की है तो जब वे उस अस्पताल में थे तो इन बच्चों का इलाज इनसे क्यों नहीं कराया गया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

डाक्टर के० एन० चन्द्रा भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं और जिला अस्पताल में ही तनात हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने ही इलाज किया है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि डाक्टर अन्सारी योग्यता में उनसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं लेकिन वहां के सिविल सर्जन ने उनको इन बच्चों का इलाज न देकर डा० के० एन० चन्द्रा को दिया जो अयोग्य डाक्टर हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी डाक्टर ने ही बताया होगा कि मैं ज्यादा योग्य हूं। डाक्टर के० एन० चन्द्रा भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनकी क्वालिफिकेशन भी बच्चों के इलाज के लिये पर्याप्त हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

डाक्टर अन्सारी चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोर्स करके इंगलैंड से आये हैं और डाक्टर चन्द्रा ने रिफ्रेशर कोर्स ही किया है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे डाक्टर अन्सारी को टी० बी० क्लीनिक में पोस्ट कर दिया गया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

श्रीमन्, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कहां उनको पोस्ट किया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या आपने इस मामले में जांच करायी थी कि ये बच्चे क्यों मरे या केवल जो रिपोर्ट आयी है, उसी के आधार पर यह सूचना दी जा रही है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां, सिविल सर्जन से जांच करायी गयी और उनकी रिपोर्ट आ गयी है। अगर आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन डाक्टर की देख-रेख में बच्चों की चिकित्सा की गयी थी वे कितने दिनों से जिला अस्पताल, फैजाबाद में काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि श्री चन्द्रा का स्थानान्तरण गोरखपुर को कर दिया गया था और फिर आठ दिन में ही उनको फिर वापिस फैजाबाद में ही नियुक्त कर दिया गया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

वैसे तो यह प्रश्न बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में किया गया था—डाक्टरों के स्थानान्तरण कहां से कहां किये गये थे इसकी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री राम विलास पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, डा० चन्द्रा की स्त्री कांग्रेस आर० की महिला संयोजिका हैं और यही कारण है कि ट्रांसफर करके भी उनको रोका गया और चार्ज लेने के बाद भी ऐसा किया गया ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

श्रीमन्, किसी व्यक्ति को इसलिये तो नहीं रोका जा सकता कि किसी पार्टी में उसका कोई रिश्तेदार है। लेकिन यह अवश्य है इसकी जानकारी करा दी जायेगी कि किस कारण से उन्हें रोका गया है। और भी कई कारण हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनका किसी दल में रिश्तेदार होने के कारण उन्हें रक्खा गया है।

श्री राम विलास पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि उनकी स्त्री कांग्रेस आर० की महिला संयोजिका हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वह डाक्टर का तो सवाल है नहीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि डा० चन्द्रा का स्थानान्तरण गोरखपुर को कर दिया गया था ? जब उन्होंने वहां चार्ज ले लिया और टी० ए०, डी० ए० आदि सब ले लिये तो तो आठ दिन में ही उनको क्यों वापिस किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, इसकी जानकारी प्राप्त की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

यह जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है कब इनको अस्पताल में दाखिल किया गया है और कब इनकी मृत्यु हुई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इनकी तारीखें भिन्न-भिन्न हैं। प्रथम बच्चा 27 अप्रैल, 1972 को 2.30 बजे में दाखिल किया गया था और जैसा कि उत्तर में बताया गया है 30 अप्रैल को उसकी मृत्यु हुई थी। दूसरा बच्चा 25 अप्रैल, 1972 को दो बजे अपराह्न अस्पताल में दाखिल किया गया था और जैसा कि उत्तर में बताया गया 30 अप्रैल, 1972 को उसकी मृत्यु हुई थी। तीसरा बच्चा 29 अप्रैल, 1972 को शाम के छः बजे भर्ती किया गया है और 30 अप्रैल को उसकी मृत्यु हुई।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर के माननीय राज्य मंत्री ने बताया था कि डा० चन्द्रा तथा अन्य दो तीन डाक्टर उसी जिले के निवासी हैं। उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया था। क्या इसको बताने की कृपा करेंगे कि उनका स्थानान्तरण कर दिये जाने के बाद भी क्यों रोक लिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जायेगी कि क्यों उनके स्थानान्तरण रोक गये ?

श्री विश्वनाथ कपूर—

एक बच्चा 25 तारीख को भरती हुआ। दूसरा 27 तारीख को हुआ। मेरी सूचना सही मानकर कि उनका उपचार सही नहीं हुआ, बच्चे गलत उपचार के कारण मर गये और सिविल सर्जन ने प्रभाव में आकर क्योंकि डा० चन्द्रा की स्त्री कांग्रेस आर० की महिला संयोजिका है, गलत रिपोर्ट दे दी है। क्या इसकी जांच दोबारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, सिविल सर्जन किसी दबाव में कभी गलत रिपोर्ट नहीं देता। जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ये बच्चे जिस समय अस्पताल में दाखिल हुए थे, उनकी हालत बहुत गम्भीर थी। जहां तक इस बात का प्रश्न है सिविल सर्जन ने कोई गलत सूचना दी है, हम उसकी फिर से जानकारी करवायेंगे।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि उस अवधि में जिसमें यह बच्चे भर्ती हुए थे और उनकी मृत्यु हुई थी, तो क्या सिविल सर्जन ने इन बच्चों का निरीक्षण अपनी डेली विजिट में किया और क्या उनकी हालत संतोषपद पाई या असंतोषप्रद ? अगर असंतोषप्रद पाई तो कोई कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

नियम के अनुसार सिविल सर्जन डेली विजिट नहीं करते हैं तथा इन बच्चों को देखा भी होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर सिविल सर्जन ने कोई गलत रिपोर्ट दी है, तो फिर से जांच करवाऊंगा, तो क्या मंत्री जी उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे या उसे पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, सिविल सर्जन ने केवल यह सूचना दी है कि जिस वक्त बच्चे अस्पताल में दाखिल किये गये थे, इनकी हालत गम्भीर थी तथा चिन्ताजनक थी। माननीय सदस्य और किस चीज की जानकारी करना चाहते हैं ?

दानपुर (बुलन्दशहर) के बी० डी० ओ० का निलम्बन

**2—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के जिलाधिकारी ने गत ग्राम सभा चुनाव में जो धांधलियां हुई थीं उसमें दानपर ब्लाक क बी0 डी0 ओ0 को सस्पेन्ड करने की संस्तुति की है जो सरकार को जून व जुलाई, 1972 माह में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सामुदायिक विकास उप मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

जिलाधीश बुलन्दशहर का पत्र दिनांक 19-7-72 को प्राप्त हुआ। खण्ड विका अधिकारी दानपुर को निलम्बित करने के आदेश आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 2-8-72 को जारी कर दिये गये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मान्यवर, जिला अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है, तो क्या माननीय मंत्री जी उसको बतलायेंगे कि उन्होंने क्या-क्या बी० डी० ओ० की धांधली के खिलाफ कहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में बतला दें।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, उन्होंने यही लिखा है कि श्री गोविन्द सिंह, खण्ड विकास अधिकारी ने निर्वाचन अधिकारी के साथ ऐसा गलत काम किया जिससे निर्वाचन की मान्यताओं को आघात पहुंचा है अतः मैं संस्तुति करता हूं कि श्री गोविन्द सिंह को तुरन्त निलम्बित करने की कृपा की जाय।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द सिंह के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे, उसमें से कौन सिद्ध पाये गये ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

इसकी जांच तोए० डी० एम० पी० बुलन्दशहर कर रहे हैं। लेकिन जो प्रारम्भिक जांच हुई है सहायक नियोजन अधिकारी के द्वारा उससे मालूम होता है कि गांव सभा चौकी के चुनाव में बी० डी० ओ० ने 16 मत पत्रों को गलत तरीके से इनवैलिड कर दिया और जिस व्यक्ति को उस वक्त ग्राम सभा का प्रधान चुना जाना चाहिये था, उसकी जगह दूसरे का चुनाव घोषित कर दिया।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि यह बी० डी० ओ० गलत ढंग से बिजली इस्तेमाल कर रहा है, इसके घर से तार भी बरामद हुआ है, और चुनाव में भ्रष्ट अधिकारी होने के नाते इसने गलत हथकंडे भी इस्तेमाल किये, तो क्या इसको तुरन्त डिसमिस करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, प्रारम्भिक कार्यवाही तो इनको निलम्बित कर दिया गया है। यह पहला कदम है। जहां तक बिजली की चोरी का सवाल है, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सूचित किया है कि इन्होंने कुछ चोरी की है, तार की भी चोरी की है और बगैर लाइसेंस के बिजली ली गई है। यह मामला डिबाई के थाने में दर्ज हो गया है और इसमें पुलिस की जांच चल रही है। जब जांच पूरी हो जायेगी तो जो उचित होगा तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी इनके खिलाफ जो मोटे-मोटे आरोपों के प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं, उनके बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि आरोप तो एक ही था कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ग्राम प्रधान घोषित कर दिया कि जिसको सहायक इलेक्शन अफसर की गणना के अनुसार नहीं होना चाहिये था। इस संबंध में जब जांच होगी वह क्यों किया गया, क्या कोई करप्ट प्रेक्टिस अपनायी गयी ? या कुछ लेनदेन हुआ, तो अगली कार्यवाही की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे यह प्रत्यक्ष रूप से साबित हो गया कि एक ऐसा उम्मीवार चुना गया जो कि नहीं चुना जाना चाहिये था, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की ? निर्वाचन इनवैलिड करार किया या दुबारा कराने की आज्ञा दी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जो शिकायत आई है, जैसा कि अभी सदन को बता दिया गया, जांच जारी कर दी गयी है और फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जांच की क्या रिपोर्ट आती है, अगली कार्यवाही उस पर आश्रित है।

बिक्री-कर कार्यालय के कर्मचारियों की मांगें एवं हड़ताल

** 3—श्री रामगोपाल सन्ड—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के बिक्री-कर कार्यालय के समस्त कर्मचारी अपनी न्योचित मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 26 जुलाई, 1972 से हड़ताल पर चले गये हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

वित्त, राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

जी हां, सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के बिक्री-कर कार्यालयों में से कतिपय कार्यालयों में कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारी 26-7-1972 से हड़ताल पर थे परन्तु दिनांक 2-8-72 को

यू० पी० सेल्स टैक्स मिनिस्ट्रियल एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं शासन के बीच हुई वार्ता के फलस्वरूप कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है । इन कर्मचारियों की मांग निम्न प्रकार है :—

1—1 मई, 1972 के पश्चात् पारित ऐसे सभी आदेशों को जिनके द्वारा कर्मचारियों को सेवा से मुक्त किया गया है अथवा कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध उनका स्थानान्तरण किया गया है, वापस लिया जाय ।

2—तीन वर्ष से अधिक समय से किसी भी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को तत्काल स्थायी घोषित किया जाय ।

3—विभाग की सेवा नियमावली तत्काल घोषित की जाय ।

जहां तक पहली मांग का सम्बन्ध है सरकार 1 मई, 1972 के पश्चात सेवा मुक्त किये गये सभी कर्मचारियों को सेवा में उनके पुराने पदों पर बहाल करने के प्रश्न पर एक सप्ताह के अन्दर पुनर्विचार करेगी और कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेशों को वापस लेने के प्रश्न पर भी एक सप्ताह में शासन द्वारा सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

जहां तक दूसरी मांग का संबंध है तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुकूल स्थायी किया जायेगा ।

जहां तक तीसरी मांग का संबंध है कर्मचारियों की सेवा नियमावली 1 दिसम्बर, 1972 तक पूर्ण करा ली जावेगी ।

श्री राम गोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक हफ्ते के अन्दर कर्मचारियों को उनके पद पर बहाल कर दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सेवा से निकाल दिया गया था और क्या यह सही है कि उनकी एक साल से 12 साल तक की सेवायें थीं और वे यूनियन का काम कर रहे थे, इसलिये उन्हें निलम्बित किया गया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर ऐसे कर्मचारी उसमें केवल 5 हैं ।

श्री राम गोपाल संड—

इलाहाबाद में यह हड़ताल 22 तारीख को हुई थी और उनकी सहानुभूति में 26 तारीख को अन्य स्थानों पर हुई । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी प्रान्तीय यनियन से जो समझौता किया गया, उसमें क्या यह हड़ताल का पोरियड स्पेशल लीव के तौर पर ट्रीट करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, जो समझौता हुआ था उसमें अंतिम शर्त यह थी कि हड़ताल में किसी भी कचारी को किसी भी प्रकार दण्डित नहीं किया जायेगा तथा हड़ताल के पोरियड के लिये उन्हें सवेतन विशेष अवकाश प्रदान किया जायेगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन लोगों के लिए कोई सेवा नियमावली आपके यहां बनी है और बनी है तो लागू क्यों नहीं हुई ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

सेवा नियमावली तैयार की जा रही है और उनको आश्वासन दिया गया है कि 1 दिसम्बर, 1972 तक उसे घोषित किया जाएगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों में ऐसे कितने हैं जो तीन वर्ष से अधिक काम करने के बाद भी अस्थायीहैं और उनके स्थायी करने के बारे में क्या सरकार कोई आश्वासन देगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो तीन वर्ष से ऊपर कार्य कर चुके हैं, 303 है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उनको स्थायी करने के लिए क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने जवाब में कहा है कि तीन वर्ष या अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुकूल स्थायी किया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो बड़ी गोल भाषा है । साफ कर दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, उन सब की चरित्र पंजिका देखी जायगी और उनमें से कौन ऐसे हैं जो स्थायी करने के योग्य हैं, यह सब देखा जायगा ।

श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 302 कर्मचारी जो तीन वर्ष से ज्यादा समय से सेवारत हैं, उनको रेट्रास्पैक्टिव इफैक्ट से स्थायी करेंगे 1 नवम्बर 72 से ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

श्रीमन् प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर मंत्री जी ने कहा कि 302 कर्मचारी ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक कार्य कर चुके हैं और यह कहा कि सेवा नियमावली 1 नवम्बर 72 तक पूरी हो जायेंगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन 302 कर्मचारियों का स्थायीकरण रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट से करेंगे या 1 नवम्बर, 1972 से ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, सेवा नियमावली का स्थायीकरण से कोई संबंध नहीं है । मैंने कहा था कि 303 ऐसे कर्मचारी हैं जो अस्थायी है और तीन वर्ष से ऊपर कार्य कर चुके हैं । उनके स्थायीकरण के प्रश्न पर नियमानुकूल बिचार किया जायगा ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण थे जिसके कारण बिक्री कर कार्यालय में 15–20 वर्ष से कर्मचारी काम कर रहे हैं और अभी तक सेवा नियमावली नहीं बनी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, सेवा नियमावली बिक्री कर कार्यालय से शासन के पास 1954 में आ गयी थी, लेकिन इस बीच उस पर कई विभागों को विचार करना पड़ा, लोक सेवा आयोग को भी विचार

करना पड़ा इसमें काफी बिलम्ब हो गया। अब शासन ने यह तय किया है, एक कमेटी बना रहे हैं ताकि 1 दिसम्बर, 1972 तक सेवा नियमावली पूर्ण हो जाय।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इलाहाबाद में हड़ताल 22 जुलाई को हुई थी तो इलाहाबाद में जो सहायक बिक्री कर आयुक्त हैं क्या उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर हड़ताल शुरू की गयी थी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, ऐसी सूचना हमें नहीं है।

स्थगित लगान तथा सिंचाई बकाया की बसूली

**4--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार ने बिगत दो वर्षों का स्थगित लगान और सिंचाई की बकाया की वसूली का निर्देशन जारी किया है? यदि हां, तो क्यों ऐसा किया गया जब कि वर्तमान समय में राज्य में सूखा की स्थिति पैदा हो गई है ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

जी हां, शासन द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 1972 को पिछले वर्षों में दैवी आपदाओं के कारण स्थगित भू-राजस्व एवं सिंचाई शुल्क की बकाया धनराशिकी वसूली के संबंध में निदेश जारी किये गये। इन निर्देशों के अनुसार सिंचाई देयों की बकाया को दो किश्तों में तथा भू-राजस्व की सम्पूर्ण बकाया एक-मुश्त वसूल की जानी थी।

इसके बाद प्रदेश के 37 जिलों से सूखा की भयंकर स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर शासन द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1972 को उक्त 37 जिलों में शासन के अग्रिम आदेशों तक एकीकृत संग्रह योजना द्वारा वसूल किये जाने वाले समस्त देयों की वसूली स्थगित किये जाने के आदेश जारी किये गये। ऐसी ही सूचना शेष 17 जिलों से प्राप्त होने पर उन जिलों के संबंध में समस्त देयों की वसूली शासन के अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के निदेश, दिनांक 31 जुलाई, 1972 को जारी किये गये हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको जानकारी है कि 27 जुलाई, 1972 को जो आपने वसूली के आदेश प्रसारित किये उससे पहले से ही जिलाधिकारी इस स्थगित भू-राजस्व और सिंचाई राजस्व की वसूली कर रहे थे कि नहीं ?

राजस्व, संत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

जी हां, कर रहे थे और उनको करना भी चाहिए।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके आदेश 27 जुलाई को निश्चित हुए और 29 जुलाई को सूखे के कारण उनको स्थगित किया गया। क्या उनको जून के महीने में ही सूखे की स्थिति की जानकारी नहीं थी। 13 जून को ही मेरा प्रश्न था कि सूखे की स्थिति है और उस पर सरकार को कार्यवाही उसी समय से करनी चाहिए। 27 जुलाई को वसूली की जाये इसके आदेश यहां से प्रसारित किये गये कि वसूल किया जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलों से सूखे की स्थिति की जानकारी धीरे धीरे आती जा रही थी जैसे जैसे सूखे की स्थिति खराब होती गयी जिलों से इसकी सूचनायें आती गयीं तभी सरकार ने उस पर कार्यवाही की ।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, शासन के आदेश होने पर भी पश्चिमी जिलों में वसूली होती रहती है । क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि ऐसा न हो ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

आप मुझको किसी स्थान के बारे में ऐसा हुआ है इसकी जानकारी दें तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

राजस्व मंत्री जी के पास जिलों में सूखों की स्थिति की सूचना आई है । क्या वह यह भी बतायेंगे कि रुहेलखंड के किन-किन जिलों की सूचना आई है जहां पर स्थिति भयंकर हो गयी है । क्या वहां पर भी इन आदेशों को प्रसारित कर दिया गया है कि वसूली रोक दी जाय?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां, आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूखे की स्थिति के कारण जानवरों के चारे तथा मनुष्यों के भोजन की भीषण समस्या उत्पन्न हो जायेगी ? इसके ऊपर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

सूखे के बारे में क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं वह तो शाम को आयेगा जब इस पर चर्चा होगी । इस समय तो वसूली का प्रश्न था ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, आज शाम को ही इस पर बयान हो रहा है ।

एक सदस्य—

क्या सभी प्रकार के देयों को स्थगित करने के लिये आदेश प्रसारित किये गये हैं?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां, सभी प्रकार के देयों को रोका गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सरकार को किस तिथि से मालूम हुआ कि प्रदेश में सूखे की स्थिति है?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इसके लिये कोई एक दिन नहीं बताया जा सकता है । यह तो एक कन्टीन्युस प्रोसेस है । कई दिनों से यह मालूम हो रहा है । सरकार को विषम, विषमतर और विषमतम स्थिति कब और कहां हो रही है यह भी ज्ञात है।

श्री पारसनाथ सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले दो वर्षों की वसूली लगान एकत्रित हो गयी है, इस वर्ष भी सूखा पड़ गया है, इससे भी वसूली में कठिनाई पड़ेगी, 3 वर्षों का लगान एकत्रित होने जा रहा है तो क्या जो वसूली की प्रक्रिया अपनाने वाले हैं उसमें क्या यह प्रक्रिया अपनायेंगे कि 3 वर्ष का लगान एकत्रित वह दें ?

श्री अध्यक्ष—

आधा वसूल कर ले क्या?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

पर्वतीय क्षेत्र में रियायती मूल्य के लीसे का प्रोसिसिंग

*1—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योगों को विकसित करने के अभिप्राय से सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में अल्मोड़ा जिले में किन किन व्यक्तियों की विरोजा तारपीन तेल बनाने हेतु कितना कितना रियायती मूल्य में लीसा दिया गया ? क्या सरकार ने इस बात की भी जांच की है कि सरकार की रियायत का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों ने सभी लीसे का प्रोसिसिंग किया, यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योगों को विकसित करने के अभिप्राय से सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में अल्मोड़ा जिले में जिन जिन व्यक्तियों को विरोजा तारपीन तेल बनाने हेतु जितना जितना लीसा दिया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है ।

औद्योगिक यूनिटों का नाम		वर्ष 1970–71 में वन विभाग द्वारा दिये गये लीसे की मात्रा (क्विंटल में)	वर्ष 1971–72 में आवंटित किये गये लीसे में से अभी तक उठाये गये लीसे की मात्रा (क्विंटल में)
सर्वश्री			
1—शिव लीसा उद्योग शाला चाकूनी रानीखेत	..	932–96	376–10
2—चाकुला विकास क्षेत्र ग्राम स्वराज्य संघ, सोमेश्वर	..	745–96	300–05
3—लक्ष्मी विरोजा इण्डस्ट्रीज चिलई	..	746–00	169–64
4—महेन्द्र लाल साह, रानीखेत साह लीसा खगमरा	..	746–00	140–00
5—काश्मीरी लाल हिन्द लीसा उद्योग मजखाली	..	746–00	140–30
6—बिहारी लाल साह, कालिका रानीखेत	..	746–00	..
7—प्रकाश रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन कालिका	..	746–00	149–13
8—पर्वतीय ग्राम स्वराज्य मण्डल, जयन्ती	..	73–83	..

वर्ष 1970-71 में लीसा वर्ष 1969-70 में टिहरी और कुमाऊं वृत्त में नीलाम में बेंचे गये लीसे की औसत कीमत के आधार पर निश्चित की गयी दर रु० 197'95 प्रति क्विंटल पर दिया गया तथा उक्त दिये गये लीसे का सभी औद्योगिक इकाइयों ने सभी लीसे का विवरण (प्रोसेसिंग) किया ।

वर्ष 1971-72 में लीसा वर्ष 1970-71 में टिहरी तथा कुमायूं वृत्तों में नीलाम स बेंचे गये लीसे की औसत कीमत के आधार पर निश्चित की गयी दर रु० 220.46 प्रति क्विन्टल पर दिया गया । उक्त औद्योगिक यूनिटों ने अभी सभी लीसे का विवरण (प्रोसेसिंग) किया या नहीं यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि अभी लीसे की सप्लाई प्रगति में है और उक्त यूनिटों को लीसा उठाने के लिये 14-8-72 तक मियाद दी गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

लीसा का मामला श्रीमन्, रोज घपले में पड़ता है, रोज गड़बड़ होती है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा कि प्रश्न पूछा गया था, जिनको आप लीसा देते हैं, उद्योगों और फर्मों को—तो क्या कोई मशीन है फिजिकली वेरिफाई करने की कि वह बिरोजा बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

इसकी तो कोई मशीन हमारे पास , नहीं कि वहां पर जा कर दे ें कि लीसा बन रहा है या नहीं । जब वह लीसा लेते हैं तो बनाते जरूर होंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में वह जब लीसा एलाट करें उससे पहले कम से कम फिजिक्ल वेरिफिकेशन कर लिया करें कि कोई प्लांट है भी या नहीं और वास्तव में बिरोजा बनाते हैं या नहीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसी को रोकने के लिये तो जल्दी ही शासन यह प्रयास कर रहा है कि इस उद्योग को नेशनलाइज कर दिया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

नेशनलाइज तो आप लीसा को करेंगे, बिरोजा को तो नेशनलाइज करेंगे नहीं । तो क्या शासन के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जिसको आप लीसा दें उससे पहले यह जांच कर लें कि उसने कोई प्लांट भी लगा रखा है और वास्तव में वह बिरोजा बनाता भी है या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

लीसा के आवंटन के लिये दो मंडलीय कमेटियां बनी हुई हैं जिनके अध्यक्ष मंडलीय आयुक्त होते हैं । एक कमेटी गढ़वाल डिवीजन के लिये बनी हुई है और दूसरी कुमायूं डिवीजन के लिये और हर कमेटी में 4-4 स्थानीय एम०एल०ए० भी सम्मिलित है । तो उम्मीद यह की जाती है कि मंडल आयुक्त और उन एम 0एल 0एज 0 को पूरा-पूरा ज्ञान रहता है कि कौन कम्पनी काम कर रही है और कौन फैक है ।

श्री हरीसिंह विष्ट—

जो लीसा की कमेटी बनी है आयुक्त के स्तर पर उन्हें सरकार द्वारा कोई ऐसे आदेश हैं कि इन इन लोगों को इतना इतना लीसा दें ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि लीसा का एलाटमेंट करने के बजाय उसका नीलाम किया जाय ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

बहुत से सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि लीसा जिस परपज के लिये लिया जाता है उसमें उसका प्रयोग नहीं होता है । तो क्या सरकार उस आरोप की जांच के लिये कोई अफसर मुकर्रर करेगी जो इसकी जांच करे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

अगर कोई शिकायत हमें मिलेगी तो जांच करायी जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या यह सही है कि आपको शिकायत मिली है कि गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने जब मीटिंग बुलाई तो एम 0एल 0एज 0 के सामने यह कह दिया कि सरकार की तरफ से हमको यह आदेश है कि जिनको पिछले साल लीसा दिया गया था उनको दिया जाय ? अगर ऐसा है तो क्या सरकार के ऐसे निर्देश थे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

ऐसी शिकायत हमें जरूर मिली थी लेकिन सही बात यह है कि मंडल आयुक्त ने एक बहुत पुराना पत्र कोट कर दिया था । सरकार की नयी नीति ऐसी नहीं है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये सरकार ने कोई नीति बनायी है, तो वह नीति क्या है, उसका लक्ष्य क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं और किन किन योजनाओं के लिये इस नीति के आधार पर कार्य किया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह तो नीति सरकार की है कि पर्वतीय क्षेत्र में जितने उद्योग बढ़ सकें उनको बढ़ाने के लिये शासन हर प्रयास करता रहे ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

लीसे का जो आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं उससे आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जब सारी स्कीम बन कर तैयार हो जायेंगी तो वह सदन के समक्ष आयेगी ।

श्री इन्द्रमणि—

कब तक वह स्कीम पूरी हो कर आयेगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

बहुत शीघ्र ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या आप आयुक्तों को ऐसे आदेश देंगे कि वे आवंटन करने से पहले उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

ऐसे आदेश जरूर दे दिये जायेंगे ।

नैनीताल के रामनगर वन खन्ड में अग्निकांड

*2---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह मई, 1972 और जून, 1972 के माह में पच्छिमी वृत्त नैनीताल के रामनगर वन खण्ड के कुल कितने एकड़ वनों में आग लगी और उससे कितनी कीमती सम्पदा को नुकसान पहुंचा ? क्या इस अग्निकांड में कोई जांच हुई, यदि हां, तो कौन इसके दोषी पाये गये ?

श्री गुलाब सिंह---

मई तथा जून, 1972 के महीनों में पश्चिमी वृत्त नैनीताल के रामनगर वन खण्ड में कुल 110 अग्निकांड की घटनायें हुयीं जिनमें कुल 38,423.75 एकड़ वन क्षेत्र में आग लगी और उसमें अनुमानतः 27,538 रुपये कीमत की वन सम्पदा को नुकसान पहुंचा । इन समस्त अग्निकांडों की जांच हुयी । इनमें से केवल एक अग्निकाण्ड श्री देवीदत्त, पुत्र श्री प्रेम बल्लभ, ग्राम तलिया, पो0आ0 कोटाबाग, जिला नैनीताल दोषी पाये गये । शेष अग्निकांडों में अपराधियों का पता नहीं लग पाया ।

श्री इन्द्रलाल---

आपने उत्तर में बताया है कि 38,423 एकड़ में अग्निकाण्ड हुआ और नुकसान 27,538 रुपये का ही हुआ । यह नुकसान बहुत कम दिखाया गया है जब कि मेरी सूचना के अनुसार यह नुकसान करीब डेढ़ लाख रुपये का है । तो क्या गलत सूचना भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप उचित कार्यवाही करेंगे और इस नुकसान की जांच आप पुनः करायेंगे ? क्या इन आफिसरों को सस्पेंड करके विजिलेन्स द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

अधिकारियों ने जांच करने के बाद ही सूचना भेजी है । जंगल में जितने पेड़ होते हैं यह जरूरी नहीं है कि अग्निकांड में सभी पेड़ जल जायें । नीचे जमीन पर जो सूखे पेड़ होते हैं या घास-फूस आदि ही जलती है । लेकिन फिर भी माननीय सदस्य के कहने पर मैं इसकी फिर से जांच करवा लूंगा कि कितना नुकसान हुआ है ।

श्री इन्द्रलाल---

इसकी जांच बन विभाग के अधिकारियों से न करा कर क्या मंत्री जी किसी मैजिस्ट्रेट या सी0 आई0 डी0 द्वारा इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, मैं पहले विभाग द्वारा जांच करा लूं, और फिर आवश्यकता समझूंगा तो सी0 आई0 डी0 को भी दे दूंगा ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां जंगल में आग लगी थी, वे किन किन-पेड़ों के जंगल थे ? और क्या यह सही है कि वहां शाल और शीशम के बहुमूल्य पेड़ थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो इन्द्रलाल जी ने मांग रखी है कि जो उच्च अधिकारी हो, जो प्रान्तीय स्तर का हो उससे जांच कराएं, उनकी बात में वजन मालूम पड़ता है, तो क्या मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि वैसी जांच कराई जाएगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अभी मैंने कहा है कि इसकी जांच उच्चाधिकारियों से करा लूंगा। अभी तो वहां की जांच कंजरवेटर और डी0एफ0ओ0 ने की है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लागत किस ढंग से वर्कआउट की गई है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, अभीतक जो सूचना है, उसमें पेड़ों की सूचना नहीं है, केवल यह सूचना है कि सूखी घास और गिरे पेड़ जो पड़े थे, उनकी वजह से आग लगी है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसकी भी जांच करा लूंगा।

श्री इन्द्रलाल—

जिस डी0एफ0ओ0 के जंगल में आग लगी है, उसी से आप जांच करातें हैं, क्या यह सही नहीं है कि यही ऐसा डिवीजन था जहां आग लगी थी, और कहीं आग नहीं लगी है ? तो क्या यह सम्भव नहीं हो सकता है कि सम्बन्धित अधिकारी अपनी लापरवाही को छिपाने के लिये ऐसा किये हों ? जैसा कि अप्रैल महीने में ही उच्चाधिकारियों से जांच कराने की प्रार्थना की गई थी, उसकी रिपोर्ट सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अबकी गर्मी इतनी पड़ी है कि जंगलों में बहुत आग लगी है। यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ रामनगर में ही आग लगी हो।

श्री हीरासिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मैं मंत्री जी से यह पूछूंगा कि जिस डी0एफ0ओ0 के रेंज में आग लगी है, उन्हीं से जांच करवाई जा रही है, जबकि लोगों का शक है कि इसमें कुछ विभागीय कर्मचारियों का हाथ है, तो क्या इसको सही मानते हुए इस अग्निकांड की जांच किसी अन्य उच्चाधिकारी द्वारा आप कराने की कृपा करेंगे ? इसका क्या सदन में आश्वासन देंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह पहले ही कहा है कि फिर से उच्चाधिकारी से जांच कराऊंगा।

[दिनांक 4 अगस्त, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—2 श्री शिवानन्द नौटियाल—

[न्यायालय के अधीन होने के कारण निरस्त]

बलिया के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ अन्न का क्रय

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला में वर्ष 1971 में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ कुछ अन्न की खरीद की गई है ? यदि हां, तो किस प्रकार का अन्न और किसके द्वारा क्रय किया गया है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी हां, गेहूं, आटा, चना, मक्का, चावल तथा दाल की खरीद की गयी। जिन अधिकारियों के द्वारा गल्ला खरीदा गया उनकी सूची परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1175 पर)

*4—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त प्रकार का गल्ला किन व्यक्तियों से खरीदा गया वे गल्ला के फुटकर तथा थोक विक्रेता हैं ? यदि नहीं, तो उन्होंने गल्ले की सम्पूर्ति किस ढंग से की है और उसका विवरण क्या है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से तो खरीदा ही गया, आवश्यकतानुसार सस्ते गल्ले की दुकानों, सम्पन्न काश्तकारों एवं आर0एफ0सी0 के गोदामों से भी खरीद की गयी और बाढ़ पीड़ितों के खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति की गयी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या आप इन थोक विक्रेताओं के नाम बताएंगे, जिनसे गल्ला खरीदा गया और उनसे किस मात्रा में, किस तरह से खरीदा गया ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, इसमें सूची संलग्न है, इसमें सब दिया हुआ है। यह अधिकारियों द्वारा खरीदा गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने तो लोगों के नाम पूछे हैं और आपने अधिकारियों के नाम दिये हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मालूम पड़ता है यह आपके पास गल्ती से जाने से रह गया है।

श्री अध्यक्ष—

यानी व्यापारियों का नाम नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

यह सारी गड़बड़ी इसी लिए हुई है, व्यापारियों से खरीदा है, एजेंटों के माध्यम से, फर्जी खरीद हुई।

श्री उदितनारायण शर्मा—

जिन लोगों से गल्ला खरीदा गया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी आपके पास पटल पर रख दूं दूसरी लिस्ट को।

श्री अध्यक्ष--

किन थोकबन्द व्यापारियों से खरीदा गया उनके नाम बताइये ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

श्री पारसनाथ हरनरायन, चीट बड़ा गांव, श्री केदारराम, गुदरी बाजार, बलिया, श्री हीरालाल केसरी, रवेती, श्री गोविन्दराम, गुदरी बाजार, बलिया, श्री केदारराम, गुदरी बाजार, बलिया, श्री लखनराम, गुदरी बाजार, बलिया, श्री जगदीश प्रसाद, गुदरी बाजार, बलिया, श्री सत्यनारायन प्रसाद, गुदरी बाजार, बलिया, श्री शिवशंकर प्रसाद, गुदरी बाजार, बलिया, श्री शिवरदयाल पाठक, गुदरी बाजार, बलिया, श्री गौरी राय, गुदरी बाजार, बलिया, श्री ईवश्वनाथ राय, गुदरी बाजार, बलिया, श्री लक्ष्मीनारायन, गुदरी बाजार, बलिया, आर० एफ० सी० गोदाम, बलिया, आर० एफ० सी० गोदाम, रानीगंज, श्री जदुनन्दन, सुत श्री कृष्ण, रानीगंज ।

यह बड़ी लम्बी लिस्ट है ।

श्री मैनेजर सिंह--

आपने अभी ईश्वरदयाल पाठक का नाम बतलाया, यह क्या कोई कारोबार करते हैं यह जांच करवा लेंगे ?

श्री शम्भूनाभ चौधरी--

ईश्वरदयाल, केदार राम । यह लिख कर दे दें, आप चर्चा करवा , क्योंकि कोई दूकान है ही नहीं, ऐसे लोग हैं ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मैं लिस्ट दे देता हूं । जिन पर एतराज है आप लिख कर दे दें मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)--

इसमें लाखों रुपये का घोटाला हुआ है । क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे, इस सम्बन्ध में जो खरीद-फरोख्त हुआ है यह जांच भी विजिलेंस को दे दें ?

श्री अध्यक्ष--

वह लिस्ट दे देंगे आपको वह देख लीजियेगा ।

श्री निर्भयानारायण सिंह--

जो लाखों रुपये का घपला हुआ है, विजिलेंस का मामला है, माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह भी विजिलेंस को दे दिया जाय ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

इसकी जांच हो रही और यह दिया जा सकता है विजिलेंस को । कोई दिक्कत नहीं है ।

सहकारिता विभाग में पुलिस दस्ते द्वारा पकड़े गये गबन के मामले

* 5--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सहकारिता विभाग में जो पुलिस दस्ते की स्थापना की गई है उसमें मार्च सन् 1972 तक कितने रुपये का गबन किस-किस जिले में अब तक पकड़ा ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

पुलिस दस्ते ने मार्च, 1972 से अब तक कुल 77 मामलों में अभियुक्तों को पकड़ा है जिनका †विवरण संलग्न है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 19,47,579 रुपये 33 पैसे का जो गबन हुआ है इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, और कितने लोगों की तलाश की जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

115 आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और बाकी की तफतीश की जा रही है, तलाश की जा रही है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कुछ जिम्मेदार अधिकारी हैं और जांच में साबित हो चुके हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

मेरा प्रश्न यह था कि इसमें कुछ जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने जांच किया था यह गबन उनकी जांच से पहले से था उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गयी, उनमें जिले के कौन-कौन से लोग हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

यह जांच सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विजिलेंस विभाग द्वारा हो रही है । ये 77 केस पुलिस के द्वारा एफ0 आई0 आर0 में दर्ज किये गये थे और विजिलेंस सेल द्वारा उनकी जांच हो रही है और उनमें 115 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री रामकरन सिंह---

इस सेल को बने कितने दिन हुए और इतनी अवधि में केवल 77 मामले ही देखे गये ? इनके अलावा कितने मामले प्रदेश में पड़े हुए हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

यह पुलिस सेल का गठन 1970 में हुआ था और इसका काम गबन पकड़ना नहीं है । जो केस पुलिस में दर्ज होते हैं और अन्य कार्यों में पुलिस व्यस्त रहने के कारण जांच नहीं कर पाती थी तो सहकारिता विभाग के लिये एक अलग से विजिलेन्स सेल कायम कर दिया गया । 1970 के बाद सेल के पास पूरा स्टाफ न होने के कारण जो 253 केसेज उसको सौंपे गये थे उनमें 77 केसेज में गिरफ्तारियां हुईं और बाकी की जांच हो रही है ।

श्री राम करन सिंह---

253 केसेज पुलिस में दर्ज हैं लेकिन सहकारिता विभाग के अन्दर प्रदेश भर में इसकी हजारों प्रारम्भिक शाखायें हैं जो डिफंक्ट पड़ी हुई हैं ? क्या मंत्री जी उनकी जांच इस सेल के द्वारा करायेंगे ताकि उचित कार्यवाही शीघ्र हो सके ?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि जिन मामलों में रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हो जाती है उन्हीं मामलों की जांच के लिये ये सेल गठित किया गया है। पूरे प्रदेश भर में पड़ी हुई सोसाइटियों के खिलाफ मामलों की जांच करने का काम इस सेल का नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

ये जो 253 केसेज दर्ज किये गये हैं ये कितने लाख रुपये के मामले हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जो 253 केसेज पुलिस शाखा को सौंपे गये हैं सहकारिता से संबंधित, उनमें 31,86,403 रुपये 22 पैसे इंवाल्व है।

श्री मैनेजर सिंह—

लाखों रुपये के मामलों की शिकायत बलिया की कोआपरेटिव्स की आपके यहां पड़ी हुई हैं लेकिन इस पुलिस सेल में बलिया का कोई केस आजतक न रजिस्टर हुआ और न कोई कार्यवाही हुई तो क्या सरकार कोई अधिकारी इस सेल का वहां भेजेगी जो मौके पर जाकर शिकायतों को रजिस्टर करके उनकी जांच करेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, बलिया के किस केस का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं इसका तो मुझे पता नहीं। बलिया से अगर कोई शिकायतें आई हैं तो निश्चित रूप से उनकी जांच हो रही होगी। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष शिकायत की सूचना देंगे तो उसकी भी जांच करा ली जायगी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

जो 115 लोग पकड़े गये हैं उनमें कितने उनके विभाग के कर्मचारी हैं और क्या उनको सस्पेंड कर दिया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

*6—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[6वें गुरुवार के प्रश्न संख्या 86 के अन्तर्गत उत्तरित]

कन्डेक्टेडटूर्स आयोजन हेतु बजट में प्राविधान

*7—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1971–72 के बजट में कन्डेक्टेड टूर्स आयोजन के हेतु कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया था और 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक इसमें कितनी धनराशि किस प्रकार खर्च की गई है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्रख्यापन तथा आयोजित दौरे के संयुक्त मद में 1971–72 के बजट में केवल 44,000 रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था। आयोजित दौरे के ऊपर वर्ष 1971–72 में रुपया 1423.50 व्यय किया गया।

नोटः—तारांकित प्रश्न 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

शक्ति फार्म, नैनीताल के बाढ़ प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन

*8—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के बंगाली शरणार्थी उपनिवेश शक्ति फार्म के पड़ाव गांव शक्ति फार्म नम्बर 1 तथा 3 व 4 तथा 5 की दो हजार एकड़ भूमि को सूखी नदी की आठ दस साल की लगातार बाढ़ से रेतीला बनाये जाने की स्थिति का दिनांक 29 जनवरी, 1971 को जो निरीक्षण स्वयं किया तथा दिनांक 22 जनवरी, 1972 को वित्त मन्त्री ने भी निरीक्षण किया उसके फलस्वरूप उक्त ग्रामों के बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भूमि देकर पुनर्वास किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो भूमि रेतीली हो गई है उसका क्षेत्रफल लगभग 930 एकड़ है न कि 2000 एकड़ । कुप्रभावित क्षेत्र के विस्थापितों को पड़ोस में कारागार विभाग की भूमि देने का निर्णय लिया गया है एवं उस पर कार्यवाही चल रही है ।

डी० सी० डी० एफ०, दुद्धी (मिर्जापुर) की पूंजी एवं बकाया

*9—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० डी० एफ०, दुद्धी, मिर्जापुर की वर्तमान पूंजी क्या है तथा उसके प्रारम्भ से फरवरी, 1972 तक उसके ऐसे कितने चालक, मन्त्री एवं कर्मचारी हैं जिसके ऊपर संघ का बकाया है और उन पर वसूली की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

डी० सी० डी० एफ०, दुद्धी, मिर्जापुर की पूंजी 30-6-71 को 4,67,785 रुपये थी । प्रारम्भ से फरवरी, 1972 तक उसके दो भूतपूर्व अध्यक्षों, एक भूतपूर्व मन्त्री, पांच भूतपूर्व संचालकों तथा तेरह भूतपूर्व कर्मचारियों पर उसका बकाया है । उन पर बकाये की वसूली के लिये सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 70 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम सं० 225 के अधीन मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

देवली सालम (अल्मोड़ा) के निवासियों का पुनर्वासन

*10—श्री हरी सिंह बिष्ट—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम देवली सालम अल्मोड़ा के सम्पूर्ण ग्राम के धंस जाने के फलस्वरूप वहां के निवासियों को अन्य जगह बसाने व भूमि देने की शीघ्र व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, ग्राम देवली सालम के पीड़ितों के पुनर्वासन के लिये ढोली गांव क० नं० 3 में 64 एकड़ भूमि ली जा रही थी लेकिन ग्रामवासी वहां बसने को तैयार नहीं हुए । वे देवीपुरा रेंज क० नं० 5 के नजदीक की भूमि में बसना चाहते हैं, लेकिन घने बनों से आच्छादित होने के कारण वन विभाग उसे देने के लिये तैयार नहीं है । ऐसी दशा में उपलब्ध जमीन पर बसने के लिये देवली के ग्रामवासियों की सहमति ली जा रही है । उनको सहमति प्राप्त होते ही उनके पुनर्वासन की कार्यवाही की जा सकेगी ।

फैजाबाद की प्रस्तावित होरिलपुर—हुसैनपुर सड़क

*11—श्री इन्द्र लाल—

विधान सभा के 1972 के प्रथम सत्र के द्वितीय शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब पुरानी सड़क ग्राम होरिलपुर तथा ग्राम हुसैनपुर के दक्षिणी किनारे से बंजर भूमि से होकर जाती थी, तो अब किस आधार पर प्रस्तावित सड़क को दोनों ग्रामों के बीच से उपजाऊ भूमि से ले जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम होरिलपुर व ग्राम हुसेनपुर सकरवारी के दक्षिण में जो रास्ता वर्तमान समय से चलता है वह टेढ़ा-मेढ़ा है तथा घूम कर गांव में जाता है। इसके अतिरिक्त यह ऊंची नीची भूमि से होकर जाता है और इसके बीच में दो नाले पड़ते हैं जिससे बरसात के दिनों में या साल के अधिकांश दिनों में इस रास्ते से यातायात सुगमतापूर्वक नहीं हो सकता। प्रस्तावित सड़क नियोजित ढंग से निकाली गई है तथा ग्रामों को मिलाती है। दो नाले के बजाय एक नाला ही बीच में पड़ता है। साधारणतः समतल भूमि से होकर जाती है तथा लगभग साल भर आवागमन के लिये उपलब्ध रहेगी। अतः यह एक उपयोगी अन्तर ग्रामीण सड़क है।

जहांगीराबाद (कानपुर) में भूदान की भूमि का वितरण

*12—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला उन्नाव), श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव), श्री सुख लाल कोरी (जिला इटावा), श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर) तथा श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जहांगीराबाद, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर में जिला भूदान समिति कानपुर के अधिकार में भूदान की कितनी भूमि थी उसका वितरण कब और किस-किस को किया जा चुका है तथा क्या भूदान समिति द्वारा प्राप्त भूमि का दाखिल-खारिज भी हो चुका है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत ग्राम में जिला भूदान समिति के अधिकार में 76.73 एकड़ भूमि 3 मई, 1952 को आयी जिसमें से वितरण संलग्न सूची के अनुसार किया गया। भूदान समिति द्वारा प्राप्त भूमि का दाखिल खारिज भी हो चुका है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1178 पर)

*13—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मोती लाल देहलवी—

[निरस्त]

बलिया के बाढ़ कार्य में मोटर लांचों का प्रयोग

*14—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा कि बलिया जिले के अन्तर्गत दो सरकारी मोटर लांचों का प्रयोग गत बाढ़ सेवा कार्य में कहां-कहां तथा किस अधिकारी के द्वारा किया गया तथा उस पर कितने पेट्रोल का व्यय हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलाधिकारी बलिया के नियंत्रण में उपलब्ध एक मोटर बोट तथा 1 मोटर लांच का प्रयोग जिन स्थानों पर तथा जिन अधिकारियों द्वारा किया गया उसका ब्योरा संलग्न अनुसूची 1 व 2 में दिखाया गया है।

उक्त मोटर लांच व मोटर बोट के प्रयोग में 1985 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1179 पर)

हरिजन सहायक विभागीय सहायता प्राप्त पुस्तकालयों व छात्रावासों से पुस्तकों की वापसी

*15—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या हरिजन सहायक मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय सहायता प्राप्त लाइब्रेरियों व छात्रावासों के लिये शासन ने 1968–69 में निम्नलिखित पुस्तकें खरीदी थीं—

(1) जाति भेद का उद्देश्य–लेखक डा० बी० आर० अम्बेदकर,
(2) बौद्ध धर्म में वंदना पूजा परियाण—लेखक एस० ए० शास्त्री,
(3) सम्मान के लिये धर्म परिवर्तन—लेखक डा० बी० आर० अम्बेदकर,
(4) आदिवंश कथा—लेखक डा० अंगने लाल।

यदि हां, तो उन्हें किन कारणों से खतरनाक बता कर सन् 1970 में प्रदेश भर की सहायता प्राप्त लाइब्रेरियों व छात्रावासों से वापस मंगा लिया गया ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित पुस्तकों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

(1) जाति भेद का उन्छेद,
(2) बौद्ध धर्म में पूजा वन्दना, परित्राण सुत्त,
(3) सम्मान के लिये धर्म परिवर्तन करें,
(4) आदि वंश कथा।

प्रश्नगत पुस्तकों में कुछ अंश आपत्तिजनक होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनके फलस्वरूप उनको वापस मंगाने का निर्णय लिया गया था।

*16—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि उपरोक्त पुस्तकों की शासन द्वारा जब्ती के आदेश को हाईकोर्ट, इलाहाबाद ने क्रिमिनल मिसलेनियस ललई सिंह यादव बनाम स्टेट आफ यू० पी० में 14 मई 1971 को निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो गलत कारण एवं खतरनाक बताने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

केवल "सम्मान के लिये धर्म परिवर्तन करें" नामक पुस्तक जब्त की गई थी जिसके विरुद्ध प्रश्नगत प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया था।

यह मामला विधिक राय से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है। शासन को जो विधिक राय मिली उसमें व माननीय उच्च न्यायालय ने जिन कारणों से इसे जब्त करने योग्य नहीं पाया उसमें मतभेद है। किसी विधिक प्रश्न पर विधिक राय में मतभेद हो सकता है। अतः इस आधार पर किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

रणुकूट (मिर्जापुर) में अग्निकाण्ड

*17--श्री राम निहोर राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 अप्रैल, 1972 को रेणुकूट, मिर्जापुर में लगभग 11 बजे दिन में मजदूरों की 14 झोपड़ियां जल कर नष्ट हो गई थीं और उसमें सो रहा एक अबोध शिशु मरणासन्न अवस्था में बचाया जा सका था। यदि हां, तो उक्त घटित दुर्घटना में जिला प्रशासन ने सम्बन्धित व्यक्तियों को क्या कोई सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

8 अप्रैल नहीं बल्कि 6 अप्रैल, 1972 को हुए अग्निकांड से 18 झोपड़ियां जली थीं। कुछ गर सरकारी संस्थाओं ने पीड़ित व्यक्तियों को काफी सहायता दी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो गई। इसलिये सरकारी सहायता आवश्यक नहीं थी।

ताला (प्रतापगढ़) के बाढ़ व अतिवृष्टि पीड़ितों को वितरित अनुदान

*18--श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को पता है कि जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत तहसील पट्टी के ग्राम ताला के बाढ़ व अतिवृष्टि पीड़ितों को दिनांक 22 जनवरी, 1972 को सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा वितरित किये गये अनुदान के सम्बन्ध में हाकिम तहसील पट्टी व जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को दिनांक 31 जनवरी, 1972 व 12 फरवरी, 1972 को लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा और दिनांक 7 फरवरी, 1972 को तहसील पट्टी पर प्रदर्शन करके यह सूचना दी गई कि अनुदान पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर सरकारी कागजात में तो 100 रु0 का वितरण दिखाया गया है लेकिन उसे दिया गया केवल 25 रु0 से लेकर 50 रु0 तक ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला स्तर के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्रों को पटल पर रखेगी और बतायेगी कि इस मामले में क्या कोई जांच कराई गई है ? और अगर कराई गई तो किसके द्वारा और कब तक तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां, प्राप्त शिकायती पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है (परिशिष्ट-क)। शिकायतों की जांच पर परगनाधिकारी, पट्टी द्वारा कई दिन तक की गई जो 13 मार्च, 1972 को पूरी हुई। जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि 18 व्यक्तियों को कागजातों में 100 रु0 अनुदान देना दिखाया गया था जबकि प्रति व्यक्ति 25 रु0 ही दिया गया था। जिन 24 व्यक्तियों को अनुदान दिया गया, उनमें से केवल चार व्यक्तियों के ही मकान गिरे थे। शेष के मकान नहीं गिरे थे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1183 पर)

बरबटपुर पुवांया रेल साउथ खीरी का 'साल' का जंगल

*19--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या वन मन्त्री को पता है कि ग्राम बरबटपुर पुवांया, रेल साउथ खीरी वन प्रभाग में प्लाट नम्बर 30 व 31 जिनका रकबा 838 व 14.90 एकड़ है। जिसमें पचासों साल पुराना "साल" का जंगल खड़ा था और पेड़ों पर नम्बर भी पड़े थे ? उसको बिना अनुमति के अप्रैल, 1972 में काट डाला गया और जंगल विभाग की लाखों रुपये की सम्पत्ति इस प्रकार ले ली गई ? यदि हां, तो क्या डी० एफ० ओ० साउथ खीरी ने तुरन्त मौके पर जाकर कटे हुए जंगल की जड़ें गिनवाईं और लकड़ी रुकवाई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ग्राम बरबटपुर के प्लाट नम्बर 30 व 31 वन विभाग के अन्तर्गत नहीं हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*20—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या वन मन्त्री को यह भी पता है कि ग्राम हिमांचलपुर, परगना खुटार, पुवांया रेंज, साउथ खीरी वन प्रभाग में प्लाट नम्बर 132 व 133 जिनका रकबा 1 व 20.94 एकड़ है को भी अवैध रूप से बिना अनुमति लोगों ने काटना शुरू कर दिया है? यदि हां, तो वन विभाग इन अनियमितताओं के प्रति उदासीन क्यों है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ग्राम हिमांचलपुर, परगना खुटार के प्लाट नम्बर 132 व 133 वन विभाग के अन्तर्गत नहीं हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*21—श्री निर्भय नारायण सिंह—

[पूर्व प्रश्न १४ की पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*22—श्री मंजूर अहमद—

[12वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी जिले के हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

*23—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से हरिजन तथा पिछड़ी जाति के किन-किन स्कूलों तथा कालेजों के किन-किन छात्रों को सन् 1970–71 तथा 1971–72 में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गई और उन छात्रों को किन-किन तारीखों में उन्हें प्राप्त हो गई ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न में वांछित सूचना बहुत विस्तृत है जिसे माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

गोंडा के बाढ़ क्षेत्र में वितरित अनुदान

*24—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले में तहसीलवार कितना-कितना रुपया अनुदान व तकावी के रूप में गत वर्ष की बाढ़ एवं वर्षा से हुई क्षति के लिये सरकार द्वारा दिया गया और उनमें से कितनें ऐसे लोग हैं जिन्हें पांच सौ रुपयेसे अधिक सहायता मकान निर्माण हेतु दी गई ? क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसीलवार प्रदत्त अनुदान तथा तकावी का विवरण परिशिष्ट–क में दिखाया गया है। पांच सौ रुपये से अधिक गृह निर्माण अनुदान किसी पीड़ित व्यक्ति को नहीं दिया गया किन्तु गृह-निर्माण तकावी तथा विशेष योजना के अन्तर्गत गृहनिर्माण ऋण 430 व्यक्तियों को 500 रु0 से अधिक दिया गया है। उन व्यक्तियों की सूची माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ सचिव, विधान सभा के कार्यालय में रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1185 पर)

क्षेत्रीय समिति सिसौली, मेरठ के विरुद्ध शिकायतें

*25—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के दिनांक 28 अगस्त 1969 के पत्र के साथ मेरठ निवासियों का क्षत्रीय समिति सिसौली (मेरठ) म व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वे क्या-क्यर शिकायतें हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों तथा उनके विषय में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1186 पर)

भरकछा गोरखपुर में सीलिंग की भूमि

*26—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसी सदर सुपरवाइजर कानूनगो क्षेत्र राजधानी के ग्राम भरकछा में सीलिंग की भूमि की हुई व्यवस्थ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह मार्च, 1972 ई0 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस प अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, जांच से यह पाया गया कि ग्राम भरकछा में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत 29.99 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई और इस पूरी भूमि का आवंटन नियमानुसार हो चुका है। पट्टेदारों के पक्ष में अमलदरामद किया जा चुका है। चूंकि ग्राम भरकछा, डुमरैला व सोनई के बीच सीमा विवाद चल रहा है, इसलिये पैमाइश की कार्यवाही संभव नहीं हो पाई।

श्री संकठा प्रसाद सिन्हा, सुपरवाइजर कानूनगो, वाराणसी का देयधन

*27—श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि श्री संकठा प्रसाद सिन्हा भूतपूर्व ना0 तहसीलदार, बलिया तथा वर्तमान सुपरवाइजर कानूनगो, वाराणसी को 1956 से 1969 तक वेतन बढ़ोत्तरी नहीं दी गई है। यदि हां, तो सरकार कब तक श्री सिन्हा को उक्त वेतन बढ़ोत्तरी देने जा रही है? यदि नहीं, तो इतने लम्बे अवधि तक उसे रोकने का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, श्री संकठा प्रसाद सिन्हा भूतपूर्व नायब तहसीलदार को 1965 से 1969 तक वेतन बढ़ोत्तरी नहीं दी गई है। इसके प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं।

बदायूं भूमि विकास बैंक के मैनेजर का स्थानान्तरण रद्द किया जाना

*28—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं भूमि विकास बैंक के मैनेजर का स्थानान्तरण सन् 1972 में कितनी बार किया गया और कितनी बार रद्द एवं क्या उक्त मैनेजर के खिलाफ सन् 1972 मास मार्च, अप्रैल में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत शासन को मिली है? यदि हां, तो शासन ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एक स्वायत्त शासी संस्था है और उसके कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामलों से शासन का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त मैनेजर के खिलाफ मार्च/अप्रैल 1972 में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई। हो सकता है इस प्रकार की कोई शिकायत बैंक को भेजी गई हो।

वन विभागीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान

*29—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के कर्मचारियों का मासिक वेतन सरकारी सेवा अधिनियम के अनुसार उनका बिल ट्रेजरी द्वारा न पास कराकर सीधे चेक भुना कर किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां, क्योंकि संबंधित वन अधिकारियों को बिल स्वयं पास करने के अधिकार नियमान्तर्गत प्राप्त हैं।

नैनीताल में हरिजनों के लिये स्वीकृत अनुदान का वितरण

*30—श्री इन्द्र लाल—

क्या हरिजन सहायक मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक शासन से कुल कितनी धनराशि किन-किन मदों पर हरिजनों को अनुदान स्वरूप स्वीकृत थी और इसमें कितनी धनराशि 31 मार्च, 1972 तक अनुदान ग्रहिताओं को प्राप्त हुई और जो धनराशि नहीं दी जा सकी, इसके उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सीताराम—

वांछित सूचना संलग्नक के स्तम्भ 1 से 3 में दी हुई है।

गृह निर्माण तथा कूप निर्माण सम्बन्धी अनुदानों के विषय में संलग्नक के स्तम्भ 5 में भुगतान न होने के कारण वर्णित हैं।

कुटीर उद्योग तथा गृह स्थल सम्बन्धी अनुदानों का शेष धनराशियों क बारे में जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1187 पर)

गोण्डा के हरिजनों के लिये कुओं का निर्माण

*31—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा के विभिन्न विकास क्षेत्रों में हरिजनों को पानी पीने के लिये योजना प्रारम्भ होने से 31 मार्च, 1972 तक कुल कितने कुओं

का निर्माण कितने रुपयों की लागत से कराया गया है ? इस मद में कितनी धनराशि वर्ष 1971-72 में बची है जो व्यय नहीं हो सकी हे ? व्यय न किये जाने के कारण क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जनपद गोण्डा में पेय जल की विभागीय योजना के प्रारम्भ (वर्ष 1951–52) से वर्ष 1971–72 तक 377 कुओं तथा 305 हैण्ड पम्पों का निर्माण 2,70,115 रु० की लागत से हुआ।

वर्ष 1971–72 में कोई धनराशि अवशेष नहीं रही।

प्रश्न नहीं उठता।

संग्रह विभाग, जौनपुर के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*32—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में संग्रह विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को जो पूर्णकालीन समय के आधार पर लगातार दस 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनकी कोई वरीयता सूची परिषद् संख्या 16904, दिनांक अगस्त 9, 1968 के पैरा 2 व 3 के अनुसार बनाई गई है? यदि हां, तो कितने कर्मचारी रिक्त स्थानों पर, स्थायी किये गये हैं? यदि नहीं तो कारण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, कथित परिषदादेश के अनुसार ऐसी लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में संग्रह विभाग के सात कर्मचारियों के नाम हैं। इनमें से किसी को भी अभी तक स्थायी नहीं किया गया है क्योंकि स्थायीकरण के लिये इनका नम्बर नहीं आया है।

बलरामपुर (गोण्डा) में राप्ती नदी के तट की भूमि का सर्वे

*33—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोण्डा के बलरामपुर तहसील में राप्ती नदी के किनारे की खेती लायक वह भूमि जो पानी से प्रभावित रहती है, का सर्वे करने हेतु माह नवम्बर, या दिसम्बर सन् 1966 में तत्कालीन एस० डी० एम० ने तहसीलदार, बलरामपुर को आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया? यदि हां, तो कुल भूमि कितनी है? उल्लिखित भूमि शासन भूमिहीन हरिजनों को लगान पर देने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं हे। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

विलोहा (गोण्डा) के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

*34—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया) तथा श्री सन्त राम (जिला गोंडा)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के ग्राम विलोहा के कुछ हरिजनों का एक प्रार्थना-पत्र जो जिलाधिकारी को सम्बोधित था तथा उसकी एक प्रति राज्य मन्त्री जी को भी दी गई थी? दिनांक 1 अप्रैल, 1972 से 15 अप्रैल, 1972 के बीच प्राप्त हुई है जिसमें भूमि बांटने के नाम पर हरिजनों से अधिकारियों ने रुपये कमाये हैं, की शिकायत की गई है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, गांव बिलोहा के हरिजनों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 मार्च, 1972 प्राप्त हुआ था। इसकी जांच कराई गई। अधिकारियों द्वारा रुपया कमाने का आरोप असत्य पाया गया। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक बिसवां (सीतापुर) में अनियमिततायें

*35—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार को जानकारी है कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां, (सीतापुर) में घोर अनियमितता और गड़बड़ी चेयरमैन द्वारा की जा रही है जिसके सम्बन्ध में गत चार, पांच महीनों में अनेकों शिकायतें जनता की ओर से शासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

गत 5–6 महीनों में शिकायती पत्र सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां (सीतापुर) द्वारा मनमाने ढंग से समितियों में एकाउन्टेन्टों / सचिवों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में तथा एक शिकायती पत्र बैंक द्वारा ऋण के न वितरण किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं। सभी शिकायती पत्रों पर विभागीय जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सर्व श्री कृष्ण कान्त अवस्थी तथा श्याम लाल रावत, सदस्य विधान सभा का शिकायती पत्र बैंक द्वारा अनियमित ढंग से समितियों में सचिव के चुनाव के बारे में प्राप्त हुआ है। जिसमें सचिवों की नियुक्ति की स्वीकृति न देने को कहा गया था। अभी तक किसी भी समिति के सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

प्रोबेशन आफिसर कार्यालयों के कर्मचारी

*36—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने प्रोबेशन ऐक्ट की अब तक प्रदेश के सारे जिलों में लागू नहीं किया है। यदि हां, तो उसके लागू न करने का क्या कारण है? और जिन जिलों में प्रोबेशन आफिसर कार्य कर रहे हैं उनके प्रत्येक कार्यालयों में कितने-कितने कर्मचारी हैं और किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)—

जी हां।

उपर्युक्त ऐक्ट की धारा 1 (3) (बी) के अन्तर्गत उक्त ऐक्ट को विभिन्न जिलों में शासन द्वारा सीमित वित्तीय संसोधनों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर लागू करने के लिये अधिसूचना जारी की जाती है।

इस समय 32 जिलों में यू0 पी0 फर्स्ट अफेण्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 के समस्त प्राविधान लागू हैं।

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखियें नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1188 पर)

पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को सहायता एवं पुनर्वास

*37--श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत में जिनकी भूमि गत वर्ष सैलाब से कट गई थी उनको आठ हजार रुपया प्रतिमाह खर्चा दिया जाता है। यदि हां, तो उनके स्थायी पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

पीलीभीत जिले में ग्राम रामनगरा में बसाये गये 170 बंगाली विस्थापित परिवारों में से 130 परिवारों की भूमि गत वर्ष नहीं परन्तु वर्ष 1969 तथा 3 परिवारों की भूमि 1970 में बाढ़ से नष्ट हो गई या शारदा नदी ने काट दी। 130 परिवारों को मार्च, 1972 तक पोषण भत्ता दिया गया जिस पर लगभग 8,700 रु० प्रतिमाह व्यय हुआ। उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से बसाने के लिये भूमि की खोज की जा रही है।

सुपर बाजार की बन्दी

*38--श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री रामबिलास पांडेय--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के कतिपय नये सुपर बाजार बन्द कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं, यह सही नहीं है कि प्रदेश के कतिपय सुपर मार्केट (नया बाजार) बन्द कर दिये गये हैं। केवल नया बाजार, लखनऊ, स्टाक के भौतिक सत्यापन तथा पुनर्गठन हेतु फिलहाल बन्द है।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति, रुद्रपुर (नैनीताल) द्वारा गेहूं का विक्रय

*39--श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली), श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

क्या सहकारिता मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति, रुद्रपुर, जिला नैनीताल में उसी क्षेत्र के मौजा प्रतापपुर, नरायनपुर, खमरिया, रामेश्वरपुर, रामनगर, कनकपुर, लालपुर के किसानों का रखा हुआ गेहूं उक्त समिति के प्रबन्धकों ने बिना उन किसानों को बताये मनमाने दाम पर बेच दिया और उन किसानों को अब तक दाम नहीं दिया गया? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सेवा निवृत, सहायक रजिस्ट्रार, कानूनगो, श्री केसरी प्रसाद मिश्र, निवासी होरिलापुर (देवरिया) की पेंशन

*40--श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांकेलाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सेवा निवृत्त, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, श्री केसरी प्रसाद मिश्र, निवासी ग्राम होरिलापुर, तहसील पडरौना, जिला देवरिया जो गोरखपुर कमिश्नरी में नौकर थे अवकाश प्राप्ति के पश्चात् अब तक पेंशन न मिल पाई? इसका क्या कारण है और इसे कब तक दिला दिया जायगा?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह सत्य है कि श्री केशरी प्रसाद मिश्र अवकाश प्राप्त सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो को अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है। इसका कारण यह है कि श्री मिश्र की सेवा पुस्तिका में विभिन्न जिलों में की गई सेवाओं के सत्यापन की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण विलम्ब हुआ है। यह कार्य शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। इसके बाद कागजात महालेखाकार के पास पेंशन की स्वीकृति के लिये भेज दिये जायेंगे।

जालौन में दसवी कक्षा के हरिजन छात्र एव छात्राओं की छात्रवृतियां

*41---श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जालौन में दसवीं कक्षाओं के अन्तर्गत, हरिजन छात्र एवं छात्राओं को इस वर्ष गत वर्ष की छात्रवृत्तियां वितरित नहीं की जा रही हैं? क्या यह भी सच है कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, जालौन द्वारा 31मार्च, 1972 तक सरकारी अनुदान की धनराशि न निकाले जाने के कारण यह गड़बड़ी पैदा हो गई? अगर हां, तो उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सीताराम---

जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

पिपरहरी बांदा के खलिहानों में अग्निकांड

*42---श्री दुर्जन (जिला बांदा)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा की तहसील क पिपरहरी गांव में दिनांक 25 मार्च, 1972 को किसानों के खलिहानों की फसल भीषण अग्निकांड से जल गई है और उसमें कितने नुकसान का अनुमान लगाया गया है? किसानों के भारी नुकसान को देखते हुए सरकार ने सरकारी सहायता अनुदान और तकावी आदि के रूप में क्या और कितनी सहायता की है? यदि अनुदान के रूप में कोई सहायता नहीं की गई, तो क्यों? क्या सरकार ऐसी किसी सहायता के देने पर विचार कर रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जी हां, दिनांक 25 मार्च को घटित अग्निकांड से अनुमानित 1,61,210 रु० की क्षति हुई। अग्निकांड के पीड़ित व्यक्तियों में 2,900 रु० अहेतुक सहायता तथा 9,700 रु० आपदा तकाबी के रूप में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें भू-राजस्व में छूट दिये जाने की भी कार्यवाही की जा रही है।

*43---श्री सूबेदार सिंह---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

कानपुर के सहकारी संघों में गबन

*44---श्री मनोहर लाल तथा श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जनपद के चौबेपुर, प्रतापपुर, गवडहा, सहकारी संघों से 5 लाख रुपये से अधिक का खाद्य में गबन है और क्या सरकार उक्त सहकारी संघों से सम्बन्धित श्री एस० के० त्रिपाठी, एस०डी०सी०ओ० तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने की आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बलरामपुर (गोन्डा) चकबन्दी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायतें

*45--श्री भगेलू सिंह तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले के अन्तर्गत बलरामपुर चकबन्दी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व धांधलियों के संबंध में सोशलिस्ट पार्टी, बलरामपुर द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1971, दिनांक 27 मार्च, 1971 व 21 मई, 1971 को सरकार को शिकायती पत्र दिये गये ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों में किन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं और सरकार ने उस सम्बन्ध म अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार उन शिकायती पत्रों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्री राधेश्याम तिवारी, संगठन मंत्री, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बलरामपुर द्वारा भेजा गया इश्तहार दिनांक 20 मार्च, 1971 तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बलरामपुर की ओर से गैंसड़ी बाजार में हुई सभा में पारित प्रस्ताव की एक प्रति दिनांक 27 मार्च, 1971 प्राप्त हुई थी। दिनांक 21 मई, 1971 का कोई शिकायती प्राथना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इश्तहार म निम्न अधिकारियों व कमचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :--

1--श्री राम प्यारे तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध 11 पत्रावलियों के गायब करन की शिकायत।

2--श्री बीरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्राम संग्रामपुर में चक काटते समय काश्तकारों से रुपया 24,050.00 नाजायज रूप से वसूल करने की शिकायत थी ।

3--बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के विरुद्ध श्री वीरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी के इशारे पर श्री राम औतार, लेखपाल को नाजायज तरीके से परेशान किए जाने तथा उसकी नौकरी लिए जाने की शिकायत की गई थीं।

4--संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बलरामपुर के द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 70 को किए गए प्रदर्शन तथा दिनांक 30-11-70 को किए गए अनशन के समय बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति न किए जाने की शिकायत।

5--उप संचालक चकबन्दी के द्वारा श्री सतीश चन्द्र, लेखपाल के मामले में कोई सुनवाई न किये जाने की शिकायत ।

6--श्री महेश्वर दत्त सिंह, विधायक आदि जैसे जबरदस्त लोगों द्वारा गांव सभा भूमि को जोतने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की शिकायत।

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा गैंसड़ी बाजार में आयोजित सभा में 26 मार्च, 1971 को पारित प्रस्ताव में श्री राम प्यारे तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा श्री वीरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों को दोहराया गया है

उपरोक्त आरोपों की जांच कराई गई तथा निम्नलिखित कार्यवाही की गई :--

1--सिद्ध नहीं हुआ ।

2--सिद्ध नहीं हुआ परन्तु काम की खराबी एवं लापरवाही के लिए श्री बीरेन्द्र बहादुर, सहायक चकबन्दी अधिकारी को चकबन्दी कर्त्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

3--सही नहीं पाया गया ।

4--सही नहीं पाया गया ।

5--लेखपाल की एक पुराने दोष पर सेवायें समाप्त हो गई थीं । सुनवाई के बाद उप संचालक ने इन्हें पुनः नियुक्ति दिलवा दी परन्तु बाद में मटेहवा की फाइलों की जांच में उप संचालक ने इन्हें दोषी पाया जिसके कारण इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

6--यह सही नहीं है। जांच के पश्चात् ग्राम सभा भूमि को जबरदस्ती जोतने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई ।

दिनांक 20 मार्च, 1971 के इश्तहार तथा 27 मार्च, 1971 की प्रतियां संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1189 पर)

उत्तराखंड के रिजर्व तथा वन पंचायतों का लीसा

*46--श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में उत्तराखंड के रिजर्व तथा वन पंचायतों का लीसा आई0 टी0 आर0, बरेली तथा सहकारी समितियों को कितना और प्रति क्विन्टल किस भाव पर दिया गया है तथा बचा हुआ शेष लीसा जो खुले बाजार में नीलाम हुआ वह कितने क्विन्टल था और उसका मूल्य सरकार को प्रति क्विन्टल क्या मिला ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

अगर "उत्तराखण्ड" से मतलब कुमाऊं और टिहरी वन वृत्तों से हो तो वर्ष 1971-72 में उत्तराखण्ड के रिजर्व वनों का लीसा आई0 टी0 आर0 बरेली तथा सहकारी समितियों को अभी तक 43,811 क्विंटल रु0 170 प्रति क्विन्टल की दर से दिय गया है । रिजर्व वनों का 461 क्विंटल लीसा खुले बाजार में नीलाम द्वारा रु0 225.19 प्रति क्विंटल की दर से बेंचा गया है उत्तराखण्ड के पंचायती वनों का लीसा आई0 टी0 आर0, बरेली तथा सहकारी समितियों को नहीं दिया गया है । यह औद्योगिक इकाइयों को दिया जायेगा ।

*47--श्री कृष्णकान्त अवस्थी--

[14वें मंगलवार के प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

हसनपुर, मुरादाबाद क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना

*48--श्री जितेन्द्र पाल सिंह--(जिला मुरादाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की तहसील हसनपुर में प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ आने से लाखों व्यक्तियों की जन-धन की हानि होती हैं और करोड़ों रुपयों का खर्चा सरकार को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया है? यदि नहीं तो कब तक घोषित करने का इरादा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

तहसील हसनपुर का काफी क्षेत्र प्रायः प्रतिवष बाढ़ से प्रभावित हो जाता है । प्रभावित क्षेत्र में सभी सम्भव सहायता दी जाती है इसलिये क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती ।

बिसौली, बदायूं में बागों के काटने के लिये प्रार्थना-पत्र

*49—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की तहसील बिसौली में बागों को काटने की कितने प्रस्ताव व दरख्वास्तें 1 मई, सन् 1971 को स्वीकृत हेतु पड़ी हुई थी और कितनी दरख्वास्तें इसके बाद और उनमें से कितनी स्वीकृत हुईं और कितनी खारिज हुईं तथा पिछली जो थीं उनमें कितनी स्वीकृत हुईं और कितनी खारिज हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

1 मई, सन् 1971 को कथित प्रकार का कोई प्रस्ताव अथवा दरख्वास्त स्वीकृति हेतु शेष नहीं था। 1 मई, सन् 1971 से 11 जुलाई, सन् 1972 के दरम्यान 81 दरख्वास्तें पेड़ काटने की इजाजत प्राप्त करने हेतु आईं जिनमें से 62 में स्वीकृति प्रदान की गई तथा शेष 19 खारिज हुईं।

शाहजहांपुर के चकबन्दी लेखपालों का वेतन

*50—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में कितने चकबन्दी के कार्य पर तैनात लेखपाल ऐसे हैं कि जिनको 1968 से 1970 तक कार्य अवधि में समय का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है और क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शाहजहांपुर जिले में चकबन्दी के कार्य पर तैनात कोई ऐसा लेखपाल नहीं है जिसे वर्ष 1968 से 1970 तक की कार्यवधि में कुछ समय का वेतन अभी तक नहीं दिया गया हो।

भरौहिया, गोरखपुर के निवासियों की चकबन्दी सम्बन्धी शिकायत

*51—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जुलाई, 1971 से 15 मार्च, 1972 तक गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सी० ओ० सर्किल खजनी के अन्तर्गत ग्राम भरौहिया (बागेवह) के निवासियों की ओर से आम रास्ते को चक में शामिल करने की शिकायतें मिली थीं ? यदि हां, तो सरकार ने कौन कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कौन-सा कारण है ? प्रार्थियों के नाम क्या हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। प्रार्थना-पत्र पर जांच के उपरान्त जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 48 (3) के अन्तर्गत रास्ते का वह क्षेत्रफल जो चकों में प्रविष्ट कर दिया गया था, चकों से बाहर कर दिया गया है और मौके पर तदनुसार पैमाइश भी करा दी गई है।

प्रार्थियों के नाम की सूची संलग्न परिशिष्ट (क) में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 1191 पर)

चकबन्दी अधिकारी, कादीपुर (सुल्तानपुर) के विरुद्ध शिकायत

*52—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकबन्दी अधिकारी कादीपुर जिला, सुल्तानपुर के विरुद्ध फर्जी यात्रा भत्ता गबन एवं अन्य गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित कोई ज्ञापन दिनांक

15-4-72 से दिनांक 25-4-72 के मध्य सरकार को मिला है ? यदि हां, तो ज्ञापन किस तिथि को प्राप्त हुआ और उसकी जांच जिसके द्वारा कराई जा रही है ? क्या सरकार उक्त ज्ञापन एवं उसके साथ संलग्नकों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। ऐसा ज्ञापन दिनांक 21 अप्रैल, 1972 को प्राप्त हुआ जिसमें उल्लिखित आरोपों की जांच श्री आर0 एन0 सिन्हा, उप संचालक चकबन्दी द्वारा कराई गई।

ज्ञापन तथा उसमें संलग्न श्री छेदा लाल वर्मा, चकबन्दी अधिकारी के माह मार्च, 1972 के यात्रा भत्ता बिल पर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा लगाये गये आपत्ति की प्रति संलग्न है। ज्ञापन के साथ प्राप्त उक्त चकबन्दी अधिकारी के माह मई, जून तथा जुलाई, 1971 के यात्रा भत्ता बिल की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में देखी जा सकती हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 1192 पर)

बुलन्दशहर के ढकौली ग्राम समाज की भूमि

*53--श्री हिम्मत सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ग्राम समाज ढकौली की जमीन भूमिहीन मजदूरों को नहीं दी गई है ? यदि हां, तो वह जमीन किसको दी गई है और उसके देने का आधार क्या है और जिनको जमीन दी गई है उन पर पहले कितनी जमीन मौजूद थी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

ग्राम सभा ढकौली की गांव सभा में निहित भूमि कुल क्षेत्र फल के 3 प्रतिशत से कम है। अतः उसे पट्टे पर उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील अतरौली, अलीगढ़ के ग्रामों की भूमि पर अधिकार

*54--श्री कल्याण सिंह तथा नेतराम सिंह (जिला एटा)--

विधान सभा के 1972 दिनांक 21-4-72 की कार्य सूची नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ की अतरौली तहसील के हारनपुर कलां, हारनपुर गैर अहतमाली, किरतोली एवं फतेहपुर ग्रामों की जो भूमि गंगा नदी की धारा में परिवर्तन होने के कारण गंगा के उत्तर दिशा में निकली हुई भूमि पर कहां-कहां के निवासियों तथा किस-किस का अधिकार है और क्या उक्त अधिकार तहसील अतरौली के अभिलेखों में अंकित है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

विधान सभा के वर्तमान सत्र के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री कल्याण सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर में दिनांक 21-4-72 को सदन को सूचित किया जा चुका है कि जिला अलीगढ़ और बदायूं के बीच राजस्व अधिकार क्षेत्र के लिये सीमा स्थायी है। अतः गंगा नदी की धारा के बदल जाने से जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली में स्थित हारनपुर कलां, हारनपुर गैर अहतमाली किरतौली एवं फतेहपुर गंग गांवों को जो भूमि नदी के दूसरी ओर चली गयी है, उसी जिले के ही अधिकार क्षेत्र में है और नियमानुसार इस भूमि पर अब भी उन्हीं कृषकों का अधिकार है जिनके खाते में यह धारा परिवर्तन के पूर्व सम्मिलित थी। प्रश्नगत भूमि का सर्वे कराने के उपरान्त ही रेवन्यू रिकार्ड में आवश्यक इन्द्राज सम्भव होगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः अभिलेखों में भी अभी तक संशोधन न होने का उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता।

*55—श्री शिवराज सिंह—

[9वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परगनाधिकारी चुनार मिर्जापुर के इजलास से मिसिल का गुम होना

*56—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जिले के परगनाधिकारी चुनार के इजलास से मुकदमा नम्बर 4 सन् 1962 श्याम देव चतुर्वेदी वर्सेज गोपाल वगैरह जिसका निर्णय 5 अक्तूबर सन् 1966 ई0 में हो चुका था, पूरी मिसिल उक्त इजलास से ही गुम हो गई है और संबंधित व्यक्तियों के बार-बार प्रार्थना पत्र न तो मिसिल रिकर्ड रूम में मिलती है और न उस पर उक्त निर्णय के आधार पर सरकारी कागज पत्रों में कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री उक्त घटना की पूरी जांच करा कर संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, घटना की जांच की जा रही है।

रामपुर खरहटा गोन्डा की परती भूमि

*57—श्री रामगोपाल सण्ड, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री रामसागर (जिला जौनपुर) तथा श्री शीतल प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम रामपुर खरहटा तहसील तरबगंज जिला गोण्डा में स्थित परती जमीन जिसका खसरा नं0 632/1–68, 633/46, 634/23 को बांटने के लिये जिलाधिकारी, गोण्डा को 16 मार्च, 1969 का कोई पत्र प्राप्त हुआ था और उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्र संख्या में भी ए० जी0 सी0 1, दिनांक 29–3–1969 द्वारा आश्वासन भी दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। श्री भगौती प्रसाद अर्दली का प्रार्थना–पत्र श्री जगदीश शरण अग्रवाल, अध्यक्ष विधान सभा के माध्यम से जिलाधिकारी गोण्डा को प्राप्त हुआ था। जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या ए0जी0सी0 71 दिनांक 29–3–69 द्वारा भूतपूर्व स्पीकर (श्री जगदीश शरण अग्रवाल) को उनके पत्र की प्राप्ति की सूचना देते हुये उस पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की सूचना दी थी। चूंकि चकबन्दी योजना के बाद रामपुर खरहटा में गांव सभा की कुल बची हुई भूमि आठ प्रतिशत से कम थी अतः प्रार्थी को उक्त ग्राम सभा की कोई भूमि आवंटित करना सम्भव नहीं था।

नया बाजार, लखनऊ के कर्मचारी एवं उसमें घाटा

*58—श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री दुर्जन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नया बाजार, लखनऊ बन्द हो जाने के बाद से बाजार के कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जा रहा है और उनको तनख्वाहें दे रही है या नहीं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

नया बाजार, लखनऊ में बिक्री बन्द हो जाने के बाद से वहां के कर्मचारियों को बाजार के पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में अपने-अपने चार्ज के भौतिक सत्यापन के कार्य पर लगाया गया। उन्हें सेवाकाल की तनख्वाह दी गई है।

*59—श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री दुर्जन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नया बाजार, लखनऊ में प्रति वर्ष घाटा होता रहा है और क्या घाटा निरन्तर बढ़ता ही गया ? यदि हां तो उस घाटे को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये और यदि नहीं उठाये गये तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां, नया बाजार, लखनऊ में वर्ष 1967–68 से प्रति वर्ष घाटा जरूर होता रहा है परन्तु घाटा निरन्तर बढ़ता नहीं गया। घाटे में कमी लाने हेतु बाजार का प्रबन्ध व्यय कम करने का सतत प्रयास किया गया और उसके पुनर्गठन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जो अभी भी जारी है।

भूमिधरी के लिये जमा बीस गुना लगान की वापसी

*60—श्री रमापति त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाने की सोच रही है कि ज०वि० एवं भूमि सुधार कानून की धारा 134 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकार पाने के लिये कृषकों द्वारा जमा की गई बीस गुना लगान की रकम भूमि के बैनामा किये जाने के पश्चात् वापस नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो क्या इस विधि को दो वर्ष पूर्व से प्रभावी करने का विचार है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। किन्तु यह मामला शासन ने रेवेन्यू कोड कमेटी को प्रस्तावित रेवन्यू कोड में आवश्यक प्राविधान करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु सौंप रखा है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत ग्राम सभा चंदुआडीहि की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*61—श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा चंदुआडीहि में कितनी भूमि पर तथा किन नम्बरों पर कितने और किन ग्रामीणों ने अनधिकृत रीति से कब्जा कर लिया है ? क्या 1961 ई० में प्रतापगढ़ के ए० एस० डी० ओ०, एम० एस० खान ने उक्त भूमिखंड से अनधिकृत कब्जे वालों को 212 ए० जेड० ए० और एल० आर० कानून के तहत बेदखल किया और तो भी अभी तक अनधिकृत कब्जा चला आ रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम सभा चंदुवाडीहि में गांव सभा भूमि पर छः व्यक्तियों ने 1374 फसली से अनधिकृत कब्जा किया है जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1961 में श्री एम०एस० खान, अतिरिक्त परगनाधिकारी, प्रतापगढ़ ने गाटा संख्या 1190/1–11–3, 1216/12–10–9, तथा 1473/8–3–6 कुल क्षेत्रफल 22–4–18 पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 212–ए के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जेदारी सर्वश्री भगौती दीन व उमराव को बेदखल करने का आदेश दिया था। उस पर उपरोक्त व्यक्ति ही काबिज हैं। क्यों तथा किन परिस्थितियों में उपरोक्त व्यक्तियों को बेदखल नहीं किया जा सका इसकी छानबीन की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 1194 पर)

रसायनशाला व उपभोक्ता भंडार कालपी के भू-खण्ड तथा भवन में रेस्टोरेन्ट

*62—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार को यह पता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मण्डल कालपी श्री तुलसीराम शुक्ल को उत्तर प्रदेश सरकार ने नायब तहसीलदार का क्वार्टर 32 एकड़ क्षेत्र रसायनशाला व उपभोक्ता भंडार चलाने हेतु शासनादेश स० 4311/17–प्र–67, दिनांक 3–4–1969 के द्वारा 1,500 रु० नजराना लेकर दिया गया ? यदि हां, तो यह भी सही है कि उक्त भ-खण्ड व भवन में एक रेस्टोरेन्ट उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। प्रश्न में कही गई बातें सही हैं। पट्टे पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल 0.15 एकड़ है।

लखनऊ के बाढ़ग्रस्त परिवारों को दी गई सहायता

*63—श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में 1971 में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त परिवारों को सरकार ने कितनी सहायता दी है ? क्या यह सत्य है कि बादशाहनगर पी० डब्लू० डी० कालोनी जो कि लगभग 13 दिनों तक पानी में डूबी रही, के परिवारों को सहायता नहीं दी गई ? यदि हां तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पीड़ित परिवारों को निम्नलिखित सहायता दी गयी—

1—8,948 व्यक्तियों को गृह-निर्माण अनुदान—5,39,330 रु०।

2—विशेष योजना के अन्तर्गत 34 व्यक्तियों को ऋण —1,52,000 रु०।

3—5 व्यक्तियों को गैर खेतिहर ऋण—8,000 रु०।

4—आटा 2,515 बोरा।

5—आलू 212 बोरा।

6—मिट्टी का तेल 8005 लीटर।

7—नमक 162 बोरा।

8—गुड़ 46 बोरा।

9—माचिस—135 दर्जन।

10—लकड़ी 1,572 मन।

11—मोमबत्ती 99 पैकेट।

बादशाहनगर पी० डब्लू० डी० कालोनी के सभी क्वार्टर सरकारी हैं। अतः किरायेदारों को गृह-निर्माण अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाढ़ के समय आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की गई थी।

*64—श्री रघुनाथ सिंह—

[10वें सोमवार में तारांकित प्रश्न 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुसाफिरखाना सुल्तानपुर में हरे वृक्षों के काटने की परमिट

*65—श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जनवरी सन् 1971 से 30 अप्रैल, 1972 तक तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर से हरे वृक्ष काटने के लिये किस-किस को परमिट प्रदान किये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मुसाफिरखाना से लगभग सवा तीन मील पश्चिम सड़क के बाईं ओर जो लगभग 25 या तीस आम के वृक्ष कटे तथा उक्त तहसील के गुन्नौर ग्राम में जो लगभग 10 या 12 पेड़ आम तथा महुए के हरे वृक्ष कटे उनकी भी परमिटें दी गई थीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करवा कर दोषित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उल्लिखित अवधि में तहसील स्तर पर ग्राम निहालगढ़ सैदा पटटी के निवासी श्री उम्मेदी के नाम केवल 1 परमिट 3 पेड़ काटने हेतु दिया गया। उक्त अवधि में मुसाफिरखाना से सवा तीन मील दूर 12 आम के हरे वृक्ष पी० डब्लू० डी० रोड की बाईं पटरी पर काटे गये जिनके काटने की अनुमति वन विभाग द्वारा मिली है। यह वृक्ष गांव सभा या खातेदार के नहीं हैं।

उल्लिखित अवधि में ग्राम गुन्नौर में कोई हरे वृक्ष नहीं काटे गये।

कानपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन बच्चों में पौष्टिक आहार का वितरण

*66—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर कानपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन व गरीब बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार (डबलरोटी, बिस्कुट, हलुआ) आदि की वितरण हेतु कोई योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो विगत वर्ष से अब तक इस सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि इस पर व्यय की गई है और क्या सरकार को इस अवधि में सूचना मिली है कि वितरित की जाने वाली वस्तुओं में धांधली हो रही है और ये चीजें बाजार में बिक रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

कानपुर नगर में शासन की ओर से एक विशेष पौष्टिक आहार योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत उक्त रोटी वितरित की जाती है। इस पर 30 जून, 1972 तक कानपुर नगर के सम्बन्ध में कुल रु० 16,37,758.45 पैसे व्यय हुआ है।

समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार की सूचना मिली थी, परन्तु जांच कराने पर उसमें सत्यता नहीं पाई गई।

मुरादाबाद जिले के सकतपुर ग्राम में अग्निकाण्ड

*67—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को मालूम है कि मास अप्रैल में इसी पखवारे में ग्राम सकतपुर, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद के गेहूं खलियान में इसी पखवारे में आग लगने से कितनी क्षति हुई और उनको राजस्व विभाग से क्या-क्या सुविधायें दी गयीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। 22 व 23 अप्रैल की मध्य रात्रि में खलिहान में आग लगने से अनुमानित 20,000 रु० की क्षति हुई है। प्रभावित व्यक्ति ने तकावी आदि किसी सहायता की मांग नहीं की। उनसे सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है।

फैजाबाद में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त कार्यों के लिये स्वीकृत धन

*68—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल की बाढ़ एवं अति वर्षा से क्षतिग्रस्त निर्मित कार्यों की मरम्मत तथा बाढ़ से सुरक्षा हेतु नये आवश्यक निर्माण-कार्यों के लिए फैजाबाद जिले में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और उसमें अब तक कितनी धनराशि किन-किन निर्माण-कार्यों पर व्यय की जा चुकी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों तथा पुलों की मरम्मत के लिए 17.55 लाख रुपया आवंटित हुआ था जिसमें 30-4-72 तक 15.77 लाख रुपया खर्च हुआ। सिंचाई विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त नहरों, पक्की कच्ची नालियों, साइफनों तथा मार्गों की मरम्मत के लिए 2,10,000 रु0 आवंटित किया गया था जिसमें से 1,68,326 रु0 खर्च हुआ।

फतेहपुर, बाराबंकी के तहसीलदार श्री बिहारीलाल के विरुद्ध शिकायतें

*69—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील में श्री बिहारी लाल कब से कब तक तहसीलदार के पद पर रहे और उस कार्यकाल में उनके विरुद्ध किन-किन की ओर से जिलाधिकारियों एवं सरकार को कौन-कौन शिकायती पत्र दिये गये तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील में श्री बिहारी लाल 5 जून, 1970 से 23 नवम्बर, 1971 तक एवं पुनः 1 मई, 1972 से 20 जुलाई, 1972 तक तहसीलदार के पद पर रहे। इससे इस कार्यकाल में इनके विरुद्ध जिलाधिकारी, बाराबंकी को वर्षा एवं बाढ़ में सरकारी सहायता के कथित गोलमाल करने तथा पद के दुरुपयोग करने के बारे में निम्नलिखित की ओर से पांच शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे —

(1) श्री राम सुचित अमीन।

(2) निवासीगण ग्राम उछरावां, कमौजा, जिगनी, जैंसिहपुर, पूरनपुर बरेठी आदि।

(3) निवासीगण ग्राम इसरौली।

(4) अन्य निवासीगण ग्राम इसरौली।

(5) निवासीगण ग्राम गौरा करौदी।

इसके अतिरिक्त श्री पुत्तू लाल वर्मा अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, बाराबंकी व अन्य की ओर से एक शिकायती पत्र शासन को भी अक्तूबर, 1971 में प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि तहसीलदार फतेहपुर ने श्री नत्थाराम विधायक की अवमानता की है। इसके साथ श्री नत्थाराम रावत विधायक का भी एक शिकायती पत्र बाढ़ एवं सरकारी सहायता के बांटने में अनियमितता के सम्बन्ध में संलग्न था।

उपरोक्त सभी शिकायती पत्रों पर जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जांच कराई गई। आरोप सिद्ध नहीं हुए।

*70—श्री नत्थाराम रावत—

उपरोक्त तहसीलदार के विरुद्ध सन् 1970 ई० तथा सन् 1971 ई० की वर्षा एवं बाढ़ में सरकारी सहायता में गोलमाल करने तथा पद के दुरुपयोग करने के कौन-कौन आरोप सही पाये गये और उनका निलम्बन किस आधार पर किया गया ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपरोक्त तहसीलदार के विरुद्ध वर्षा एवं बाढ़ में सरकारी सहायता में गोलमाल करने तथा पद के दुरुपयोग करने के कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

इनका निलम्बन इस कारण समाप्त किया गया कि जिस आरोप पर यह निलम्बित किए गए थे वह आरोप इतना गम्भीर नहीं था जिसकी वजह से इन्हें सेवामुक्त किये जाने का दण्ड दिये जाने की आवश्यकता होती ।

*71—श्री रामनगीना मिश्र—

[13वें बुधवार में तारांकित प्रश्न 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ में तहसील के भवन का निर्माण

*72—श्री हरीसिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1970 में लखनऊ में तहसील के भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकार की गई ? यदि हां, तो अभी तक तहसील भवन न बनने का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। भवन के प्लान व आगणन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार होने के उपरान्त कार्य की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आशा है कि भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा ।

*73—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[14वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टण्डन वन इलाहाबाद में लगाये गये वृक्ष

*74—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टंडन वन इलाहाबाद में कोई फलदार वृक्ष तथा इमारती लकड़ी वाले वृक्ष तैयार कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो वे वृक्ष कौन-कौन से हैं और वित्तीय वर्ष 1971-72 में कुल कितने ऐसे वृक्ष लगाये गए ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

टंडन वन इलाहाबाद में फलदार वृक्ष तथा इमारती लकड़ी वाले वृक्ष लगाये गये हैं। फलदार वृक्षों में आम, नीबू, कटहल, अमरूद, सन्तरा, केला, पपीता, महुआ और अनार हैं। इमारती लकड़ी वाले वृक्षों में शीशम और सागौन हैं। वित्तीय वर्ष 1971–72 में ऐसा कोई वृक्ष नहीं लगाया गया ।

टेस्ट वर्क के अन्तर्गत सड़कों के निर्माणार्थ जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा मांगा गया धन

*75—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को पता है कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी ने टेस्ट वर्क के अन्तर्गत सड़कों पर मिट्टी डालने आदि के लिए 8 लाख रुपये की मांग जनवरी, मार्च, 1972 तक की थी। यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। पहले दो लाख रुपए स्वीकृत किये गये थे बाद में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने 6 लाख रुपए की और मांग की थी पर 31-3-1972 तक उक्त दो लाख रुपये में से केवल 1,20,000 रुपये खर्च किये गये और वित्तीय वष की समाप्ति पर 80,000 रु० बच रहे। अतएव बाकी मांग पूरी करने का प्रश्न नहीं उठा।

अतारांकित प्रश्न

अल्मोढ़े के पटवारियों, कानूनगोओं तथा एस० डी० एम० द्वारा किये गये अनियमित कार्य

1—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तारीख 12 अप्रैल, सन् 1972 की रात्रि में श्री विभाण्डेश्वर ब्लाक द्वारा हाट तहसील पाली रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में हुए बिसवती (विखौती) मेले में इन्तजाम के लिए तैनात कानूनगो और पटवारियों ने मेले में लगी तमाम छोटी-छोटी दुकानों और फड़ों वालों से जबरन पांच-पांच रुपया हर व्यक्ति से वसूला और उसकी रसीद नहीं दी? पांच रुपया न देने पर कई को बुरी तरह से पीटा? यदि हां, तो सरकार इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

2—क्या सरकार को यह पता है कि कानूनगो रानीखेत द्वितीय सर्किल (द्वारा हाट सर्किल) जिला अल्मोड़ा कुछ पटवारियों व अपने पटवारियों के चपरासियों के साथ अप्रैल, 1972 के द्वितीय सप्ताह में प्रश्नकर्ता के गांव कोड़े पट्टी विचला क्षेत्र ब्लाक द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में बुरी तरह शराब पीकर आये और ग्रामवासियों को आतंकित किया? यदि हां, तो सरकार उक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

3—क्या द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में इस वर्ष 14 अप्रैल को दिन में लगे स्यालदे मेले में एस० डी० एम० रानीखेत ने मेले के प्रत्येक दुकानदार से 25 रु० प्रति दुकानदार वसूला (जबरन), क्या इस वसूलयाबी की रसीदें दी गई थीं? यदि नहीं, तो क्यों और किस निमित तथा किसके आदेशों से वह वसूलयाबी की गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।
जी नहीं, प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।
जी नहीं, प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

मिर्जापुर के भूमि बन्धक बैंक से ट्रैक्टर क्रय ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

4—श्री रामनिहोर राय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के भूमि बन्धक बैंक में जनवरी, सन् 1971 से मार्च, 1972 तक ट्रैक्टर क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन-पत्र दिये गये तथा उसमें कितने व्यक्तियों को स्वीकृति की गई?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जनपद मिर्जापुर में स्थित भूमि विकास बैंक की शाखाओं में जनवरी, 1971 में मार्च, 1972 तक ट्रैक्टर क्रय करने हेतु 46 ऋण प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 27 ऋण प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये।

गोरखपुर जिलान्तर्गत चकबन्दी का कार्य

5—श्रीमती मसाली देवी—

राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बासगांव तहसील में सी० ओ० सर्किल कौड़ीराम, सी० ओ० सर्किल पकड़ी, सी० ओ० सर्किल बांसगांव एवं सी० ओ० सर्किल, खजनी, उरुवा सिकरीगंज में कितने गांवों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका है उन गांवों के नाम क्या हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सी० ओ० सर्किल कौड़ीराम से 58 ग्रामों में, सी० ओ० सर्किल पकड़ी में 5 ग्रामों में, सी० ओ० सर्किल बांसगांव में 19 ग्रामों तथा सी० ओ० सर्किल सिकरीगंज में 12 ग्रामों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका है। सी० ओ० सर्किल ऊरुवा तथा सी० ओ० सर्किल, खजनी में किसी भी ग्राम में अभी चकबन्दी का कार्य समाप्त नहीं हुआ। जिन ग्रामों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो गया है उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट (क) में दी हुई है।

6—श्रीमती मसाली देवी—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उनमें कितने गांव ऐसे हैं जहां हरिजन आबादी नहीं छोड़ी गई है? इन गांवों के नाम क्या हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसे ग्राम 21 हैं जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट (ख) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 1195 पर)

सहारनपुर में हरिजनों को प्रदान किया गया अनुदान

7—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में सन् 1972 में 20-4-72 तक कितने हरिजनों को कुआं एवं मकान बनवाने के अनुदान प्रदान किये हैं और उनमें बाल्मीकि (मेहतर) समाज के हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जिला सहारनपुर में प्रश्नगत अवधि में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को 4 कुओं, 101 हैण्डपम्पों तथा 34 मकानों के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये। इनमें से 3 हैण्ड पम्पों तथा 3 मकानों के अनुदान गृहीता बाल्मीकि वर्ग के थे।

रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, लखनऊ के कर्मचारी

8—श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ के सहकारी निरीक्षक, ग्रुप 2 के कर्मचारी उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक में विभिन्न जिलों में डेपुटेशन पर कार्यरत हैं? क्या बैंक उन्हें अपने मूल विभाग में वापस कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, लखनऊ ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि सभी ऐसे प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापिस कर दिया जाय।

हरदोई जिले के ग्राम सभाओं में सीलिंग से निकाली भूमि का वितरण

9—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद के पिहानी ब्लाक एवं शाहाबाद ब्लाक की ग्राम सभाओं में सीलिंग से निकली भूमि किन-किन भूमिहीनों को दी गयी ? उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद के पिहानी ब्लाक तथा शाहाबाद ब्लाक की ग्राम सभाओं में सीलिंग में निकली भूमि तथा उनके वितरण का विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) पिहानी ब्लाक:—इस ब्लाक के पांच गांव सभाओं के पांच गांवों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 अन्तर्गत 9.84 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी जिसमें से 8.06 एकड़ भूमि चकबन्दी क्रियाओं में अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित की जाने पर शेष 1.78 एकड़ भूमि कृषक होने के कारण उसे कोई व्यक्ति पट्टे पर लेने को तैयार नहीं हुआ। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

(2) शाहाबाद ब्लाक—इस ब्लाक की 24 गांव सभाओं के 24 गांवों में 693.84 एकड़ अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी। इसमें से 678.68 एकड़ भूमि कृषि योग्य थी। कृषि योग्य भूमि में से 132.10 एकड़ भूमि 120 व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आवंटित की गई, जिनमें से 31 हरिजनों को 33.32 एकड़ भूमि दी गयी। तथा 276.55 एकड़ भूमि 230 भूमिहीनों को स्थायी रूप से आवंटित की गयी। जिनमें से 48 हरिजनों को 59.05 एकड़ भूमि दी गयी। जिन व्यक्तियों को भूमि दी गयी उनकी सूची† संलग्न है। 26.48 एकड़ भूमि के वितरण हेतु तहसील स्तर पर प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं, जिनमें हरिजनों को भूमि देने में प्राथमिकता का प्रस्ताव है।

एटा जिले में चकबन्दी का कार्य

10—श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अलीगंज, जिला एटा में चकबन्दी की कार्यवाही अलीगंज, राजा का रामपुर, धुमरी, जैनरा तथा खरसुलिया मौजों में कौन-कौन सी तारीखों को प्रारम्भ हुई थी ? अब इन मौजों में चकबन्दी किस स्टेज पर है ? यदि वहां चकबन्दी समाप्त नहीं हुई है तो क्यों नहीं, और वह कब तक समाप्त होगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील अलीगंज, जिला एटा के अलीगंज, राजा का रामपुर, धुमरी, जैथरा तथा खरसुलिया मौजों में चकबन्दी क्रमशः दिनांक 1 दिसम्बर, 1965; 31 अक्तूबर, 1966; 23 नवम्बर, 1965; 21 नवम्बर, 1965 तथा 23 नवम्बर, 1965 को प्रारम्भ हुई थी। इन में से ग्राम धुमरी, जैथरा व खरसुलिया में चकों पर कब्जे की तब्दीली के पश्चात् अन्तिम अभिलेख लगभग तैयार हो चुके हैं। शेष दो ग्रामों में (अर्थात् अलीगंज व राजा का रामपुर) में अन्तिम अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं।

---

†छापी नहीं गयी।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

चकबन्दी कार्य में देरी स्वत्वों के वादों के अत्यधिक जटिल तथा विवादग्रस्त होने के कारण हुई। यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त लिखित ग्रामों में चकबन्दी का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूर्णतया समाप्त हो जायेगा।

तहसील मेजा, इलाहाबाद के बाढ़ क्षेत्रों में अनुदान

11—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद तहसील मेजा में बाढ़ प्लावन एवं अति वृष्टि के कारण जिनके घर इस वर्ष गिरे हैं उनको शासन की ओर से कोई अनुदान एवं ऋण दिया गया है? यदि हां, तो कितना और किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इलाहाबाद जिले की तहसील मेजा में वर्ष 1971 में बाढ़ प्लावन एवं अतिवृष्टि के कारण जिन व्यक्तियों के घर गिरे उनको 5,400 रुपये ऋण तथा 1,500 रुपये अनुदान दिया गया जिसका ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 1199 पर)।

कानपुर जिले में चकबन्दी का कार्य

12—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की तहसील कानपुर में चकबन्दी किये जाने का गजट कब किया गया था और चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त किया जाना था? क्या यह सही है कि यहां के सपई, भैरवपुर, कठारा सीढ़ी इटारा, रहनस, महराजपुर आदि गांवों में धारा 52 का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो कब तक हो जायगा?

श्री उदित नारायण शर्मा---

तहसील कानपुर, जिला कानपुर का उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्रख्यापन 29 अगस्त, 1964 को हुआ था और कार्य लगभग 36 माह में पूरा हो जाना चाहिये था। यह सही है कि ग्राम सपई,भैरमपुर,कठरा, सीढ़ी इटारा, रहनस, महराजपुर आदि गांवों में चकबन्दी अधिनियम की धारा52 का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है।

ऐसी अशा है कि ग्राम सीढ़ी व इटारा का प्रख्यापन माह अगस्त, 1972 के अन्त तक तथा ग्राम भैरवपुर व महराजपुर का प्रख्यापन माह अक्तूबर, 1972 तक हो जायेगा। ग्राम रहनस, कठारा व सपई में धारा 52 की विज्ञाप्ति सम्भवतः मार्च, 1973 के अन्त तक जारी करा दी जायेगी।

मेरठ जिले के अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्तियां तथा हरिजनों के लिए कुओं का निर्माण

13—श्री मंजूर अहमद—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1970 से मार्च, 1972 तक अलग-अलग वर्षों में कितनी धनराशि मेरठ जिले में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए स्वीकृत की गयी?

डाक्टर सीताराम—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 1200 पर)।

14—श्री मंजूर अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1970–71 और 1971–72 की अवधि में मेरठ जिले में हरिजनों की सुविधा हेतु कितने कुएं बनवाये गये ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1970–71 एवं 1971–72 में क्रमशः 8 एवं 7 कूप बनवाये गये। इनके अतिरिक्त वर्ष 1971–72 में 69 हैण्ड पम्प भी लगवाये गये।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव, कानपुर का स्थानान्तरण न किया जाना

15—चौधरी रामपालसिंह यादव—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ने कानपुर में किन-किन पदों पर कार्य किया है ? और कानपुर जनपद में कब से हैं ? इनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्री एस० सी० शुक्ला, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जून, 1967 से 10 जुलाई, 1972 तक कानपुर में रहे और उन्होंने उस अवधि में निम्नलिखित पदों पर कार्य किया :—

(1) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लि०, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान जून, 1967 से 16 अगस्त, 1969 तक कानपुर में तैनात रहे।

(2) दिनांक 17–8–69 को उक्त संघ में प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर उन्होंने दिनांक 13–7–70 तक अतिरिक्त सहायक निबन्धक कानपुर के पद पर कार्य किया।

(3) दिनांक 14–7–70 से दिनांक 10–7–72 तक वह जिला सहायक निबन्धक, कानपुर के पद पर कार्यरत रहे।

(4) दिनांक 11–7–72 से इनका स्थानान्तरण कानपुर से कर दिया गया है।

गोरखपुर जिले में हरिजन कालोनी के निर्माणार्थ प्रार्थना-पत्र

16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोरखपुर के किन-किन गांवों से सम्बन्धित हरिजनों एवं प्रश्नकर्त्ता ने हरिजन कालोनी, आवास व्यवस्था के अन्तर्गत सन् 1971 ई० के माह जुलाई से दिसम्बर तक कितने प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुये ? क्या इसमें ग्राम विशुनपुरा मीठाबेल, ब्रह्मपुर, राजी जगदीशपुर एवं भैरवपुर भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष (1972–73) में किन-किन गांवों में कालोनी बनवाने जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

शासन को प्रश्नगत अवधि में जनपद गोरखपुर के हरिजनों एवं प्रश्नकर्ता से हरिजन आवास व्यवस्था के अन्तर्गत कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

ग्राम सभा रजही (गोरखपुर) के काश्तकारों का चकबन्दी कराने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

17—डाक्टर हरि प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महादेव झारखंडी टुकड़ा नम्बर 3 गांव सभा रजही सदर तहसील, जिला गोरखपुर के काश्तकारों का दिनांक 18 फरवरी, 1972 को चकबन्दी निदेशक के पास प्रार्थना-पत्र आया था कि उक्त ग्राम की भी चकबन्दी करा दी जाय ? यदि हां, तो चकबन्दी कराने में और क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित काश्तकारों का दिनांक 18 फरवरी, 1972 का प्रार्थना-पत्र दिनांक 19 फरवरी, 1972 को चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इस पर आवश्यक जांच के पश्चात् प्रश्नगत ग्राम को दिनांक 5 मई, 1972 से चकबन्दी योजना में शामिल कर लिया गया है। अतः उक्त ग्राम में चकबन्दी कराने में कोई कठिनाई नहीं है।

उत्तरकाशी जिले के धराली ग्रामवासियों को आर्थिक सहायता

18—श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1971 में उत्तरकाशी जिला की पट्टी टकनौर के धराली गांव को जो भयंकर अग्निकाण्ड से क्षति हुई थी उस गांव के क्षतिग्रस्त निवासियों को क्या आर्थिक सहायता अब तक दी गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम धराली में सन् 1971 में कोई अग्निकाण्ड नहीं हुआ था। 7/8 जनवरी, 1972 को रात्रि में अग्निकाण्ड हुआ जिससे लगभग 2 लाख रुपये की क्षति अनुमानित की गयी व 68 परिवार प्रभावित हुये। प्रभावित व्यक्तियों को 5,900 रु0 की अहेतुक सहायता नकद व सामान के रूप में तुरन्त दी गयी। जिन 66 परिवारों के अपने मकान उक्त ग्राम में थे उन को कुल 19,800 रु0 गृह निर्माण अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त लकड़ी का भी प्रबन्ध किया गया। तकावी ऋण को किसी ने मांग नहीं की अतः तकावी नहीं वितरित की गयी।

गोरखपुर जिले के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को अनुदान

19—श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसीलों में बाढ़ एवं अति वृष्टि से प्रभावित निवासियों के लिए असहाय सहायता, भवन निर्माण सहायता, बैल तकावी तथा भवन निर्माण के लिए अलग-अलग कितना धन 1971–72 में दिया गया तथा कितना-कितना वितरित किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अपेक्षित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 1201 पर)।

फारेस्ट रेंज चकरिया दुद्धी वन खंड, तुर्रा, मिर्जापुर में बांस का ठेका

20—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्ट रेंज चकरिया दुद्धी वन प्रखण्ड, तुर्रा, मिर्जापुर के अन्तर्गत आने वाले वांस जंगलातों का जो ठेका दिया जाता है या पट्टा किया जाता है उससे गत 5 वर्ष में आय क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

फारेस्ट रेंज चकरिया दुद्धी वन प्रखण्ड तुर्रा मिर्जापुर के अन्तर्गत आने वाले बांस जंगल लाटों के ठेके से गत 5 वर्षों में निम्नलिखित आय हुयी है —

वर्ष	आय (रुपयों में)
1967–68	2,95,200
1968–69	3,91,600
1969–70	3,52,400
1970–71	1,44,300
1971–72	3,05,900
योग ..	14,89,400

21—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जंगल बांस लाटों का ठेका या पट्टा सन् 1962 से आज तक किन-किन ठेकेदारों को कितने-कितने वर्षों के लिये दिया गया है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

उक्त जंगल बांस के लाटों का ठेका सन् 1962 से वर्ष 1964–65 तक नहीं दिया गया। वर्ष 1965–66 से 1971–72 तक ये लाट निम्नलिखित ठेकेदारों को एक वर्ष के लिये नीलाम द्वारा बेचे गये :—

वर्ष	ठेकेदारों का नाम
1965–66 ..	(1) श्री झब्बू लाल
	(2) श्री अब्दुल जब्बार खां
1966–67 ..	(1) श्री शिव लोचन प्रसाद
	(2) श्री झब्बू लाल
	(3) सर्वश्री रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
1967–68 ..	(1) सर्वश्री रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
1968–69 ..	(1) सर्वश्री रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
1969–70 ..	(1) सर्वश्री रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
1970–71 ..	(1) सर्वश्री रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
1971–72 ..	(1) सर्वश्री रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
	(2) श्री तुलसीदास जायसवाल

ग्राम मलेहरा (बांदा) में हरिजनों के लिये जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार

22—श्री दुर्जन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ग्राम मलेहरा–निवादा, तहसील नरैनी, जिला बांदा में हरिजनों के लिये जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले में नारायणी की बाढ़ से हुई मृत्यु

23—श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में गत वर्ष नारायणी की बाढ़ से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितनी आर्थिक क्षति हुई और कितने ग्राम इससे प्रभावित हुये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

नौ व्यक्तियों की मृत्यु हुयी । चालीस प्रभावित ग्रामों में अनुमानतः 1,94,96,000 रुपये की क्षति हुयी ।

स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती पर दलों के नेताओं को भाषण देने के अवसर की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न मैंने आपको लिखकर दिया है.....

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि इस 14 अगस्त को आजादी की रजत जयन्ती बड़े धूमधाम से मनायी जायेगी और इस सदन में भी आयोजन होगा। पता चला है कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान निकला है कि इस अवसर पर वे भाषण देंगे कांग्रेस की तरफ से। किन्तु उसमें विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया जायेगा। मेरे दल ने इस विषय पर विचार किया है और यह मांग की जो बड़े-बड़े दल हैं इस सदन में उनको भी इस शुभ-अवसर पर बोलने का और अपने विचार और खुशी प्रकट करने का मौका दिया जाय..

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त यह प्रश्न सामने नहीं है और मैं समझता हुं कि आपने ही इसे उठाया है। इस संबंध में और दलों के जो नेता हैं जब उनके साथ मेरी बात हो जायेगी, मै एक मीटिंग यहां बुला लूंगा। मेरा आमंत्रण सबके लिये है . . .

श्री एस० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

श्रीमन्, मेरी तरफ भी आप निगाह डालने की कृपा करें। मैं अपने दल का एक ही नुमाइन्दा हूं और एक कम्युनिटी को रिप्रेजेन्ट करता हूं। इसलिये मुझे भी इस अवसर पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

अविश्वास प्रस्ताव पर श्री चरणसिंह द्वारा कही गई बातों के संबंध में श्री चन्द्रभानु गुप्त का वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य रहा है कि दो दिन तक अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में सदन के नेता और विरोध पक्ष के नेता का भाषण हुआ, जिसमें और माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कहीं, मैं सदन में उपस्थित न रह सका। मैं थोड़ी देर के लिये यहां पर अवश्य था परन्तु जब मुख्य व्यक्तियों के भाषण हुये, मैं यहां पर उपस्थित नहीं था। कल माननीय चरणसिंह जी का भाषण नेता सदन के भाषण के जवाब में हुआ और उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने सन् 67 से 70 तक की कुछ घटनाओं की चर्चा की है.....

श्री अध्यक्ष—

आप व्यक्तिगत बयान देना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, मैं व्यक्तिगत बयान देना चाहता हूं और वह इसलिये कि गणतंत्र की तवारीख में और उसकी परम्पराओं के इतिहास में कुछ ऐसी बातें समाविष्ट न कर दी जांय जो वास्तविकता से परे हों.....

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। गुप्ता जी को आप बोलने का मौका देते हैं तो मेरे ख्याल से यह नहीं होना चाहिये क्योंकि इस विषय पर दो रोज बहस हुई है और कई लोग खड़े हो सकते हैं कि हम उपस्थित नहीं थे। कल कोई साहब इधर से उधर हो सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे मुताल्लिक बातें कहीं गई हैं। इसलिये मैं आज उस पर रोशनी डालना चाहता हूं, अपनी सफाई देना चाहता हूं। इसलिये आप सभी बातों पर विचार कर लें कि आगे क्या हो सकता है। मैं आपसे चाहूंगा कि जब गुप्ता जी कहें तो मुझे भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिये।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। बस जो भाषण हुआ....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इसके पहले कि शर्मा जी बोलें, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चौधरी साहब ने कहा और उनके भाषण में एक बात आ गई कि जब गुप्ता जी की कैबिनेट बनेगी तो उसमें क्या कार्यक्रम होगे, उसकी जिम्मेदारी गुप्ता जी की थी। इसलिये वे अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण करेंगे इसमें चौधरी साहब के सिवाय और किसी को कहने की गुंजायश का सवाल नहीं होना चाहिये। वे तो अपनी बात को कह सकते हैं कि बात ऐसी नहीं थी। तो उनको अधिकार है अपनी बात को कहने का।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर। कल माननीय चरण सिंह ने जो कुछ यहां कहा उसकी आज मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन यह मानी हुई परम्परा है और जनतंत्र प्रणाली में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

सब जगह परम्परा है कि इस सदन में जब कोई बोले तो अपने को इतना संयत करके बोले कि जिससे और लोगों के बारे में व्यक्तिगत आक्षेप न करे। और यदि वह ऐसा करे तो मैं समझता हूं कि दूसरे को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। कल चौधरी साहब ने जो कुछ कहा—क्योंकि वे तो अपने सिवा और किसी को अच्छा समझते ही नहीं हैं, यह कहा कि इनकी वजह से हमारी प्रतिष्ठा गिर गयी, उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा गिर गयी, आदि आदि। इस तरह से उनका बोलना कहां तक मुनासिब था और उसके बाद जब मैं बोलने के लिये उठा तो उनके दल वालों ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी और यह सम्भव नहीं था कि उपाध्यक्ष महोदय उसे कंट्रोल कर पाते। जब मेरे लिये कोई बात कही गयी तो उसका जवाब उनको सुनना चाहिये था।

आज तो चाहे आप उनकी बात सुनने के बाद इनकी भी सुन लें लेकिन आयन्दा के लिये कोई ऐसी परम्परा कायम करें कि यह नहीं हो कि चौधरी साहब बड़े लीडर हैं इसलिये वे तो जिसके ऊपर जो चाहे आक्षेप करें और दूसरा जब उनका जवाब देने के लिये खड़ा हो तो उसको बोलने ही न दिया जाय। इसमें यह नहीं देखना चाहिये कि कौन किससे छोटा और कौन बड़ा है। बिना इसका खयाल किये हुये सब को मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, आप किस तरह की परिपाटी चाहते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस विषय में कोई निर्णय लेने और राय देने का अधिकार आपको ही है। क्या संसदीय प्रणाली है और जब अविश्वास का प्रस्ताव आवे, उसपर बहस समाप्त हो जाय, अविश्वास के प्रस्ताव पर बहुत सी बातें कही जाती हैं इधर से और उधर से और कही गयीं और समाप्त हो गयी बहस और उसके बाद वोट हो गया, निर्णय हो गया, तो अब उन भाषणों में जो बातें कही गयीं, अगर किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप हुआ हो तो उसकी यह मांग करना कि उसे सफाई देने का मौका मिले यह एक बात देखने में आती है और हो सकती है। दूसरी बात यह भी हो सकती है अगर कोई बात कही जाय और दूसरे सज्जन फिर उसका जवाब देना चाहें, चाहे वे चौधरी साहब हों या कोई और हो, तो हमारी परम्परा क्या हो, इस विषय में क्या हो सकता है, और क्या होना चाहिये, इस पर निर्णय आपका ही हो सकता है और आपको ही करना चाहिये। और किसी व्यक्ति विशेष से राय लेने की बात नहीं है। एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और उस व्यवस्था के प्रश्न पर आपको निर्णय लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं, अगर केवल पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो और आक्षेप दूसरे के ऊपर न हो तब तो मैं इजाजत दे दूंगा, लेकिन फिर उसको बोलने का अधिकार न होगा। लेकिन दूसरे पर आक्षेप आप करते हैं यह कहते हुये कि यह गलत है तो उनको कहने का मौका मिलना चाहिये कि मैंने सही कहा यह बात है। उसके ऊपर थोड़ा प्रतिवाद कर सकता है कि यह बात सही है। अगर वह एग्री नहीं करते हैं तब बोल सकते हैं और एग्री करते हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरा तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने का नहीं है। परन्तु वास्तविकता क्या है, उसको सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि सदन उन तमाम बातों से अनभिज्ञ रहे, जो बातें उस समय में बीती हैं और जिनकी चर्चा सदन में कल की गयी। सन् 1967 के विषय में चौधरी साहब ने जब मंत्रि-परिषद् का गठन हो रहा था तो उन्होंने मेरे समक्ष यह बात कही थी कि वे कुछ नये आदमियों को रखना चाहते हैं और कुछ पुरानों को रखना नहीं चाहते हैं। कुछ पुरानों के विषय में उन्होंने आपत्तियां की थीं तो मैंने काफी मात्रा में उनकी बातों

को स्वीकार करते हुये उस समय उनसे निवेदन किया था कि जिन व्यक्तियों के विषय में उन्हें आपत्ति है उनके विषय में वे ब्योरे से बतायें। केवल भ्रान्तियों की बुनियाद पर मैं अभी फैसला करूं कि किस व्यक्ति को न रखा जाये, ठीक नहीं होगा। दो व्यक्तियों के विषय में, मेरे सामने उन्होंने दो नाम पेश किये थे एक श्री उदितनारायण शर्मा का और दूसरा मुरादाबाद के श्री विशनलाल का। उस समय मैंने निवेदन किया था कि अभी तो मैं छोटा सा केबिनेट बना रहा हूं। बाद में जिन लोगों के विषय में उन्हें आपत्ति है, जब उनके विषय में बात तय हो जायेगी और बात साफ हो जायेगी तो हम फिर तय करेंगे कि कौन कौन और नये आदमियों को कैबिनेट में लिया जाय। वैसे उस समय जो आदमी कैबिनेट में रखे गये थे उनमें से करीब आधे नये थे और करीब आधे पुराने थे। जिस विशेष व्यक्ति का नाम उनकी तरफ से रखा गया था वह श्री फूलसिंह का था। उनको भी मंत्रि–परिषद् के सदस्य के रूप में रखा गया था।

यह कथन कि मैंने उनके सुझावों पर विचार नहीं किया और उन्हें कोरा जवाब दे दिया, मैं ऐसा मानता हूं और मैं ठीक समझता हूं कि वह वास्तविकता से परे है। आज प्रातः मैंने अपनी फाइल देख डाली और जिनके विषय में उन्हें आपत्ति थी उनके विषय में मैंने निशान देख लिये, जो उन्होंने उसमें लगाये थे। बाद में मुझे पता चला कि वह व्यक्ति जिनके नाम पर उन्हें आपत्ति थी यह जब स्वतः मुख्य मंत्री बन गये तो खुद उनके पास गये और कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें मंत्री बना लेंगे। यह बात उस समय की है। मैं व्यक्तियों के नाम लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे खामख्वाह लोगों के विषय में भ्रान्ति पैदा होगी क्योंकि चौधरी साहब के विचार किसी के बारे में एक समय में अच्छे बनते हैं और एक समय में अच्छे नहीं बनते हैं। श्री उदित नारायण शर्मा के विषय में 1967 में उनके अच्छे विचार थे और बाद में वे बदल गये।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह शायद 13/14 मार्च की बात है, जब कैबिनेट का गठन हुआ था। लिस्ट भी उसी दिन गई थी। उसमें चौधरी साहब का भी नाम था लेकिन उन्होंने ओथ लेने से मना कर दिया और वे वहां गये भी नहीं। उनके कल के भाषण को मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने कई बातें मेरे सिलसिले में मेरे कारनामों के सिलसिले में कह दी। खैर मैं उसके विषय में कहना नहीं चाहता हूं और न अपने कारनामें क्या थे, उनके क्या थे उसको कहना चाहता हूं। और किस तरह की बात उन्हें कहनी चाहिये मुझे नहीं बतलाना है, वे विधान सभा के पुराने सदस्य हैं और यहां की प्रणाली से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कई वर्षों तक मेरे साथ काम किया है और वे मेरे गृह मंत्री और एग्रीकल्चर मंत्री भी रहे हैं। वे मेरे स्वभाव से परिचित हैं तथा उन विचारों से जो 1963 में मुख्य मंत्री के उत्तरदायित्व और अधिकार के विषय में व्यक्त पत्रों द्वारा व्यक्त कर चुका हूं और उन तमाम बातों के बाद भी उन्होंने यह बात कही है, वह मुझे मुनासिब नहीं लगती, न्यायसंगत नहीं लगती और सही नहीं मालूम देती।

जहां तक 1970 के विषय की बात है, मैं जब बीमार था मैंने इस्तीफा दिया था तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस्तीफा तब दिया था जब मेरे कई साथी गण जो उधर चले गये हैं, जो उन से बातें (चौधरी राहब से) किया करते थे, उन से मिला करते थे और जिन्होंने उस वक्त डा0 राम सुभग सिंह जी को यहां बुला लिया था, उनसे और चौधरी साहब से बातें की थीं और डाक्टर राम सुभग सिंह उनके यहां से कोई एक पत्र इस्तीफे का राज्यपाल के नाम लिख करले आये थे। क्योंकि मैं उस वक्त बीमार था और मुझे काफी तकलीफ थी और डाक्टर मुझे मना करते थे कोई काम करने के लिये मैंने उस इस्तीफेपर डाक्टर साहब से जानकर कि उन्होंने सब बातें चौधरी साहब से तै करली हैं दस्तखत किये। उस में लिखा हुआ था कि सब दल जनसंघ, स्वतन्त्र, सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इत्यादि मेरे साथियों के साथ सब उन की मदद करेगा। ये सब वे दल थे जिन्होंने जब चौधरी साहब ने 14–15 या 16 आदमियों के साथ डिफेक्शन किया था, मालायें पहनायी थी और डिफेक्शन को प्रोत्साहन दिया था और इस प्रदेश में पहली बार डिफेक्शन का कांड करवाया था। उस समय यह सब बात इस तरह से हुई थी। 1970 में चौधरी साहब मुझ से

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मिलने उसी रात्रि को आये जब मेरा इस्तीफा गवर्नर के यहां चला गया और जब उनको यह समाचार मिल गया कि मेरा इस्तीफा उनके पास पहुंच चुका है। उस वक्त डाक्टर भी मेरे पास मौजूद थे और कुछ और लोग भी मौजूद थे उनके सामने चौधरी साहब ने कहा कि सब ठीक है, मैंने तो ज्यादा ब्योरे में उस वक्त बात नहीं की थी, बात करने वाले मेरे 3–4 साथी और थे जो उधर बैठे हैं वह कुछ बता सकते हैं। मैं स्वतः इस्तीफा देने का हामी नहीं था, मैं उन व्यक्तियों में से रहा हूं कि अपनी नीतियों को सदन में उनको प्रस्तुत करें और सदन उनसे सहमत न हो अ उन नीतियों का वह समर्थन न करे और सरकार को गिरा दें तो तुरन्त इस्तीफा दे दूं मैंने सन् 67 में बिना अपने कैबिनेट की सलाह लिये हुये ही सदन में फौरन इस्तीफे की बात कह दी थी यद्यपि उस समय हमारे हाई कमान्ड ने इस पर आपत्ति भी की थी कि मैंने बिना उनसे पूछे हुये इस्तीफे ही की बात क्यों कह दी। लेकिन मैं तो सदैव इस विचार का रहा हूं कि अगर मेरे साथियों और संगठन ने मुझे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री मुझ में विश्वास रखकर बनाया है तो यह मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं किस स्थिति में किस प्रकार से काम करूं। अवश्य ही साथियों से सलाह करना मेरा कर्तव्य होता है। लेकिन उसके बाद अन्तिम फैसला लेने का मेरा कर्तव्य होता है मुख्य मंत्री के नाते और सदन के नेता के नाते। यदि मेरे बन्धुगण मेरी कर्तव्यपरायणता से सहमत न हों तो उन्हें अधिकार रहता है कि वह मुझे हटा दें। ऐसी नीति ही मैं बराबर दस पन्द्रह साल से जब भी जिम्मेदारी की जगह मेरे सुपुर्द हुई है। यह कहना कि सन् 67 में जो इस प्रदेश में कांड हुआ वह मेरी कुरीतियों, मेरी डिक्टेटरशिप और खराबी के कारण हुआ, सत्य नहीं है। इसके पीछे कुछ और बातें छिपी हुई थीं और वह बात वह साथी प्रकट कर सकेंगे जो उस समय चौधरी साहब के नजदीक थे, उनके पास जाते आते थे, नाना देशमुख साहब जिन को मैं नाना फड़नवीस कहता हूं उनके पास जाते आते थे और वह बहुत सब्ज बाग चौधरी साहब को बराबर दिखा रहे थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाटी (जिला बस्ती)—

आप गलत नाम से उनको पुकारते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

नाना फड़नवीस तो बहुत बड़े आदमी हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के रहे हैं, वह तो बहुत अच्छा नाम है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें यहां कल माननीय नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने कल कही हैं और जिन का मुझ से सम्बन्ध है उनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण इस तरह से है जिस तरह से कि मैंने अभी सदन के समक्ष रक्खा है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री चरण सिंह से) आप संक्षेप में ही कहिये।

श्री चरण सिंह—

संक्षेप में ही कहूंगा। मैं सिर्फ अपने दोस्तों से यह अर्ज करना चाहता हूं...

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, मैं पहले यह निवेदन कर दूं कि पहले आप यह हल कर लें कि गुप्ता जी की बातों में कोई आक्षेप रहे हों वह मालूम हो जांय तो उनको मौका दीजिये। अगर अब चरण सिंह जी बोल रहे हैं तो उनके बाद फिर गुप्ता जी को मौका दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

बार-बार मौका नहीं मिलेगा।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय पांडेय जी का कहना है कि अगर कोई आक्षेपयुक्त बात न हो तो खंडन न हो । अब आक्षेप किसको कहते हैं यह तय करने का अधिकार किसको है ? मैंने एक बात कही और गुप्ता जी कहते हैं कि मैंने गलत बात कही है या आक्षेप हो गया या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, जो 6 बातें उन्होंने मेरे मुताल्लिक कही हैं उनके मुताल्लिक मैं अपनी राय दिये देता हूं ।

(व्यवधान)

कृपा करके शान्ति रखिये । आप तो कल भी शुरू में दिलचस्पी ले रहे थे और जब मैंने जवाब दे दिया तो फिर उसके बाद आपको चुप हो जाना चाहिये था, लेकिन फिर भी आज आपने वही किया और आज भी आप मुझे बोलने नही देना चाहते तो मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जब मैं कल बोलना चाह रहा था तब आपने यही बात की थी और मुझे नहीं बोलने दिया गया था । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उन्हें सुन तो जरा लेना ही चाहिये । अब चाहे मैंने सही किया या गलत लेकिन उनको एक मौका दे दिया और अब ये उसका उत्तर दे देगें थोड़ा सा जिसमें अगर कोई बात उनको अनुचित मालूम होगी और यह समझेंगे कि सही बात यह है तो वह बात कह सकते हैं जो वह सही समझते हैं ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्ता जी ने यह फरमाया कि जिस वक्त मेरी उनकी बातचीत हुई मिनिस्ट्री बनने की बाबत तो यह तो तय था कि मेरे मशविरे से मिनिस्ट्री बनेगी और यह तब तय हुआ था उस वक्त माननीय त्रिपाठी जी, गुप्ता जी और 8 या 10 आदमी और मौजूद थे । लिहाजा मशविरा हुआ और वह मशविरा तीन या चार आदमियों की बाबत हुआ । उनके मुताबिक गुप्ता जी ने यह कहा है कि वे मुझसे चाहते थे कि उनके खिलाफ ऐलीगेशन्स क्या हैं वह चाजज फ्रेम करके बता दीजिये लेकिन चूंकि ऐसे मामलों में चार्जेज फ्रेम करके नहीं दिये जा सकते लेकिन एक नाम तो उनमें से ऐसा था जो गुप्ता को खुद मालूम था और जिनके मुताबिक ज्यादा पूछताछ का सवाल नहीं था लेकिन मैं इस वक्त उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता ।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह फरमाया कि उन्होंने मेरे कहने से फूलसिंह जी का नाम रख लिया । अब फूलसिंह जी का नाम ऐसा है जिसके लिये न मैंने कहा कि रखो और न मैंने कह कि न रखो । फूलसिंह जी का नाम ऐसा जिसके मुताल्लिक मुझे कोई एतराज नहीं था बल्कि उस ओर आज बैठने वाले दो सज्जन मेरे पास आये और उन्होंने कहा था कि फूलसिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाय । तो फिर उनके न इन्क्लूजन का क्या सवाल हो सकता था तो जब मैंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिये कहा था ।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह उन्होंने कहीं और जिसे सुनकर मुझे ताज्जुब ही नहीं तकलीफ भी हुई कि श्री उदित नारायण शर्मा के लिये वह तैयार हो गये थे तो फिर झगड़ा क्या था ? उन्हीं के नाम पर एक और नाम पर झगड़ा और यह नाम भी बिलकुल बाद में चले । पहले तो आपके मकान पर बहुत थोड़ी सी बातचीत हुई इसके बाद आप आते हैं दिल्ली से, 14 तारीख की सवेरे को । मुझे मालूम हुआ कि आपने एक लिस्ट तैयार कर ली है और गवर्नर को भेजने वाले ह । तो मैंने फोन किया कि गवर्नर के पास भेजने के पहले आप लिस्ट मुझ को दिखा लें क्योंकि मुझे कनसल्ट करना आपसे तय हुआ था और मैं आता हूं । मैंने आपके सामने

[श्री चरण सिंह]

वह फइनली टाइप्ड लिस्ट देखी जिस पर आप दस्तख्त करने जा रहे थे । मैंने आपका हाथ रोका ? उसमें आपके 18 आदमी मौजूद थे उसके बाद भी मैंने 11 किए और मैंने यह भी कहा कि मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता हूं । लिहाजा आपका नाम आये और आपका नाम रहे, मैंने एग्री कर लिया था, कहना उचित नहीं है । मैंने यह भी कहा कि आप जूनियर लोगों को तो मिनिस्टर बनायेंगे और माननीय जयराम वर्मा जी को कैबिनेट में नहीं ले रहे हैं । उन्हें कैबिनेट में लीजिए, उनसे कहीं जूनियर्स जिनका अपने जिले में उतना असर भी नहीं है, उनको मिनिस्टर्स बना रहे हैं ।

इसके लिए तैयार नहीं हुए तो फिर उदित नारायण शर्मा जी के नाम पर डिस्कशन क्या होता । स्पीकर का इलेक्शन हो रहा था, पार्टी की मीटिंग हो रही थी तो जब आपके कमरे के पास गये तो शायद त्रिपाठी जी ने कहा और शायद आप भी साथ में थे तो आपने भी कहा कि आपके कमरे में चलें । वहां पर यह बात हुयी कि वर्मा जी का नाम रख लिया जाय लेकिन दूसरा नहीं लिहाजा मैं ज्यादा न कह कर यह कहता हूं कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज गुप्ता जी यह कह रहे हैं कि माननीय उदित नारायण शर्मा के नाम पर मैं तैयार हो गया था । हर्गिज नहीं ।

श्री बंशीधर पांडेय--

इन्होंने यह नहीं कहा था ।

श्री चरण सिंह--

यही गुप्ता जी ने कहा था । अब मैं 10 फरवरी का जिक्र करता हूं । अगर गुप्ता जी कहते हैं कि वे एग्री नहीं किए तो मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूं कि गुप्ता जी ने यह कहा था कि मैं उदित नारायण शर्मा के नाम के लिए राजी हो गया । 9–10 फरवरी को जब डाक्टर राम सुभग सिंह और माननीय कुम्भाराम आर्य जी आये, मुझसे बात की । आपकी तबीयत बहुत नासाज हुयी । धीरे-धीरे आपकी तबीयत इम्प्रूव करती गयी लेकिन 9–10 तारीख को आपकी तबियत बहुत खराब थी तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आपको उनके पास जाना चाहिये । मैंने यह प्रश्न अपनी पार्टी में रखा । इसमें डिफरेन्स और ओपीनियन था । आखिर 3-4 आदमी गये । अपने कोलीग हैं सिरियसली इल हैं वहां जाना चाहिये वहां जो बात आयी, मैं टैक्स माफ करने के लिए राजी नहीं हुआ । अगले रोज नेशनल हेराल्ड में एक बयान निकला गुप्ता जी का कि सोशलिस्ट पार्टी वगैरह ने एग्री कर लिया है ऐज लीडर फार दि परपज आफ एबालिशन आफ टैक्सेज । इसकी कटिंग भी मेरे पास रखी है । मैं सुबह को पास के एक इन्सपेक्शन हाउस में चला गया था क्योंकि माइंड पर बड़ा प्रेशर था। मैंने स्वयं जब यह देखा तो आपको एक पत्र लिखा कि मेरा आपका कोई एग्रीमेन्ट ऐसा नहीं हुआ है और प्रेस में जो खबर निकली है वह गलत है । गुप्ता जी ने इस बात से एग्री किया । उन्होंने तसलीम किया कि मेरा आपका कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है । लिहाजा वह एग्रीमेन्ट नहीं हुआ, मैंने कन्ट्राडिक्ट कर दिया । ये सब लेटर्स मेरे पास मौजूद ह ।

अब पांचवीं बात यह है कि अब गुप्ता जी ने एक बात यह कही कि...

(व्यवधान)

(सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर)

अगर मैं ज्यादा भी बोलूं तो घबराहट क्या है । सुनिये तो सही ।

(व्यवधान)

(मुख्य मंत्री ने सदस्यों को शान्त करने का प्रयास किया ।)

अध्यक्ष महोदय, मैं गुप्ता जी की बात को मानता हूं कि लीडर को अख्तियार होता है । लेकिन दो क्वालिफिकेशन रहनी चाहिये । लीडर को टेक्निकली राइट है लेकिन चीफ लेफ्टिनेन्ट के साथ मशविरा जरूर करते हैं । जो मिनिस्ट्री बनाने का अधिकार था चरण सिंह को

त्रिपाठी जी को अधिकार नहीं था, यह गलत बात है । डिक्टेटर जब भी कुछ गलत तरीके से रखता है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वह बराबर का आदमी होता है । उनको राइट है टैक्निकली । लेकिन दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि मशविरा न करे । नो बाडी एल्स हैज एनी बिजिनेस टु एडवाइज मी । इस केस में तो यह तय हो गया था कि मेरे मशविरे से बनेगी । आप इस चीज को गुप्ता जी करो । अनटिनेबुल पोजीशन है । मने कल इतना कहा था कि मेरे कहने से न कोई एक्सक्लूड हुआ और न ही इन्क्लूड हुआ। एण्ड दैट फैक्ट रिमेन्स । एक बात आपने कही कि फर्स्ट इन्स्टेन्स डिफेक्शन का हुआ । कांग्रेस से फर्स्ट डिफेंक्शन हुआ । लेकिन सोशलिस्ट पार्टी से कितने डिफेक्शन्स हो चुके थे । उससे पहले ठाकुर मलिखान सिंह का डिफेक्शन कराया वे कांग्रेस में शामिल हुए । जब उनकी मीटिंग हुई तब मैंने कहा कि रि-इलेक्शन होना चाहिये । सन् 65 में गेन्दा सिंह जी सबसे पहले शामिल हुए । डिफेक्शन्स तो कांग्रेस से है । बस मैं यह अर्ज करना चाहता हूं ।

(श्री चन्द्र भानु गुप्त द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी आप क्षमा करें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जवाब देने का मुझे हक है । मुझे बताना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर तय तो होने वाला नहीं है कि सही बात किसकी है ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

बहस नहीं तो मैं फैक्ट्स तो बताऊं ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, यह था कि गुप्ता जी जो कहेंगे उसके जबाब में होगा । गुप्ता जी फिर कहेंगे तो उसके जवाब में फिर कहा जायेगा ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

मुझे जबाब देने का राइट है ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन यह है कि इन तीनों नेताओं की कहानी हमने तीन दिनों तक सुनी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला ।

श्री चरण सिंह—

मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं । (व्यवधान)...क्या कोई मोशन मव होगा कि मेरे जबाव के बाद उनका जबाव होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, गुप्ता जी को पूरा राइट है सांविधानिक । जबाव देने के बाद सौ बार जबाव दें ।

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था रक्खी थी उसका जबाव नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपना प्वाइन्ट आफ व्यू रख दिया उन्होंने अपना रख दिया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मुझे कहने का अधिकार है He has said many newthings.

श्री बलवीर सिंह—

आपका इस पर फैसला हो गया है और आप व्यवस्था दे चुके हैं । क्या आपने इन्हें बोलने का मौका दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपको जो कहना है वह बाहर एक्सप्लेनेशन दीजियेगा...

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं इस तरह से बैठूंगा नहीं...

(शोर)

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, चौधरी साहब ने अपने बयान में नये चार्जेज लगाये हैं । गुप्ता जी ने कोई कन्ट्रोवर्सी की बात नहीं कही थी । इन्होंने ही कन्ट्रोवर्सी पैदा कर दी...इनको राइट है बोलने का...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अब और न बोलें...

श्री बंशीधर पांडेय—

चौधरी साहब ने अपनी बात कह दी । गुप्ता जी को भी बोलने का अधिकार है । हाउस नहीं चलेगा... आपको इजाजत देनी पड़ेगी...गलत बातें कही हैं...सदन सुनना चाहता है और आपको इजाजत देनी पड़ेगी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि उन्होंने एक दफा अपना स्पष्टीकरण दे दिया, इसके बाद चौधरी साहब ने कह दिया, इसके बाद कोई बात नहीं उठती ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि नये चार्जेज लगाये हैं...

श्री अध्यक्ष—

आप बाहर कीजिये...

श्री बंशीधर पांडेय—

जितनी गलत बातें कही गई हैं गुप्ता जी को बोलने का अधिकार है...इन्हें क्या राइट है नये चार्जेज लगाने का...हाउस नहीं चलेगा...

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

हाउस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर आप इजाजत नहीं देगें तो मेरे साथ अन्याय करेंगे...

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आप सदन की राय ले लीजिये...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आप 10 मिनट के लिये सदन स्थगित कर दें और माननीय नेताओं को बुला ल..

श्री बंशीधर पांडेय—

जो गलत बातें चौधरी साहब ने कही हैं, उनको कहने का इन्हें क्या अधिकार है ? जितनी बातें कहीं गई हैं सारी गलत हैं ।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बड़ी नम्रता से इस प्रश्न का निराकरण करने के लिये आपसे निवेदन किया । अब यह समझना कठिन हो गया है जब आपने गुप्ता जी को इजाजत दी, या तो शुरू से ही न इजाजत दी होती तो बात खतम हो जाती, फिर उसके बाद चौधरी साहब ने सफाई दी—या तो उन्हें ही बोलने की इजाजत नहीं देते । अब आप गुप्ता जी को इजाजत देंगे, उसके बाद चौधरी साहब । तो यह असम्भव हो गया है कि यह बहस समाप्त हो जाय और आखिरी बात चौधरी साहब की सुन कर शांत हो जायं, इसलिये आपको उनको इजाजत देनी ही चाहिये ।

मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि आप इजाजत न दें । पहले अपने निर्णय पर गुप्ता जी को इजाजत दी और उसके बाद चौधरी साहब को इजाजत दी तो फिर स्पष्टीकरण होगा और फिर चौधरी साहब इजाजत लेंगे और फिर स्पष्टीकरण होगा और तमाम लोग खड़े होंगे । तो मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि, मान्यवर, यह दरवाजा तो आपने खोल दिया है । अब कोई कारण नहीं है कि गुप्ता जी जवाव न दें और फिर चौधरी साहब इजाजत न मांगें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने दूसरी बार जवाब देने के बात नहीं की है । गुप्ता जी मेरे कमरे में आये । मैंने कहा—आप बीमार हैं और कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिये । मैंने उनको यही सुझाव दिया । उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी और मैं ऐसी चीज कहूंगा जो कन्ट्रोवर्सियल नहीं होगी लेकिन यह कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गयी और जिसके कारण गर्मागर्मी हुई । मुझे थोड़ी तकलीफ हो गयी अपनी गलती के ऊपर । मैं सख्ती के साथ इन्कार कर देता तो ज्यादा अच्छा होता । अब मेरी गुप्ता जी से प्रार्थना है कि वह एक सूझबूझ वाले आदमी हैं...अब दूसरी तरफ के लोग फिर कहेंगे कि हमको बोलने दें तो यह एन्डलेस हो जायेगा । सवाल यह है कि उन्होंने अपनी बात कह ली और उन्होंने अपनी बात कह ली । दोनों आदमियों का सामनी—सामना हो गया । लेकिन इस विषय पर आगे कुछ कहना है तो अखबारों में करें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

गुप्ता जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कन्ट्रोवर्सियल हो आप प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लें । चौधरी साहब ने ही कन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी नये चार्ज लगाकर । उनकी नीयत

[श्री बंशीधर पांडेय]

स्पष्टीकरण देने के पहले ही खराब हो गयी । उन्हें कैसे मालूम हो गयी कि गुप्ताजी उनके विरुद्ध बोलना चाहते हैं ? क्या उनके पास कोई आला है या बैरोमीटर है कि गुप्ता जी उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं । (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । गुप्ता जी ने कहा था कोई कन्ट्रोवर्सी न होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

नहीं मान्यवर, जब तक इस प्रश्न का जबाव नहीं होगा, कोई कार्यवाही नहीं चलेगी सदन की ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने यह कहा था कि कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं होगी लेकिन चौधरी साहब ने अपने जबाव में 2/3 नयी बातें और जोड़ दी हैं जिनका स्पष्टीकरण जरूरी है । (व्यवधान)...

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, क्या आपने गुप्ता जी को बोलने की इजाजत दे दी है ।...(व्यवधान)... जो तरीका इन्होंने अख्तियार किया है क्या आप चाहते हैं कि हम भी वही तरीका अख्तियार करें और शोर मचायें ।

श्री अध्यक्ष—

वह जो कुछ कर रहे हैं जबर्दस्ती कर रहे हैं । उसका उत्तर देना है, तो लिखकर भेज दें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जो बात चौधरी साहब ने मुआहिदे की कही कि मेरे और उनके बीच में कोई मुआहिदा हुआ था कि कैबिनेट बिना उनकी सलाह के नहीं बनेगी, तथ्यहीन है । ...(व्यवधान)... फूलसिंह को मुख्य मंत्री बनाया जाय, यह बात उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही । ...(व्यवधान) ...जगन प्रसाद रावत, चतुर्भुज शर्मा और चौधरी गिरधारी लाल के विरुद्ध उन्होंने कहा... (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, गुप्ता जी बोल रहे हैं, यह नहीं होने दिया जायेगा । अगर नियम नहीं चलेगा तो कोई कायदा नहीं चलेगा । (व्यवधान)....

(अत्यधिक शोर—व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं समझता हूं कुछ तनाव बढ़ रहा है और गुप्ता जी का स्वास्थ्य भी कुछ अच्छा नहीं दिखायी देता है, खड़े होते हैं तो कांपते हैं, तो अच्छा हो जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा, आप लीडर्स को बुलाकर अपने कक्ष में बात कर लें और कोई रास्ता निकल आए तो निकालें बजाय इसके कि सदन में तनाव बढ़ता रहे । दस मिनट के लिए आप सदन को स्थगित कर दें ।

अनेक सदस्य—

नहीं, नहीं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह सदन की बात है...(शोर)

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, आपने एक रूलिंग दी...(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब दस मिनट के लिये मैं सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित हो गई और 12 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष—

मेरी गुप्ता जी से यह प्रार्थना है कि वह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । किसी और अवसर पर बातचीत हो जायेगी ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मान्यवर, आपने खुद कहा था कि जब यह बोल लेंगे तो मुझको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, आप हाउस की राय जान लीजिये । वह आपसे भी सुप्रीम है । हाउस चाहता है कि गुप्ता जी जबाव दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रतिवाद के लिये नहीं कहा था ।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

मान्यवर, यहां की परम्परा रही है कि वे बोलें । इसलिये आप उनको बोलने का मौका दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, इस सदन का निश्चित मत है कि गुप्ता जी बोलें । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह जनतंत्र की हत्या होगी । आप सदन की राय जान लें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, हाउस बहुमत से चाहता है कि गुप्ता जी बोलें । आप उनको बोलने के लिये आज्ञा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरी गुप्ता जी से प्रार्थना है कि वह न बोलें ।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, आपके फैसले के विरुद्ध वह कैसे बोल सकते हैं ? एक बार आपकी रूलिंग हो चुकी है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

आप इसकी इजाजत न दें यों हाउस नहीं चल सकता है ।

श्री बलवीर सिंह—

यों अगर झुकते रहेंगे तो हाउस का कार्य नहीं चल सकता है ।

(इस अवसर पर श्री चरण सिंह को श्री अध्यक्ष ने अपने डायस पर बात करने के लिये बुलाया)

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मैं व्यवस्था चाहता हूं मान्यवर । अभी आपकी और चौधरी चरण सिंह की बात हो रही है क्या वह सदन के रेकार्ड में आयेगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई परसनल अटैक न करें जो सफाई देना चाहें वह दे दें । मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूं ।

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि नाहक जिन बातों को मैं यहां कहना चाहता था उससे मुझे वंचित करने के लिये सदन का बेकार में इतना समय लिया गया । मैं तीन बातों के सम्बन्ध में जो कि चौधरी साहब ने मेरे कुछ कहने के बाद नयी कहीं उनके विषय में सदन को सूचित करना चाहता हूं । पहली बात तो उन्होंने मुआहिदे की कही कि मेरे और उनके बीच में यह मुआहिदा हुआ था कि बिना उनकी मरजी के कैबिनेट नहीं गठित होगा । तो मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं । और जैसा मेरा स्वभाव रहा है और जैसा कि स्वतः उन्होंने बताया कि मेरा दृष्टिकोण रहा है 1962 व 63 में भी कई विषयों में चौधरी चरण सिंह जी अपना मत रखते रहे म उनसे निवेदन करता रहा कि उन्हें अपने मत को रखने का अधिकार है, परन्तु आखिरी निर्णय मुख्य मंत्री के रूप में मुझे देना है । यही नहीं 60–61, 62, 63,67, व 69 में कैबिनेट के निर्माण में और बहुत से विषयों के सम्बन्ध में प्रपोजल्स पर निर्णय मैं लेता रहा हूं । मैंने कभी भी फूल सिंह के विषय में कि वह मुख्य मंत्री बनाये जायं न तो उस समय सुना और चौधरी से इस विषय में मेरी बातचीत हुई । 4 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों के विषय में, जिसके सिलसिले में उन्होंने आपत्ति की थी, जिनके नाम प्रारम्भ में मैंने नहीं बताये थे, उनके नाम थे जगन प्रसाद जी रावत...

श्री चरण सिंह—

जो नाम बतलाना चाहते हैं... (व्यवधान)...

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

उन्होंने जयराम वर्मा और कई और नाम लिये, लेकिन जगन प्रसाद जी, चतुर्भुज शर्मा और चौधरी गिरधारी लाल– इनको ये नहीं चाहते थे । और जो मैंने पहली लिस्ट कैबिनेट की गवर्नर के पास सबमिट की, मैंने उनका नाम नहीं भेजा और उनसे कहा था कि वोट आन एकाउन्ट पास हो जाने के बाद मिलेंगे और फिर विस्तार से बातें करेंगे । बाद को जब लेकिन इस बीच में जो बातें मेरे कान में पड़ी और जिस अखबार के साथी की उन्होंने अपने कल के बयान में चर्चा की है, उनसे मुझे यह पता चल गया था कि इनकी बातचीत नाना जी देशमुख, जिनको मैं नाना फड़नवीस के नाम से पुकारता हूं, उनसे इनकी बातचीत चल रही थी । तो यह कथन कि जो इन्होंने भाषण में किया है कि मेरा ऐसा रुख था व वैसा था वह बात वास्तविकता से परे है । इसलिये सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात चौधरी साहब ने मेरे सम्बन्ध में कही है वह सही बात से परे है ।

दूसरे 1970 की बात के सिलसिले में जो कहा, मैंने स्वतः बता दिया कि मेरे उनके बीच में तो कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। 3–4 व्यक्ति मौजूद हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे। और मेरे साथी जो थे उस जमाने में मंत्रिपरिषद् के वह बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने वालों में मैं तो डाक्टर राम सुभग सिंह को जानता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारी उनकी बातचीत हो गयी है और यह टाइप कर के लाया हूं, आप दस्तखत कर दीजिये। मैंने उस पर दस्तखत कर दिये और गवर्नर से निवेदन कर दिया कि चौधरी साहब को वह आमंत्रित कर लें, यह विरोधी पक्ष के नेता हैं, और यहां की सरकार की बागडोर इनको दें। लेकिन दूसरे दिन जब खतोकिताबत होने लगी तब पता चला कि इनको उस वक्त मेरे इस्तीफे की फिक्र थी कि हम किस तरह इस्तीफा दें। सांठगांठ तो भरत जी के साथ भी चल रही थी। वास्तविकता जो थी वह मैंने बतला दी और उसका नतीजा क्या हुआ वह सदन स्वतः निकाले।

(श्री चरण सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर सदन में घोर व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं व्यवस्था मांग रहा हूं आप व्यवस्था क्यों नहीं देते ?

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

(व्यवधान के मध्य) इनको अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी है ? ये किस की इजाजत से बोल रहे हैं।

श्री मंजूर अहमद—

तीन रोज हो गये माननीय चौधरी साहब ने सारे सदन का टाइम लिया...

(घोर व्यवधान)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें खामोश कीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री चरण सिंह जी बोलने के लिये खड़े हुये थे उनकी ओर इशारा कर के) इनकी सुन तो लीजिये।

श्री चरण सिंह—

बावजूद आपकी रूलिंग के अपने माननीय दोस्त के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए मैंने आपकी रूलिंग पर आग्रह नहीं किया और आपसे चलते वक्त मैंने यह कहा कि आप गुप्ता जी से कह दीजियेगा कि कोई ऐसी बात न कहें जो कंट्रोवर्शल हो। केवल एक ही फिकरा कहना चाहता हूं कि मेरा, उनका और सब लोगों का यह तय हुआ या नहीं, जैसा मैंने कल कहा था, माननीय उमाशंकर जी दीक्षित उसके गवाह हैं...(घोर व्यवधान)...और चार खत जो अखबारों में छपे हैं मेरे हाथ के वह इस बात की शहादत हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो ये लीडर शिप की बातें कह रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष---

अब बहुत हो गया । अब इसे समाप्त कीजिये । माननीय माल मंत्री ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी----

मैं व्यवस्था चाहता हूं . . . (व्यवधान) . . . मान्यवर, हमारे सदन में 3 बड़े और पुराने नेता हैं--चौधरी साहब, गुप्ता जी और पंडित जी । कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में कल अलग-अलग वर्जन सदन में हुये हैं और उससे यह सदन भ्रम में पड़ गया है । मैं समझता हूं कि इतिहासकार भी बड़ी मुश्किल में पड़ जायेंगे और कोई तथ्य नही निकाल पायेंगे । इसलिये आप सदन की एक कमेटी बना दें जो इन सब के विभिन्न वर्जन की जांच आदि करके सही तथ्य सदन के समक्ष रखें ।

(श्री उदित नारायण शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

. . . (व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष---

अब आगे का कार्य चलने दीजिये ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

कल माननीय चौधरी साहब ने यह कहा . . .

श्री अध्यक्ष---

वह चर्चा समाप्त हो गई है । आप कृपया अपना आइटम जो एजेन्डा में है उसे रखें, उसके लिये मैंने आपको पुकारा है ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, इसके पूर्व कि मैं उसे सदन के पटल पर रखूं, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं और एक व्यवस्था चाहता हूं कि अगर इस सदन के काम में इस तरह से व्यवधान पड़ता रहेगा और यह प्रयास किया जायेगा कि जब ये बोलें तो सब लोग सुनें और जब दूसरा अपनी कोई बात को कहे तो उसे कहने न दिया जाय तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी । यह कहां तक ठीक है कि जब दूसरा कोई बोले तो व्यवधान पैदा किया जाय और उसके खिलाफ लोग मजा लेते रहें । मुझे दुख है कि कल मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला . . . (व्यवधान) अब मैं इसे सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (नवम् संशोधन) नियमावली, 1972†

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व अनुभाग-1 की विज्ञप्ति संख्या 256, राजस्व-1-3(1)-71 दिनांक, 16/17 मार्च, 1972 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (नवम् संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1970-71†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1970-71 को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उप-धारा 5 (ए) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लैटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 26 जुलाई, 1972 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 2 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश (1965-66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश (1965-66 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 25 जुलाई, 1972 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 3 अगस्त, 1972 को वापस प्राप्त हो गया है ।

प्रतिनिहित विधायन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का 16 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में ही कहें क्योंकि समय कम है ।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, यह प्रतिवेदन दूसरी विधान सभा के षष्टम् प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों से सम्बन्धित है । उस प्रतिवेदन में 23 सिफारिशें की गयी थीं जिनमें से 20 सिफारिशों को शासन ने या तो स्वीकार कर लिया था या कुछ तर्क समिति के समक्ष रखें थे जिसे उसने मान लिया था। इसमें दो मौलिक प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। 24 फरवरी 1962 को शासन ने समिति को यह आश्वासन दिया था कि पंचायत राज विभाग के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों के सम्बन्ध में उस समय विचार कर लिया जायेगा जब पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर संशोधन किया जायेगा ।

---

†छापा नहीं गया ।

[श्री शिवराज सिंह]

मान्यवर, शासन द्वारा समिति को इस आश्वासन देने के पश्चात् तीन बार पंचायती राज ऐक्ट में संशोधन कर दिये गये । एक 65 में, दूसरी बार 66 में और तीसरी बार 68 में, लेकिन उनमें समिति की उस सिफारिश पर कोई विचार नहीं किया गया । इतना ही नहीं, समिति के पूछने पर शासन द्वारा दी हुई 5 जुलाई, 1972 को यह सूचना प्राप्त हुई कि वह पत्रावली, जिसमें सरकार का आश्वासन समिति को दिया गया है, नष्ट कर दी गई है । श्रीमन्, यह प्रतिनिहित विधायन मूल विधायन का पूरक है । इसका महत्व किसी तरह मूल विधायन से कम नहीं है । इसलिये अपने प्रतिवेदन द्वारा समिति शासन से फिर जोरदार शब्दों में कहना चाहती है कि शासन समिति को कोई आश्वासन दे तो वह गम्भीरतापूर्वक दे ।

इसके बाद, इस सम्बन्ध में समिति को यह शासन ने सूचित किया कि उस समिति की सिफारिशों को सरकारी समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है । समिति इस कार्य को समिति का तथा सदन का अपमान समझती है । शासन को समिति की सिफारिश पर स्वयं विचार करना चाहिये । इसे किसी सरकार द्वारा निर्मित समिति को निर्दिष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है । इन दो बातों की ओर समिति ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है । इन शब्दों के साथ प्रतिनिहित विधान समिति का सोलहवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की अवहेलना के दो प्रश्न प्राप्त हुए हैं। एक को मंत्री जी से पूछने के लिये मैंने भेज दिया है तथ्य के बारे में । दूसरा जो है, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठता ही नहीं है । बलराम सिंह जी, न्याय मंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा लगाये गये आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहते थे, वह गोपनीयता के बारे में था और गोपनीयता के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठता नहीं है । इसमें यह होता है कि मुख्य मंत्री के पास भेज दिया जाए और वह चाहे जो कार्यवाही अपने मंत्री के बारे में करें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

पहली नोटिस क्या थी, जो आपने मंत्री जी के यहां भेजी है ।

श्री अध्यक्ष---

यह शम्भू नाथ जी के एक क्वेश्चन के बारे में है, जिसका उत्तर सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने दिया । बलिया नगरपालिका के सम्बन्ध में उन्होंने यह उत्तर दिया था कि वह नाली में से पानी चल रहा है । लेकिन चौधरी जी का कहना यह है कि उन्हें म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष द्वारा मिली सूचना यह है कि वह पानी नहीं चल रहा है । चूंकि नाली उनके डिपार्टमेंट ने बनवाई थी, लिहाजा प्रश्न बनता नहीं है ।

(व्यवधान)

भूमि भवन कर से सम्बन्धित मुख्य मन्त्री की कथित घोषणा के विषय में औचित्य का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैंने एक औचित्य का प्रश्न आपको लिखकर दिया था...

श्री अध्यक्ष---

इसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, ऐसे कैसे होगा । अब 10 दिन के लिये सदन बन्द हो रहा है । भूमि भवन-कर के ऊपर कोई विधेयक तो आएगा नहीं । मुख्य मंत्री ने पार्टी में कोई घोषणा की है कि किसी स्तर तक भूमि भवन-कर को वापस ले लेंगे, तो वह सदन में नहीं हुआ है । विधेयक आता तो हम लोगों को बहस का मौका मिलता । तो कम से कम मुख्य मंत्री का यह तो स्पष्टीकरण हो जाए कि जो भूमि भवन-कर फिर से लगा दिया गया है, जिसे संविद सरकार ने समाप्त कर दिया, उसके बाद पार्टी मीटिंग में कुछ मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि कुछ रियायत देंगे । औचित्य इस बात का है कि वह जो घोषणा है वह पहले सदन में होनी चाहिये । तो मुख्य मंत्री जी का कम से कम स्पष्टीकरण हो जाए, यह अपनी नीति बता दें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

पार्टी में कोई घोषणा की नहीं । जो घोषणा की वह अपना भाषण यहां करते हुए आदरणीय सदन के सम्मुख ही रखा है । वह यह था कि बहुत से लोग कहते हैं कि भूमि भवन-कर हमने लगाया था, यह पांच साल से मुअत्तल पड़ा था, 15 करोड़ रुपया बकाया इसका था । हमने निश्चय किया है कि 15 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाय, बकाया वसूल न की जाय । आगे से कानून के मुताबिक भूमि भवन-कर लगाया जाय । साथ ही मैंने यह भी कहा था कि हम इस पर सोच रहे हैं कि इसका स्वरूप कुछ परिवर्तित किया जाय ताकि नीचे के गरीब तबके इससे बचें । ऊपर के लोगों पर भार पड़ता हो तो पड़े । और सम्भवत: इसका नाम बदलने की कोशिश करेंगे जिससे विकास कर लगा रहे हैं, वह भावना प्रदर्शित हो सके ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पार्टी मीटिंग में यह कहा था कि 30 रुपये के किरायेदार उससे मुक्त कर दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

पार्टी मीटिंग के बारे में यहां . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अखबारों में छपा है ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं । जो कह दिया वह सही है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने आप को स्वयं दिया था ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री गंगा सिंह यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगासिंह यादव कांग्रेस (आर) से भारतीय क्रांति दल में आ गये हैं ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

कार्य स्थगन प्रस्ताव मैंने कोई स्वीकार नहीं किया है ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने और विश्वनाथ कपूर ने भी दिया है । उसको आपने बताया नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

कल दूसरा इसी तरह का आया था उसको मंत्री जी के पास स्पष्टीकरण के लिये भेज दिया । उसके बाद फैसला होगा ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

पहली तारीख को ध्यान आकर्षण दिया था । बदायूं के एक गांव में 17 आदमियों की कालरा से मृत्यु हो गयी । उसे स्वीकार भी कर लिया था ।

श्री अध्यक्ष---

उसका वक्तव्य भी होगा । हम लोग बैठेंगे क्योंकि यह प्रश्न उठता है कि अगर नहीं बैठेंगे, इनफार्मली बैठते हैं, तो जो सदस्यों को किराया देंगे उसके बारे में कोई आपत्ति आडिटर न उठाये ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

इस पर वक्तव्य 14 को होगा ?

श्री अध्यक्ष---

जी हां, होगा ।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972

***श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 का अननुमोदन करता है ।

श्री अध्यक्ष---

बिल्कुल छोटी स्पीच होनी चाहिये ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी---

श्रीमन्, इस कर के सम्बन्ध में इस सदन को और इस प्रदेश को थोड़ा सा आभास तभी हुआ था जब हमारे वित्त मंत्री अपना बजट भाषण सदन में प्रस्तुत कर रहे थे । उस समय उन्होंने कहा था कि सरकार विकास कर लगाने का विचार कर रही है और यह कहा था कि यह कर छोटे किसानों पर नहीं लगेगा ।

(इस समय 1 बज कर 24 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करीब डेढ़ महीने से ऊपर हो गया बार-बार हम लोगों की तरफ से कहा गया, जब विनियोग विधेयक आया था तब भी वित्त मंत्री से मांग की गयी थी कि जो भूमि विकास कर लगाने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा सदन में घोषित कर दें । लेकिन वित्त मंत्री का साहस नहीं हुआ । जब सदन स्थगित हो गया और एक हफ्ते से कम समय रह गया था सम्भवतः तभी वित्त मंत्री ने एक अध्यादेश भूमि विकास कर के बारे में निकाला और वह अध्यादेश सचमुच ऐसा था जिसके लिये हम लोगों की तरफ से बार बार यह कहा गया कि इस कर से किसानों की नुकसान होगा । सम्भवतः कांग्रेस दल में भी कुछ किसानों के लड़के होंगे और अपनी पार्टी मीटिंग में उन्होंने उसका विरोध किया । सत्य यह है कि पहले यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई है और उसमें उसका विरोध किया गया दबी जबान से और उसका कारण यह है कि राजस्व मंत्री को किसी अन्य माध्यम से एक संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा । सरकार ने अपनी पार्टी में उसकी चर्चा इसलिये नहीं कराई क्योंकि उसे अन्देशा था कि विरोध होगा, पारित नहीं हो पायेगा । इस-लिये उसने अध्यादेश निकाल दिया और एक प्रकार से विधायकों पर दुधारी तलवार लटका दी अध्यादेश पास नहीं होगा तो अविश्वास सरकार के प्रति समझा जायगा और विधायक भी यह डरता है अगर सरकार गिर गयी तो कहीं उसे चुनाव न लड़ना पड़े ।

विधायकों को डराने के लिये यह षड्यंत्र रचा गया । जब यह अध्यादेश पारित हुआ था तो एक एकड़ से ऊपर के काश्तकारों पर भी यह कर लगाया गया था । गांव समाज मैनुअल के अनुच्छेद 79 में शायद भूमिहीन किसान की परिभाषा दी हुई है कि सवा तीन एकड़ तक का किसान भूमिहीन किसान है । जमींदारी अबालीशन जब हुआ तब की यह परिभाषा परिभा-षित है भूमिहीन किसान की लेकिन इस सरकार ने 1 एकड़ से अधिक सवा तीन एकड़ के किसान पर भी इस टैक्स को लगा दिया । फिर इसी सदन में अलाभकर जोत की बड़ी चर्चा चली । उस समय अलाभकर जोत कितनी मानी जाय इस पर किसी माननीय सदस्य ने एक शब्द नहीं कहा, सदन में यह तय किया गया कि एक वर्ष पहले से इसे लागू कर दिया जाय, सरकार ने यह भी माना था कि सवा तीन एकड़ के किसान को भी भूमिहीन किसान माना जाय और सवा 6 एकड़ की जोत के किसान को अलाभकर जोत वाला किसान माना जाय लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा सवा तीन एकड़ का भूमिहीन तथा सवा 6 एकड़ का अलाभकर जोत वाला यानी दोनों किसान पीटे गये । किसी भी देश में कर लगाने का सबसे अच्छा सिद्धान्त यही होता है कि देने की जिसमें क्षमता हो। क्षमता का सिद्धांत है । योग्यता और क्षमता का जो सिद्धांत है वह सभी को मान्य है । माननीय सिंचाई राज्य मंत्री इस समय उपस्थित नहीं हैं, वे कहते हैं कि हमसे समाजवाद सीखें । कर का सामान्य सिद्धांत योग्यता और क्षमता है। इस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो जो कर किसानों पर लगाया गया है वह बिलकुल ही अन्यायपूर्ण है ।

माननीय मंत्री जो जानते हैं कर की योग्यता और क्षमता की व्याख्या करते हुये एडम स्मिथ ने कहा था कि उसको किस दर से देना चाहिये । उन्होंने यह भी कहा था कि प्रत्येक राज्य को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुपात में राजस्व के लिये कर लेना चाहिये और राजकीय सुरक्षा के अन्तर्गत कितनी आय होती है । तो राजकीय सुरक्षा के अन्तर्गत जिस प्रकार आप टैक्स लगाने जा रहे हैं उसकी कितनी आय हो रही है । इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने 3 मंडलों के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । ये आंकड़े निजी व्यक्तियों के किसानों के नहीं है बल्कि ये वे आंकडे हैं वे सरकारी कृषि फार्मों के आंकड़े हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष——

इस पर तो विधेयक भी आने वाला है इसलिये जो आपने अननुमोदन के लिये ही कहा है उसी पर बोलें । बाकी बाद में विधेयक के आने पर कह लीजियेगा । क्योंकि इतना समय नहीं है । दुहरा समय इस तरह से लग जायेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन्, मैं एक ही बात एक समय में कहूंगा जो बात इस समय कहूंगा, वह तब नहीं कहूंगा । वैसे आप जितना समय देंगे उतना ही लूंगा और बैठ जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप 5 मिनट और बोल लें ।

श्री शम्भूनाभ चौधरी---

श्रीमन्, वाराणसी मंडल का जो कृषि फार्म है उसमें 388.56 एकड़ में खेती हो रही है और घाटा हुआ है 21,083 रुपये का, गोरखपुर मंडल के कृषि फार्म में 635.60 एकड़ में खेती हो रही है और घाटा हो रहा है 27,944 रुपये का, फैजाबाद में 895.43 एकड़ में घाटा 1, 19,500 रुपये का हो रहा है । यह आंकड़े मैंने इसलिये दिये कि सरकार का क्या नजरिया है । सरकार यह खेती कर रही है और एक किसान खेती कर रहा है । सरकार जो खेती कर रही है उसके लिये उसको पानी, खाद व अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं फिर भी उसे लाखों रुपये का घाटा होता चला जाता है । किसान जो सवा 3 एकड़ साढ़े 6 एकड़ या साढ़े 12 एकड़ की खेती करता है उसको उससे क्या आमदनी होती होगी, यह सोचने की बात है । यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भी समितियां बनती हैं, उनमें से एक भी समिति में किसान का बेटा रहा ही नहीं है । मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार का यही ढांचा रहा और इस ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की, किसानों की बातों को कोई सुनवाई ही नहीं हो सकेगी । एक व्यापारी ने कहा कि खेती से बढ़कर फायदा और किसी चीज में नहीं है । एक बीज से 100 बीज पैदा होता है । मैंने उस व्यापारी से कहा कि यह नजरिया आपका ही नहीं, सरकार का भी है, उसके द्वारा जो समितियां बनती हैं, उनका भी है ।

केन्द्र के मंत्री का बयान इस समय मेरे पास नहीं है वरना मैं सुनाता, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय जितनी होती है उसका 45 प्रतिशत आय कृषि से ही होती है और शेष 55 प्रतिशत आय उद्योग व अन्य प्रकार के कारोबार से होती है । यह इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग अपनी बातों को साबित करने के लिये दूसरों के दृष्टिकोण को समझते ही नहीं हैं । ये इसका ख्याल ही नहीं कर सकते कि कितने धंधे में कितने लोग हैं । आज 16 महीने से आपकी सरकार है, आज तक आपने उद्योगपतियों पर एक भी टैक्स लगाया है । बजाय टैक्स लगाने के कारखानेदारों को कारखाने लगाने के लिये 10 प्रतिशत अनुदान की छूट दी जाती है और 3 वर्ष तक उनको बिक्री-कर से भी मुक्त करने की बात की जाती है । आपकी 16 महीने की सरकार में पूंजीपतियों की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है और आज ये इस प्रदेश की तीन चौथाई सम्पत्ति के मालिक बन गये हैं । आप की हिम्मत नहीं होती उनको छेड़ने की । बाद में यदि आप मौका देंगे तो हम बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

बाद में नहीं क्योंकि यह दोनों एक ही हैं । आप एक तरफ मूव कर देते और कह देते तब तो बात दूसरी थी । उस पर आप जितना बोलना हो, बोल दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं । अननुमोदन के लिये जो संकल्प रखा है उस पर चर्चा होनी चाहिये । दूसरे पर तो जब मंत्री भी मूव करेंगे तब विचार होगा । मैं समझता हूं कि यह दुबारा भी बोल सकते हैं क्योंकि यह तो संकल्प दूसरा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वही मैं इनको बता रहा हूं कि चाहे ये इस पर बोलें या उस पर बोलें ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय त्रिपाठी जी ने जो व्यवस्था बताई है वही परम्परा रही है । दोनों एक साथ ले लेते तो ठीक रहता । यही रूलिंग भी हो चुकी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, वह चीज मूव भी न की जाये तो अजीब चीज है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बाद वह मूव भी कर देंगे ।

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

चाहिये तो यह था कि चौधरी साहब प्रस्ताव पेश कर देते और मैं भी कर देता तब बहस हो जाती । कायदे से ये दुबारा बोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री शम्भू नाथ चौधरी से) मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है । अभी बोलना चाहते हों तो बोल लें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने श्रीमन्, कहा कि आपने उद्योगपतियों को नहीं छेड़ा और आपको गरीब किसान ही दिखाई दिये । भूमि विकास की चर्चा के समय मंत्री जी ने चिल्ला कर कहा कि उधर बैठे हुये लोग इसलिये विरोध कर रहे हैं कि जमींदारों पर 2 आने, 4 आने तथा 6 आने लगान है और अन्य काश्तकारों पर अधिक लग रहा है । लेकिन अध्यादेश निकाल कर आप कबूल करें कि लगान पर लगाने जा रहें हैं । जमींदारों के खेतों पर लगान कम है इसलिये बन्दोबस्त करना है तो जिनका लगान कम है उन पर भूमि विकास कर कम लगेगा । क्या आप उन कुकृत्यों से, जहां, आप जमींदारों के मुकाबले में कहते थे कि हम काश्तकार हैं इस तरह से क्या आप बड़े जमीदारों का बचाव नहीं कर रहे हैं ? निश्चित रूप से कोई भी सदन का सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जिस तथ्य को माननीय राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है कि बड़े-बड़े जमींदारों का लगान कम है और इसलिये उनको विकास कर भी कम देना पड़ेगा यानी जो कम लगान देने वाले किसान हैं जो धनी-मानी हैं वह तो इस कर से बच जायेंगे और जो गरीब है वह पिस जायगा, जिसको कि आप कहते हैं कि जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको अधिक कर देना पड़ेगा । यह अध्यादेश जिस रूप में आप लाये हैं वह अगर पास हो गया तो आपके कथनानुसार ही गरीब किसानों पर भार अधिक पड़ेगा और इस तरह से उनको यह अनुचित तरीके से ज्यादा कर देना होगा ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि लगान है क्या ? लगान तो स्वयं ही एक कर है जो जमीन के एवज में जोतने वाले को देना पड़ता है दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं होगी, पूंजीवादी व्यवस्था में भी नहीं होगी कि कर पर और एक कर देना पड़ता हो । यह भी सब को मालूम है कि आप केवल 33 प्रतिशत भूमि को ही पानी दे पाते हैं नलकूप और नहरों के द्वारा । जहां आप केवल 3 प्रतिशत पानी दे पाते हैं वहां भी लगान की दर वही और जहां आप 33 प्रतिशत सिंचित भूमि में पानी देते हैं वहां भी दर वही है । जहां असिंचित है जाहिर है कि वहां पैदावार कम होती है । जो 67 प्रतिशत भूमि है वह असिंचित है जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, इस भूमि के लिये आपने अभी तक कुछ नहीं किया है उन पर भी आप यह कर लगायेंगे वे उससे बरी तो होंगे नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

यह कर लगाने की आवश्यकता इसलिये हो गई कि सवा 6 एकड़ का तो लगान माफ हो गया और सरकार को रुपये की जरूरत है इसलिये कर लगाना पड़ रहा है। इस कर को देखकर मैं मंत्री जी से कहूंगा कि दैवी विपत्ति यानी सूखा बाढ़ आने पर लगान तो माफ हो जायगा लेकिन यह इतना बड़ा जो दूसरा आघात होने जा रहा है लगान के एवज में जो आप यह बिल ला रहे हैं वह किसान के लिये हर परिस्थिति में हमेशा अहितकर साबित होगा। यह तो विकास कर है, चाहे जितनी बाढ़ आयेगी, सूखा होगा या कितनी ही दैविक आपदायें आयेंगीं विकास कर लगकर हटने वाला नहीं है। यह तो रहेगा। लगान अगर होता तो कुछ माफ भी हो सकता था अगर फसल मर जाय या कोई और दैवी आपत्ति आ जाय तो लगान भी मर सकता है। इसी प्रकार से अगर विकास भी मरेगा तो यह कर भी मरेगा। विकास तो मर नहीं सकता है भले ही वह चींटी की तरह से रेंगें या चाहे घोड़े की तरह से चलें। तो कहते रहेंगे कि कुछ न कुछ विकास कर रहे हैं। अगर उसकी एवज में यह सरकार विकास कर के रूप में इस अध्यादेश को लायी है तो इससे बुरा काम और कोई हो ही नहीं सकता है।

ठीक जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश, एक दो प्रदेशों को छोड़ कर, अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है उत्पादन के मामले मे उसी प्रकार से पूर्वी जिले हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिलों से पिछड़े हुए हैं, आप आंकड़े उठाकर देखें कि उपज के, तो आप जमीन आसमान का अन्तर पायेंगे। उत्पादन ही किसानों की आय है। और आय जब है तो क्या इसे आप बराबरी वाली, समता के सिद्धान्त वाली कह सकते हैं। हो ही नहीं सकता। किसी पूंजीपति के पास अगर पैसा है तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर किसी के पास जमीन है तो उसे यह कर देना पड़ेगा। आज यह सरकार नोट के पीछे दौड़ रही है। अगर किसी के पास 5 हजार रुपया है तो उसे एक पैसा भी कर के रूप में नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर शम्भूनाथ चौधरी के पास जमीन हो तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा, नतीजा यह होगा कि जमीन की ओर से किसान का जो झुकाव है वह समाप्त हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपकी नीति के अनुकूल है कि लोगों का ध्यान खेती की ओर न जाकर दूसरे धंधों की ओर जाय ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

तो मैं श्रीमन्, कह रहा था कि अगर किसी के पास 5000 रुपये की अचल सम्पत्ति है, भले ही वह लूट खसोट की हो, जैसा कि इस सरकार का रवैया है, तो उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर उसके पास जमीन होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। आज लोग पैसे और नोट के पीछे दौड़ रहे हैं। और यह आपके इस दृष्टिकोण का ही सहायक हो रहा है। श्रीमन्, एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि यह जो भूमि विकास कर है—इसके विषय में जैसा कहा गया है कि राजा की नीयत खराब हो जाती है तो दैव भी प्रकोप करने लगता है। आपकी नीयत खराब हुई तो पहले अतिवृष्टि हो गई, फिर बाढ़ आ गई और फिर वर्षा बन्द। सारी दैवी आपदायें आपको चिल्ला-चिल्ला कर आगाह कर रही हैं लेकिन आप पर कोई जूं नहीं रेंगती है। लोग कहते हैं कि यह ब्राम्हण राज है पर मैं कहता हूं कि यह तो रावण—राज है। आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कहते हैं कि विरोधी दल के लोग इस सदन में चुपचाप बैठे रहें और किसानों का आप शोषण करते रहें। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि मुख्य मंत्री समान कार पर नहीं चढ़ते हैं, तापमान कार पर चढ़ते हैं। उसका क्या औचित्य है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका तापमान से क्या मतलब है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं एयर कन्डीशन्ड कार को कह रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आज तापमान हाउस का बहुत बढ़ गया है ।

जी उपाध्यक्ष—

जब कई दफे परिधि बढ़ जाती है तो तापमान भी बढ़ जाता है ।

(हंसी)

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

आप अपनी मितव्ययता करके दिखाते तब कहते । आप कहते ही हैं कि विकास की आंधी बहाना चाहते हैं । आप अपनी सारी ऐशो-इशरत छोड़कर प्रदेश का कल्याण करते । जैसे पाकिस्तान का जब आक्रमण हुआ तो आपके आवाहन पर प्रदेश आगे रहा है । अगर आप इसी तरह से आवाहन करते तो शायद प्रदेश के किसान के गले से नीचे आपकी बात उतरती । आप तो किसानों का शोषण कर रहें हैं । इसलिये मैंने इसका विरोध किया है ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, अब दो बज रहे हैं । हाउस में केवल पांच कांग्रेसी बैठे हुये हैं । इसलिये मन्शा मालूम होती है ज्यादातर विरोध की इनकी । इसीलिये यहां पर कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बजाय कि आप नीयत पर जायं, आप कोरम का सवाल उठा सकते हैं ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, हमारा अननुमोदन का प्रस्ताव है, हमें बोलने की आज्ञा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले राजस्व मंत्री अपना प्रस्ताव रख दें और आप भी संशोधन रख दें । बहस पर बोलने का सबको मौका देंगे ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

जैतपुर (फैजाबाद) के संबंध में एक स्टेटमेंट होना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

उचित बात आप अनुचित समय पर उठा रहे हैं । मैंने कह दिया कि शाम को देखेंगे और उस पर बयान दिलवायेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972, पर विचार किया जाय । श्रीमन्.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । पिछली बार जब यह विधेयक अनुज्ञा के लिये सदन में प्रस्तुत किया गया था तो हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था । उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—]

जी ने यह कहा कि था कि अगर हमको ऐसा मालूम होता तो हम विरोध पक्ष को बुलाकर परामर्श कर लेते। बहरहाल, मुख्य मंत्री जी ने हमको बुलाया नहीं। यद्यपि हम यह मानते हैं कि विरोध का यह परिणाम हुआ कि सवा 3 एकड़ तक इसको माफ कर दिया। मान्यवर, इस पर मेरा अब कोई विश्वास नहीं रह गया है और हमारी पार्टी इसे किसान विरोधी और काला कानून कहती है और इस नीति की है कि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये। हां, अगर उसकी आमदनी है और टैक्स लगना आवश्यक है तब तो इत्मीनान हो जाता है कि काश्तकार की आमदनी होती है।

मान्यवर, सवा छः एकड़ वाला सिद्धान्त एस०एस०पी० ने मन्जूर किया, कांग्रेस(ओ०) पार्टी ने मन्जूर किया, बी०के० डी० ने मन्जूर किया और हमने मन्जूर किया और हमारे उस तरफ के बैठने वाले शासक दल ने भी मन्जूर किया है। उनके दल के मुजफ्फरनगर के सेशन में यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि अनर्थक सवा छः एकड़ जोत पर लगान माफ होना चाहिये। इतना ही नहीं, जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अनर्थक जोतों पर लगान उठा लिया जाय। इन्होंने अपना वचन भंग किया है, हमारा इन पर कुछ भी विश्वास नहीं रह गया। यह भी जानते हुये कि वचन भंगी हैं क्योंकि उन्होंने बंगला देश कर लगाया और आज तक कायम है, रिफ्यूजी चले गये। पैसेन्जर टैक्स लगाया और इसको बढ़ा दिया। अब यह भूमि विकास कर लगाने जा रहे हैं यह बहुत बड़ा कष्ट पैदा कर देगा किसानों के लिये मान्यवर, यह भूमि विकास कर है, वह तो और नीतियों के कारण इनफोर्स करने जा रहे हैं इसलिये कि 'संविद' सरकार ने इस कर को माफ कर दिया था। मेरे साथियों का मत है कि इसमें इनकी नियत खराब है और हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। अगर ये किसानों की मदद करना चाहते हैं तो अनुत्पादक मदों से रुपये हटाकर उन स्कीमों में लगाते जिनसे किसानों का हित होता। इस वक्त किसानों की स्थिति क्या है? मान्यवर, बहुत भयंकर सूखे से सारा प्रदेश ग्रसित हो चुका है। बाढ़ से पहले ही त्रस्त था। हर चीजें मंहगी हो गयी हैं। आज किसान के लिये आमदनी और खर्च बराबर कर पाना दुष्कर हो रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में यह कर लगाकर, मान्यवर, यह सरकार महान पाप कर रही है, अत्याचार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको वापस नहीं लेंगे। इसलिये हमारे दल ने यह निश्चित किया है कि हम लोग इस विधेयक के विचार में भाग नहीं लेंगे और अगर यह विधेयक पास कराते हैं तो हम 16 तारीख से सत्याग्रह करेंगे। अस्तु, मान्यवर, हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जनसंघ दल के सदस्यों सहित 'काला कानून वापस हो', 'किसान विरोधी कानून' वापस हो, के नारे लगाते हुये सदन के बाहर चले गये।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

श्रीमान, जी, जैसा अभी जनसंघ के नेताओं ने कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात सभी नेताओं के सामने और आपकी मौजूदगी में कही थी कि इस पर सभी को बुला करके बात की जा सकती है। जिस तरह से हाउस में कहा था, मेरा ख्याल था कि उन्होंने यह कहा कि सभी दलों के नेताओं को बुलाया जायेगा और माननीय वित्त मंत्री जी सरकार की पोजीशन उनके सामने रख देंगे। मेरे ऐसा कहने पर आपने भी यह कहा था और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि आपस में इसके बारे में सलाह-मशविरा करेंगे। लेकिन सलाह-मश्विरा तो उसके संबंध में कुछ नहीं हुआ है। अपनी पार्टी में कुछ जरूर विचार कर लिया हो, लेकिन हम लोगों से उसके बारे में सलाह-मश्विरा नहीं किया। जिस तरह से सूखे की स्थिति इस प्रदेश में है, उसको तो देख करके, चाहे यह बात पहले से न भी होती, तब भी मुख्य मंत्री को ऐसी स्थिति में सभी दल वालों को बुला करके विचार करना चाहिये था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये। क्या इसको लाया जाय अथवा न लाया जाय। अगर इस विधेयक को लाया जाय तो क्या इसी रुप में या किसी परिवर्तित रूप में लाया जाय। यह सभी होना चाहिये था। श्रीमान जी, कल थोड़ी सी वर्षा हो गयी। थोड़ी सी राहत हो गयी। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि 50 फीसदी या कहिये 60 फीसदी

जमीन बोई नहीं गयी। जो थोड़ी जमीन बोई गयी है उसकी भी फसल अच्छी होने वाली नहीं है अब, चाहे अब वर्षा ठीक हो जाय तब भी। पैदावार जो आमतौर से होती है, उसकी आधी पैदावार ही होगी। पिछले साल बाढ़ जब आई इस प्रदेश में तो उस वक्त सरकार यह कहती थी, और यहां हाउस में भी कहा कि कितनी भी बाढ़ रही हो, लेकिन पैदावार में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मैंने जो सरकारी आंकड़े मंगाकर देखे तो उससे मालूम हुआ कि 20 लाख टन पैदावार पिछले साल से कम हुई। जहां 70–71 में 194.65 लाख टन पैदावार थी वह सन् 71–72 में 174.64 लाख टन रह गयी, और जैसी कि स्थिति अब पैदा हो गयी है पैदावार इससे बहुत कम हो जायेगी। किसानों के ऊपर तो हमने यह जिम्मेदारी डाल रखी है, कि उनको अपने खेत में मेहनत करके इतनी पैदावार करनी चाहिये कि हमको दूसरे देश के सामने अपना पेट भरने के लिए हाथ न फैलाना पड़े बल्कि अगर किसी दूसरे देश को जरूरत हो तो हम गल्ला दे सकें। लेकिन यह कैसे होगा? 70–71 के पहले यह आशा थी कि आत्मनिर्भरता पैदा हो गयी है और बढ़ती जाएगी और अब यह खतरा नहीं है कि दूसरे देश से गल्ला मांगना पड़े, लेकिन अब जैसी बात हो रही है उससे लगता है कि किसानों का जोश ठन्डा हो जायगा और वह जो कुछ दिलचस्पी ले रहे थे वह भी मजबूरन खत्म हो जाएगी।

माननीय राज्यपाल जी ने जब सदन को सम्बोधित किया था तो कहा था कि हम गल्ले की खरीद दो उद्देश्यों से करते हैं––एक तो उपभोक्ता को ठीक दाम पर गल्ला मिल सके और दूसरे किसान को ठीक दाम मिल सके और वह सुरक्षित रह सके और उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का जोश कायम रह सके। क्या इस कार्यवाही से किसानों में ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करने का जोश रहेगा? जो समान उनको खरीदना पड़ता है उसके दाम बराबर बढ़ते चले जा रहें हैं। इनपुट्स के दाम बढ़ गए हैं। खाद का दाम बढ़ गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस पर दो बार टैक्स लगाया। पहली बार 10 प्रतिशत और फिर 5 प्रतिशत। बैलों का दाम बढ़ गया है। ट्रैक्टर का दाम बढ़ गया है .....

श्री नारायण दत्त तिवारी––

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। आप तो बोल ही रहे थे। यह किस प्रसंग पर चर्चा हो रही है?

श्री जयराम वर्मा––

मैं उस स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में यहां पर आश्वासन दिया गया था। उस पर मैं राजस्व मंत्री जी का जवाब चाहूंगा। उसके बाद जो कुछ मुझे करना है वह मैं करूंगा। इस हाउस में आश्वासनदेने के बाद कि विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करेंगे, तब भी बात-चीत न करना, जबकि स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है, इसका मतलब रखता है कि, आपको सदन के माननीय सदस्यों की परवाह नहीं है। फिर हम लोगों के सहयोग की क्या जरूरत रह गयी है? मनमानी जबरदस्ती करना चाहते हैं। अगर वह अपनी बात से हटना चाहते हैं तो मैं उनका जवाब सुन लूं तब आगे जो मेरा कर्तव्य है वह मैं करूंगा। राजस्व मंत्री जी इसका जवाब दे दें कि उस आश्वासन के अनुसार कार्यवाही करने को तैयार हैं या नहीं।

श्री उदित नारायण शर्मा––

मान्यवर, जिस बात को अभी माननीय वर्मा जी ने उठाया है, जहां तक उसके उत्तर का ताल्लुक है, उनको विश्वास रखना चाहिये था कि मैं पहले उसी का उत्तर दूंगा। उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि मुख्य मंत्री जी ने जिस समय यहां पर यह बात कही थी कि पहले आप लोगों को बुलाकर वित्तमंत्री जी बात कर लेंगे तो उसी समय उस पक्ष को यह बात मान्य नहीं हुई थी और यह कहा गया था कि हमें तो उस विषय पर कोई बात करनी ही नहीं थी। उसके बाद में वित्त मंत्री जी उनसे बात करते। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या बात करते जब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे और कहते थे कि जो भी बात होगी तो

[श्री उदित नारायण शर्मा]

उसमे कोई सहयोग ही नहीं दे पायेंगे ? तो वह क्या बात करते ? तो मजबूरी थी। हम चाहते थे कि उस तरह से काम हो, आप नहीं चाहते थे कि उस तरह से हो। वह नहीं हुआ।

श्री जयराम वर्मा—

तो श्रीमान जी, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्पीकर साहब के कमरे में आपकी मौजूदगी में, स्पीकर साहब की मौजूदगी में यह बात हुई थी। यहां पर जो बात हुई थी, उसके बाद भी लीडर्स बुलाये गये थे तो यह बात हुई थी और उसको किसी ने नहीं इन्कार किया कि हम इस बात को मानने के लिये तयार नहीं हैं बल्कि दूसरे दिन फिर जब चीफ मिनिस्टर ने जिक्र किया तो मैंने कहा कि दूसरों की बात को सुनने का कोई प्रभाव तो आपके ऊपर होता होगा और जो एक एकड़ से 3 1/8 एकड़ पर आ गये हैं कि वहां तक हम उन पर टैक्स नहीं लगायेंगे, हम लोगों की बात का आपके ऊपर असर पड़ रहा है तो फिर बात करनें में हर्ज ही क्या है, और बहुत सी बातें सलाह मशविरे से तय हो सकती हैं और कोई काम एक राय से होता है वह अच्छा होता है, लेकिन अगर जरुरत नहीं है एक राय की और सरकार अपने ही बल पर काम करना चाहती है तो मैं अपने दल के साथ वाक-आउट करता हूं और इस संबंध में हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे।

(श्री जयराम वर्मा ने भारतीय क्रांति दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग किया।)

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमारा एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि जो बिल माननीय मंत्री जी ने पेश किया है वह आप देखें कि आपके जमींदारी एबालीशन के लैंड रेवेन्यू ऐक्ट। 1950 की धारा 241 के मुताबिक इसको नहीं पेश करना चाहिए और न आप इसकी इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन ने अनुज्ञा दे दी है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

लेकिन आज उन्होंने विचार के लिये कहा। मेरा यह कहना है कि इन परिस्थितियों में इन कानूनों के रहते हुये इस प्रदेश में, इस विधेयक पर विचार न किया जाय। आप श्रीमन्, व्यवस्था दे दें। उसके लिये कानून बने हुये हैं। इसलिये जो मौजूदा विधेयक लाया जा रहा है, यह उस कानून से सुसंगत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं था नहीं, लेकिन माननीय अध्यक्ष ने दी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

दो प्वाइंट हैं। मेरा यह कहना है कि सबसे पहले जो प्वाइंट था वह यह था कि इस सदन की विधायनी क्षमता से परे हैं संविधान के अन्तर्गत कि वह लगान या मालगुजारी रहते हुये उसी भूमि पर किसी दूसरे प्रकार टैक्स लगा सकें और इस प्रकार लगान का वह इजाफा नहीं कर सकते—यह उस प्रश्न के तहत में था। आज मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत साथ ही 1901 के लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह कहूंगा कि संविधान या नियमों का हवाला देकर कहें तो हम बात समझ सकते हैं, लेकिन मान लीजिये किसी कानून का इस कानून से जो बन रहा है, विरोध हो तो क्या वह आ नहीं सकता है ? मान लीजिये जमींदारी उन्मूलन में कुछ हो.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब तक कि उस कानून में संशोधन न हो जाय, उस कानून का उतना पोर्शन निकाल न दिया जाय तब तक यह कानून उससे सुसंगत नहीं होगा विरोधाभासी होगा और इस सदन के पिछले काय को.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो परवर्ती होगा और विचार होगा उस पर और आप कहेंगे कि अब अगर अन्त में किसी का निरसन है तो वह हरएक विधेयक में निरसन रहता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस विधेयक में कोई निरसन का जिक्र नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो इसमें नहीं आवश्यक होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब तक कि कोई निरसन न हो जाय कोई कानून इस सदन में विचार के लिये नहीं आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक में यह दिया है कि "ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानो यह अधिनियम 16 जून, 1972 को प्रवृत्त हो गया था"। विधेयक के खंड 7 में यह दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उसमें किसी ऐक्ट का हवाला नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उसमें दिया हुआ है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उत्तर प्रदेश जमींदारी अबालीशन ऐक्ट, 1950 के खंड 252 में जिसमें ओरिजीनल सप्लीमेंट आफ लैंड रेवेन्यू की बात कही गई है। इसको कैसे किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि ऐक्ट डिफेक्टिव हो जायगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस तरह का अगर कोई डिफेक्टिव ऐक्ट है तो उसको पास करवाने के लिये सदन का समय नष्ट न करें। कोई ऐक्ट या अधिनियम तब बनेगा जब आपकी अनुमति से वह इस सदन में विधेयक की शक्ल में पेश होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप कोई नियम या कानून यहां पर बनाते हैं तो उसका जजमेंट करने के लिये कि वह वैध या अवैध है उसके लिये भी अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। यह तो कोई नहीं कह सकता कि वह एक दम ठीक ही है और कोई गल्ती नहीं कर सकते हैं। फिर भी, आपको सदन के अधिकारों का विस्तरण करते हुये काम करना है। फिर न्यायालय उस पर निर्णय दे सकते हैं, लेकिन आपको सदन के अधिक से अधिक अधिकारों का बढ़ाने की दिशा में ही झुकना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न पहले आता तो अच्छा था कि हम तो अपने अधिकारों का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं? उस दिन आपने यह बात कही होती तो अच्छा था। जो मौजूदा कानून है उसको उत्तर प्रदेश जमींदारी एबालीशन कानून के अन्तर्गत 40 साल तक या फिर कोई बन्दोबस्त न होने तक नहीं लाना चाहिये। 40 साल तक लगान या मालगुजारी में इजाफा नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को भूमिधरी राइट्स हैं उनके ऊपर लगान या मालगुजारी का इजाफा नहीं कर सकते हैं। शुरू में ही कहते हैं कि कृषि भूमि पर कर आरोपित करने के लिये इसको किया जा रहा है परन्तु बगैर बन्दोबस्त के हो नहीं सकता है और उत्तर प्रदेश जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के मुताबिक 40 साल तक या बन्दोबस्त न होने तक इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है सिवा उस जमीन को छोड़ कर जो कि नदियों से निकलने वाली भूमि है या फिर किसी स्थान पर कोई आश्यकता ही पड़ जाय। नये सिरे से इसको करवाने का कोई प्राविधान नहीं है। सारी जमीन का नहीं, ऐसी भूमि का जो नदियों से निकलने वाली जमीन हो या ऐसी जमीन का जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बनने के समय तक मालगुजारी नहीं लगती थी, ऐसी जमीन पर अगर लगान लगाना जरूरी हो जाय तो राज्य सरकार कलेक्टर को यह आदेश देगी कि गजट में प्रकाशित करके लगान निर्धारित करें। जो वायदा इस सदन के द्वारा किया गया है उत्तर प्रदेश जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में विभिन्न प्रकार के काश्तकारों से उस वायदे को...

श्री उदितनारायण शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

किस बात पर मन्त्री जी का व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आज के भाषण के ऊपर।

किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले सदन की अनुज्ञा मांगी जाती है और उसके उपरान्त ही अध्यक्ष जी पूछा करते हैं कि इनको अनुज्ञा दी जाय या नहीं। लेकिन जब वह विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसके ऊपर दोनों पक्ष के लोग जब बोल लेते हैं तो उपस्थित किया जाता है कि विचार किया जाय या न किया जाय और तब मत होता है।

इसलिए जिस समय कल्पनाथ सिंह जी यह प्रश्न उठा रहे हैं उनको उठाना नहीं चाहिये। मैं तो अभी आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा। उसमें जो आपके विचार होंगे उनमें भी होगा जो आप कह रहे हैं। उसके बाद जब मैं उत्तर दूंगा तो इसका भी उत्तर दूंगा। और आप पूछेंगे कि इस पर विचार किया जाय या नहीं। इसलिए इस समय इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

यही मैंने आपसे कहा कि संविधान की कोई स्थिति या किसी भी स्टेज पर नियमों की स्थिति ऐसी बतायी जाय...

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

प्वाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक सेकेन्ड सुन लें आप। जो सवाल व्यवस्था का उठाया गया संविधान के सम्बन्ध में या प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम के सम्बन्ध में, संशय किसी स्टेज पर हो तो उस बात को मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोई ऐसा कानून हो, मान लीजिये यह प्रतिकूल ही हो तो उस विपरीतता के निराकरण का स्थल यहां नहीं है, न्यायालय होता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है और चाहते हैं कि इस पर विचार हो और पारित हो और अधिनियम बन जाय तो कानून की दृष्टि में ऐसा अधिनियम अल्ट्रा वायस होगा। इस आदरणीय सदन को अख्तियार ही नहीं है कि इस पर कोई कानून बनाये। अनुज्ञा के स्तर पर विरोध पक्ष से कहा गया लेकिन यह कहा गया कि जब विचार होने को होगा तब यह सदन सक्षम है देखने के लिये कि इस पर कानून बने या नहीं। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 246 के उपखण्ड (3) की ओर दिलाऊंगा जो इस प्रकार है :—

> "खण्ड (1) और (2) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान मण्डल को सप्तम अनुसूची की सूची (2) में (जो इस संविधान में 'राज्य सूची' के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगयित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।"..

अब जो राज्य की सूची नम्बर (2) है..

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न जो आप सूची का उठा रहे हैं यह उस वक्त उठाया जाना चाहिये जब अनुज्ञा के लिए पेश हो ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह इसी वक्त उठेगा। किसी बिल को अगर आप चाहें तो अनुमति दे कर डिस्कशन हो जाय। तो चर्चा जब होनी होगी तब यह कहा जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रूपनाथसिंह यादव]

संविधान की सूची 45, 46, 47, 48 को अगर आप देखें तो उससे साफ-साफ दिया है कि कृषि भूमि के सम्बन्ध में इस सरकार को विधेयक लाने का अधिकार है ही नहीं। 49 के अन्तर्गत आ सकता है लेकिन वह भूमि-भवनों पर कर के सम्बन्ध में है, इससे सम्बन्धित नहीं है। जो लैण्ड की परिभाषा दी है उसके अन्तर्गत भी यह नहीं आता है। जो भूमि एग्रीकल्चरल लैण्ड नहीं है उस पर यह कानून बना सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह सरकार सक्षम नहीं है तो उसके लिए न्यायालय है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, यह वहां जाकर तो अवैध हो ही जायगा, मगर आप भी रोक सकते हैं। जब यह सरकार यहां विरोध में बैठती थी तो इसी ने सवा 6 एकड़ तक का लगान माफ किया था। हम लोगों ने सत्याग्रह भी किया था, जेल भी गये थे, और आज यह सरकार में हैं तो दूसरी बात करने लगे। माननीय नारायण दत्त जी उस वक्त क्या गैर जिम्मेदारी से बोलते थे। सरकार में जाकर वचन भंगी हो गये। इसलिए सरकार को यह विधेयक पेश नहीं करना चाहिए, इसे वापस ले लेना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, यही संवैधानिक प्रश्न सम्भवतः सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने उठाया था और उस समय माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है कि इस प्रकार के मामलों में अदालत में ही निर्णय हो सकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 45 में लैण्ड रेवेन्यू आता है, 49 में टैक्सेज आन बिल्डिंग्स आता है। अगर माननीय सदस्य की यह बात मान ली जाय कि 49 में टैक्स आन एग्रीकल्चरल लैन्ड नहीं लिखा है तो फिर 45 में यह अर्बन एरिया के लिए ही होता, उसमें ऐसा नहीं है। लैन्ड शब्द की परिभाषा से ही स्पष्ट है और सरकार को इसे पेश करने और पास करने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये कि अधिकार नहीं भी है तो इसका फैसला कौन करेगा? न्यायालय ही तो करेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आपको रूलिंग से भी हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जो इसके विरोध में है उनके लिए तो सन्तोष होना चाहिये और उन्हें सुख का अनुभव होना चाहिये। वे इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इनके पास तो तादाद लम्बी है, कल अविश्वास का प्रस्ताव भी पास नहीं हो सका, यह इसे भी पास करा लेंगे। मगर इसी सदन में उन्होंने यह माना है कि सवा 6 एकड़ अलाभकर जोत है, उस पर मालगुजारी नहीं लगेगी।

मान्यवर, यह लगा लें। आप ठीक कह रहे हैं उसका फायदा हमें बाहर मिलेगा और लिया जायगा। लेकिन हम जनता से चुन कर आए हैं, हम जनता की आवाज यहां पर रखना चाहते हैं। इसलिए कह रहा कि यह संविधान के विपरीत जाने का प्रयास न करें। यह तो ठीक है कि इसका निर्णय हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट में होगा, लेकिन जहां सिद्धान्त रूप में

आपने मान लिया है कि सवा छः एकड़ तक की काश्त अलाभकर माना जायगा, तो वहां भूमि विकास कर लाने का कोई महत्व नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह न्यायालय फैसला करेगा कि यह सदन सक्षम है या नहीं, यहां यह विवाद है आपस में। तो श्रीमन, इसलिए है यह सदन सक्षम है या नहीं इसे आप स्पष्ट करें। जब आप इसका निर्णय न दें या निर्णय दें कि न्यायालय देखेगा तभी यह आता है। अभी तो आप सक्षम है, इसे देखने के लिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आप देख लें, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसे शास्त्री जी ने कहा—हम इसको देख लें। यह जो क्षमता का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, रामधारी जी भी सहमत होंगे यह सर्वोपरि सदन है। इस असेम्बली पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती है। इसको, किसी ऐक्ट को न्यायालय में चुनौती देकर बंधता और अवैधता का सवाल उठाया जा सकता है।

(कोरम के हेतु घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इसके पहले कि मैं इस बिल के विषय में कुछ कहूं, दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है—यद्यपि उसका महत्व अब नहीं रहा। मैंने भी यह निवेदन किया था, यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाकर और जो वैधानिक प्रश्न उठाकर माननीय सदस्य ने बहस की, उसको मेरा भाषण समाप्त होने के बाद कहना चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर इस समय विचार जारी है। बेहरहाल यदि यह समझा जाय कि जो कुछ कहना है, उसे किसी वक्त भी कहा जाय, तो ठीक है, आपने कह दिया। अब में निवेदन करना चाहता हूं—इसकी वैधानिकता के बारे में तीन बातें कही गई, पहली बात तो माननीय कल्पनाथ जी ने कहीं कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट जिस तरह से है, जिसमें यह दिया हुआ है यह 40 साल तक लगान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा उसके वजह से यह मौजूदा बिल नहीं लाया जा सकता है, उसमें अवैधानिकता है।

दूसरी बात माननीय यादव जी ने कही कि आर्टिकल 49 में सिर्फ लैण्ड शब्द लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल लैण्ड नहीं लिखा हुआ। इसलिए यह अवैधानिक है। तीसरी बात आपने यह कही कि बावजूद इसके कि सदन इसको पास करता भी हो, बाहर इसकी कोई गुंजायश नहीं रखनी चाहिए कि बाद में यह अवैधानिक करार दिया जाय। बल्कि यहीं पर तय हो जाना चाहिए। आखिरी बात जो पांडेय जी ने कही उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अगर उनके तर्क को दूर तक ले जाया जाय तो हाई कोर्ट में काम नहीं रह जायगा। फिर वह बिल की वैधानिकता पर कोई फैसला नहीं दे सकेंगे। हम कहते हैं कि यह वैधानिक है, वह कहते हैं कि अवैधानिक है। तो किस की बात मानी जायगी। फिर यहां, मैजारिटी के बल पर जो बिल वैधानिक मान कर पास कर दिया जाता है, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाय तो वहां विचार नहीं होना चाहिए। इसलिए वह तर्क स्पष्टतया लागू नहीं होता। उसमें कोई बल नहीं है।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो कहा, निश्चयपूर्वक यह लगान नहीं है। मैंने उस रोज भी यह निवेदन किया था। इसको लगान की परिभाषा में मानते हैं यह गलत है।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

लगान का जिक्र इसलिए किया गया है कि इस कर को हम भूमि के ऊपर किस प्रकार लगायेंगे, यह न लिखकर कि हम इतने पर इतना लगायेंगे, कैलकुलेशन का आसान माध्यम निकाल कर यह कहा गया है कि मौजूदा मालगुजारी के हिसाब से लगेगा ।

तीसरी बात यह है कि 49 में सिर्फ लैण्ड शब्द कहा गया है उसमें एग्रीकल्चरल लैण्ड नहीं कहा गया है। इन्टरप्रिटेशन का माना हुआ नियम है कि जो शब्द जहां पर उपयोग किया जाता है उस शब्द का इन्टरप्रिटेशन बाहर के कोई शब्द मिला कर नहीं किया जा सकता। उन्होंने 45 और 56 को आधार मान कर कहा है कि कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिए जो जमीन पर नहीं लगा रहे हो। लेकिन 49 में जाकर जब उन्होंने लैन्ड कह दिया तो लैण्ड इनक्लूड्स बोथ एग्रीकल्चरल लैण्ड एण्ड अदरवाइज दैन एग्रीकल्चरल लैण्ड। यह व्याख्या करने के बाद आप समझ जायेंगे कि जहां तक 49 का ताल्लुक है, 45, 46 का ताल्लुक है, उससे हम लैण्ड रेवेन्यू लगायेंगे और एग्रीकल्चर पर टैक्स लगायेंगे—चूंकि एग्रीकल्चर और लैण्ड दोनों पर लगा सकते हैं, इसलिए दोनों लिखे हुए हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

अगर लैण्ड में सब आता है तो यू० पी० टेनैन्सी ऐक्ट में जिस लैण्ड को डिफाइन किया है उसमें सब लैन्ड नहीं आती है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यू० पी० टेनैन्सी ऐक्ट में जब चाहते थे कि हो तो डिफाइन कर दिया लैन्ड को। कानून जो बनाये जाते हैं तो उनको समझने का यही तरीका होता है। जो बात आपने कही वह हमारे पक्ष में है।

जहां पर उनकी मंशा यह होगी कि इस चीज को हम लैण्ड नहीं मानते उसको वह कहते हैं कि यह लैंड नहीं है। पिछली बात जिस तारीख की अनुज्ञा दी जा रही थी और जिस समय यह वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया था उस समय अध्यक्ष जी ने यह रूलिंग दी थी कि इस सदन में कई बार यह फैसला हुआ कि इस प्रकार की जो वैधानिक आपत्तियां हुआ करेंगी तो सदन ही उन को तय करेगा, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष तय नहीं करेंगे। इसलिए अवैधानिक आपत्ति में कोई बल है नहीं।

आरम्भ में ही मैं एक बात कह देना चाहता हूं बड़ी जो तोड़ कर विरोधी दल की ओर से यह कोशिश हो रही है कि जो 1 एकड़ के बजाय सवा तीन एकड़ पर से मुक्ति कर की बात की जा रही है वह उनकी वजह से कर दी गयी। अगर आपको इसी में सुख मिलता है तो कहिये लेकिन मैं निश्चयपूर्वक कहूंगा कि वह आपकी वजह से नहीं हुआ।

श्री राम बिलास पांडेय—

पिछली बार जब माननीय मन्त्री विधेयक प्रस्तुत करना चाहते थे तो दो बार सदन को स्थगित करना पड़ा। तो यह हमारी वजह से नहीं होने जा रहा है यह तो उनकी वजह से हो रहा है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

आप अपने समय में खूब बोलियेगा। मैं इस समय दो एक बातें जो कही गई हैं, उनका उत्तर दे देना चाहता हूं। श्री शम्भूनाथ जी ने यह बात कही कि विरोधी पक्ष को इस बात पर आपत्ति हुई कि आप बन्दोबस्त क्यों कर रहे हैं, बन्दोबस्त करके लोगों पर लगान क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? मैंने उत्तर में कहा कि लगान की स्थिति को आप देख लीजिये। जितने छोटे किसान हैं उन पर जो लगान है बड़े किसानों के मुकाबले उस लगान की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। यह बात वांछनीय नहीं है और उस रोज यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। आज यह इस बात को मान गये कि लगान में इतनी असमानता है जिसको

वजह से आप कोई काम कर ही नहीं सकते। वह असमानता वांछनीय नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। इस दल के विधायकों में भी इस बात की चर्चा हुई और मैं बहस के लिए नहीं तथ्य को सामने रखने के लिए यह बतलाना चाहता हूं कि यह असमानता जो है, यही मुख्य कारण थी जिससे हम लोगों ने सोचा कि अगर तीन एकड़ तक हम उनसे लेंगे तो यह हो सकता है कि ज्यादा न हो लेकिन असमानता इतनी ज्यादा है जिससे सम्भव है कि जो हमें उनसे लेना है वह मुकाबलतन बहुत अधिक हो जाय। सवा तीन एकड़ तक जिनको हमने जमीन दी है वह ज्यादातर भूमिहीन रहे हैं, हरिजन रहे ह। लिहाजा यह मुनासिब न होगा इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि हम उन पर कर लगायें और इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस दल ने आप से बहुत पहले यह तय किया इसमें जो अभिसूची 8 दी हुई है, उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे हमारे संशोधन पेश करने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से पढ़ लें और तब उसी के लिहाज से उसमें बहस हो जाय। इसलिए दोनों बातों को दृष्टि में रखते हुए यह मुनासिब समझा गया कि जहां सवा तीन एकड़ लगान का सम्बन्ध है उसको हम कम करें। जिस बात से आपको बुरा लगा है और जिस बात की ओर आप ध्यान दिलाना चाहते ह, ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साढ़े बारह एकड़ के ऊपर जो लोग हैं उसको दुगना न करके ढ़ाई गुना कर दिया जाय। इस तरह से करीब-करीब यह निश्चित हो गया कि जब हम अपेक्षाकृत देखेंगे तो देखने को नहीं मिलेगा कि जो हरिजन हैं, भूमिहीन हैं या गरीब किसान हैं उनका ज्यादा पैसा लगेगा और जो बड़े आदमी हैं उनका कम पैसा लगेगा।

जहां तक असमानता की बात है उसको पूरा करने के लिहाज से कि इसमें किसी प्रकार की गुन्जायश न रह जाय, इस चीज को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया कि साढ़े छः से साढ़े बारह एकड़ तक के जो लोग हैं उनका सौ प्रतिशत बढ़ा दिया जाय और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनका डेढ़ गुना बढ़ा दिया जाय।

इसके अलावा में एक चीज की ओर माननीय सदस्यों की तवज्जह दिलाऊंगा कि इस बिल को हम इसलिए लाये हैं कि हमें अपने संस धन बढ़ाने हैं। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए तथा अन्यथा भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने काफी स्पष्ट कर दिया था, श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस प्रदेश के सर्वोन्मुखी औद्योगिक और कृषि विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक हो गया कि बिना संशोधन लाये और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी की पूर्ति के लिए और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जिस कर को हम लेने जा रहे हैं उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्था विधेयक में दी हुई है।

एक नई बात आप इस विधेयक में यह भी देखेंगे कि जिस चीज की तरफ आज तक किसी का ध्यान नहीं गया उसे सम्पन्न करने की कोशिश की गई है। मान्यवर, म आपका ध्यान इस विधेयक के 5 और 6 धारा की ओर दिलाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि विस्तार से यह व्यवस्था दी गई है कि इस तरह से जो धन उपलब्ध होगा उसका वितरण किस प्रकार से होगा और किस तरह से खर्च किया जायगा। ऐसी कोशिश आज तक पहले कभी नहीं हुई। हमारे उधर के बैठने वाले कुछ माननीय सदस्य यह कहते रहे कि गांव समाज को कुछ इतना पैसा देना चाहिए जिससे ये विकास का कोई काम कर सकें। उसमें यह भी कहा गया है कि जो पैसा आयेगा वह बड़े आदमियों के विकास के लिए खर्च नहीं होगा और खेती से सम्बन्धित ग्रामीण जनता के विकास हेतु ही खर्च किया जायगा।

मान्यवर, एक और बात निवेदन करके मैं बैठ जाऊंगा कि आज बड़े जोरों से उस बात का प्रचार किया जा रहा है और आक्षेप लगाया जा रहा है या आपत्ति उठाई जा रही है कि आपने सवा छः एकड़ लगान माफ कर दी और फिर आप लगान ले रहे हैं। तो मैं यह

[श्री उदित नारायण शर्मा]

कहना चाहता हूं कि हम लगान नहीं, टैक्स ले रहे हैं। जब-जब टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है वह लगाया जाता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अभी आपने कहा कि कर लगाया जा रहा है तो कर तो इनकम पर लगाया जाता है ? इस खेती को आप क्या इनकम मानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि एक तरीका यह है कि आपका भाषण हो जाय इसके बाद सभी भाषण दें अच्छी तरह से और एक तरीका यह है कि ऐसे ही एक दूसरे से बात करके फिर आगे चले चलिये। लेकिन मैं समझता हूं कि पहला ही ढंग अच्छा है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

अभी जो बी० के० डी० के माननीय मित्र इस सदन का परित्याग करके चले गये, जो कहा गया कि बड़ा भारी गुनाह हो रहा है, सवा 6 एकड़, सवा 3 एकड़, आधा एकड़ या एक एकड़ किसी के लिये भी सम्पूर्ण लगान माफ कर देना इस दल को मंजूर नहीं हुआ। और आज यही लोग इस तरह की बात करते हैं तो उसमें ब ० ग ा हो जाता है। ये केवल इस बात को साबित कर रहे हैं कि समय के अनुसार उसका फायदा उठाने के लिये जैसा हो वैसा उनको कहने दें। इसी तरह से हमारे जनसंघ के साथी भी हैं। श्रीमन्, मेरे मित्र और साथी जिस समय संविद में थे, उस समय एस० एस० पी० के लोग तो इस पर अड़े रहे कि लगान माफ होना चाहिये और बड़ी मुश्किल से श्रीमन्, सवा 3 एकड़ पर राजीनामा हुआ।

उस समय स्वर्गीय लोहिया ने कहा था और उनकी मंशा थी कि सवा 3 एकड़ तक का न भी माफ किया जाय लेकिन एक एकड़, आधा एकड़, एक रुपया, दो रुपया, किसी जगह सम्पूर्ण माफ कर दीजिये लेकिन वह न उनको मंजूर हुआ और न इनको मंजूर हुआ। श्री झारखंडे राय ने जो बात कही थी, यदि आप इस बात को मुझसे पूछते हैं तो आप उस जमाने के अखबारों को उठा कर देख लीजिये, मैं तो एक शासन में था और उस शासन की नीति के अनुसार मैं एक बिल लाया था और मैंने भी कहा था कि आज के युग में इस बात में कोई औचित्य नहीं रह गया है कि हम सवा 6 एकड़ से कम वालों से बिल्कुल लगान न लें। इस पर मेरे ऊपर आक्षेप किया गया।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या पंडित जी, इसीलिये दल बदल कर चले गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दल किसने बदला, जब जांच की जायेगी तो समय बतलायेगा। अगर दल बदल वाली बात देखी जाय तो सिवा अकेले मुझको छोड़कर कोई आदमी इससे बचेगा नहीं। न हो तो एक दिन आप इस पर डिबेट करा लीजिये। स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक कांग्रेस (ओ) का सम्बन्ध है, जो पहले की कांग्रेस थी उसका विभाजन हो गया, इसमें कोई सन्देह रहा नहीं। जब पहले की कांग्रेस थी तो यह बात सही है कि मुजफ्फरनगर कांग्रेस में यह बात तय हुई थी कि सवा 6 एकड़ तक का लगान माफ करना चाहिये और उसके एलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखा गया। लेकिन मैं इस बात को पूछता हूं कि क्या वह बात सही नहीं है कि जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तो पीछे से गुप्ता जी कह रहे थे कि यह क्या तुम लोग कर रहे हो ? आज भी लीडरशिप उन्हीं की है कांग्रेस (ओ) की। आज इधर वाले और उधर वाले भी कह रहे हैं कि सवा 6 एकड़ तक का लगान माफ

होना चाहिये । जब सवा 6 एकड़ तक लगान माफ करने की बात हुई तो उसी कांग्रेस के लोगों ने कहा कि पूरा लगान माफ करके किसानों का जो थोड़ा बहुत स्वामित्व था उसको भी लोग नष्ट किय दे रहे हैं इसलिये लगान कितना ही कम कर दिया जाय लेकिन कुछ तो लगान लगे रहने दीजिये । अभी कितना लगाया जा रहा है, जितना लगान था उसका भी आधा । मेरी समझ में यह बहस तो हो जायेगी । इसका जितना राजनीतिक लाभ आप उठा सकते हों उठाइये, मैं नहीं समझता कि कितना लाभ उठा सकते हैं लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, खूब प्रयास कीजिये, काला कानून कहिये या कुछ भी कहिये । आपको खुशी मनानी चाहिये कि जनता हमारे खिलाफ होगी तो आपको लाभ होगा । इसलिये यहां प्रस्ताव को पास हो जाने दीजिये और बाहर विरोध कीजिये और अगले चुनाव में इस सरकार को न आने दीजिये। इस लिए मैं कह रहा हूं कि आपकी तरफ से जो आपत्ति हो रही है, किसी हिसाब से औचित्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके पूर्व कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी अपना संशोधन रखें मैं केवल इतना कहूंगा कि मंत्री जी ने विरोधी पक्ष के जबाव में जो बात कही है वह सर्वथा ठीक है । लेकिन एक बात जो उन्होंने यह कही है कि वैधता के बारे में पूर्णतया बहुमत फैसला करेगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बोलेंगे तो मैं एक प्रश्न सदन के सम्मुख रखूंगा । मान लीजिये कि आज तो दिल्ली की स कार और प्रदेश की सरकार एक ही दल की है । लेकिन यदि दिल्ली की सरकार और प्रदेशीय सरकार दो दलों की हों और प्रदेशीय सरकार कन्फ्रेन्टेशन करे और यह अधिनियम लाये कि प्रदेशीय सरक ार को सेना रखनी चाहिये तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और उस की अनुज्ञा नहीं दूंगा । यह सवाल है, प्रस्तुत जो विषय है उसके बारे में, यह रूलिंग है लेकिन यह सर्वमान्य नहीं है क्योंकि स्थितियां बदलती हैं और ऐसे अकल्पनातीत और नाटकीय ढंग से बदलती है, संविधान हमारे और आपके बीच एक साक्ष्य है. उसका जहां तक हो सके उनके अनुरूप व्यवहृत करने का प्रयास होना चाहिये । बहुमत तो करता ही है लेकिन कुछ मामलों में आप का पीठासीन अधिकारी भी निर्णय ले सकता है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो का आदेश ही नहीं बल्कि विचार भी मान्य होते हैं। जो उदाहरण आपने दिया है वह लागू नहीं होता है । वैधानिक आपत्ति का इसमें कोई सवाल नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, यह आपकी व्यवस्था पर टीका है, इसको निकाल दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह टीका करें लेकिन व्यवस्था तो मैं ही दूंगा । मैंने सुझाव दिया है जब उन्होंने जबाव दिया । जब आपने वैधानिक सवाल उठाया और मैं सम्मति दे चुका तो मंत्री जी को कोई अवसर नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा और हमें ऐसा लगा कि सर्वथा बहुमत का अधिकार है लेकिन विधेयकों के बारे में, प्रक्रिया के बारे में हमें भी कहने का अवसर रहता है । हो सकता है कि अध्यक्ष जी और हमारी राय में अन्तर रहा हो । हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष जो यहां बैठे थ उन्होंने अपनी राय में रूपान्तर किया हो। मैं उससे सहमत नहीं हूं। रूलिंग देने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री राम विलास पांडेय—

एक चीज स्पष्ट करा दें कि विरोधी दल के सदस्यों ने उसका स्वामित्व खत्म करा दिया। ऐसा मंत्री जी ने कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जबाव देने के लिये तो आपको समय मिलेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 जो जनता की राय जानने के लिये 6 माह तक परिचालित किया जाय । श्रीमन्, जिस समय यह अध्यादेश सदन में पेश हुआ था उसी समय सबसे पहले मैंने कहा था कि यह काला कानून वापस हो, वापस हो, वापस हो । आज भी मैं यही कहता हूं और सदन से मांग करता हूं कि यह काला कानून पास न हो पास न हो, पास न हो । मैं ऐसा क्यों कहता हूं ? मंत्री जी ने जो कहा मैं उस का जम कर विरोध करूंगा और इसलिये हम यहां बैठे हैं और हम उनको यह मौका देने वाले नहीं हैं कि आज यह एक मिनट में हां और नहीं कहला कर पास करा के चल दें और कह दें कि यह पास हो गया। यह अवसर हम उनको नहीं देंगे और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे । हम अपनी शक्ति भर इनके कारनामों का चित्रण करने की कोशिश करेंगे बावजूद इसके कि शासक दल की बुद्धि एक दम गिरवीं रख गई है क्योंकि मंत्री जी ने स्वयं बुद्धि की बात कही है । बुद्धि का जहां तक प्रश्न है मैं सबसे पहले इस विधेयक की उस परिधि की ओर जाऊंगा जिस परिधि में यह बात कही गई है, माननीय मंत्री जी सब से पहले जो बात कही मैं उनके तर्कों का उत्तर देकर आगे कहूंगा और बाद में बताऊंगा कि यह कर क्यों नहीं लागू होना चाहिये ।

ऐसे प्रोपोजल को जो गरीब किसानों पर कर लगाने का है सीधे रिजेक्ट कर देना चाहिये। मंत्री जी ने कहा कि यह लगान नहीं है कर है। हम ने कब कहा कि यह लगान है ? आप अपने विधेयक में ही इसे कर कहते हैं । विधेयक के खंड 2 में जहां परिभाषा दी हुई है वहां आप कहते हैं कि "भूमि का तात्पर्य ऐसी कृष्ट भूमि अथवा अकृष्ट भूमि से है जिसके सम्बन्ध में राजस्व का निर्धारण या भुगतान किया जाय या किये जाने के लिये दायी हो, तथा जो किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा या किसी मध्यवर्ती द्वारा, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उस की सीर या खुदकाश्त या बाग के रूप में हो—कृषि, औद्योनिकी या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से संबंधित प्रयोजनों के निमित्त, धृत या अध्यासित हों", आगे आप देखें खंड 3 कि "प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये सभी भूमि पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर से एक कर जो भूमि विकास कर कहलायेगा भारित तथा आरोपित किया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा ।" इसके बाद इनका खंड 4 क्या कहता है "किसी भूमि पर आरोपण, और भुगतान के प्रयोजनार्थ, भूमि विकास पर ऐसी भूमि के संबंध में देय भूराजस्व का भाग समझा जायगा और उसमें सम्मिलित किया जायगा ।" यह स्वयं कहते है कि यह कर भू राजस्व का भाग समझा जायगा और उसमें सम्मिलित किया जायगा । भू राजस्व किसको कहते हैं ? लगान और मालगुजारी को कहते है तो वह बतायें । कि आय-कर, सेल्स टैक्स और बंगला देश का कर किसको कहते हैं ? यह आंख में धूल झोकने का काम सदन में बैठ कर यह सरकार कर रही है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उस तरफ के बैठने वाले अपने मित्रों से कहूंगा मेहरबानी कर के मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के खंड 2 व 4 को पढ़ने की कृपा करें और उसमें जो परिभाषा दी हैं उनको पढ़ने का कष्ट करें । आप कहते हैं कि यह मालगुजारी या लगान नहीं है ।

(इस समय 3 बज कर 9 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुये ।)

यह महज विकास कर है । आप खुद कह रहे है कि यह सम्मिलित किया जायगा। आपको इसे लगान या मालगुजारी में किसी तरह से भी सम्मिलित करने का हक नहीं है जब तक कि आप नया बन्दोबस्त न करें । जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अनुसार यह प्राविधान हो चुका है कि "सेटिलमेंट शेल रिमेन इन फोर्स फार ए पीरियड आफ फार्टी ईयर्स" यानी 40 वर्ष तक यही बन्दोबस्त लागू रहेगा। जो जमींदारी अबालीशन किया गया है उसके मुताबिक 40 साल तक आपको कोई भी लगान या मालगुजारी इस ऐक्ट के मुताबिक बढ़ाने का कोई हक प्राप्त नहीं है लेकिन नहीं, आप क्या कहते हैं ? आप कहते है कि लगान नहीं बढ़ा रहे हैं और विधेयक में कह रहे हैं कि यह मालगुजारी समझी जायगी, भू-राजस्व समझा जायगा। दोनों में कौन सही है ? लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या जमींदारी अबालीशन ऐक्ट सही है, या लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1950 सही है ? या जो मंत्री जी कह रहे वह सही है ? इन तीनों चीजो में कौन सी चीज सही है ? इसीलिये मैं कहता हूं कि यह काला कानून है और जो धोकेबाजी से भरा हुआ है, जाल और फरेब से भरा हुआ है अगर वह कानून काला कानून नहीं कहलायेगा और इस प्रदेश के लिये कलंक का टीका नहीं होगा और होगा कौन सा ?

श्रीमन्, आप दूसरी तरफ देखें कि लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट वह चाहे आप जमींदारी अबालीशन ऐक्ट को ले लीजिये, चाहे लैंड रेवेन्यू ऐक्ट को ले लीजिये कहीं भी इनको यह अख्तियार नहीं है कि जो प्रोसीजर लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में हुआ है और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में दिया हुआ है उस प्रोसीजर को छोड़कर किसी दूसरे ढंग से लगान या मालगुजारी में या कोई दूसरा टैक्स लगाकर उसको यह कह दें कि यह लगान या मालगुजारी में शामिल होगा, यह हक हासिल नहीं है । लेकिन इसमें गड़बड़ करने की इन्तिहाई कोशिश की गयी है ।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि कहा यह जा रहा है कि लगान थोड़े ही लगा रहे हैं, टैक्स है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की सवा 6 एकड़ जमीन भी नहीं है और जिन लोगों की लगान देने की क्षमता नहीं है उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाने की बात आपने सोची किस आधार पर ? कौन सा आधार आपके पास है ? उसमें यह कहा गया था कि जितनी अनार्थिक जोत है उनसे लाभ नहीं होता, किसान मकरूज है, कर्जदार है और ऐसी हालत में जब उसके जोत को लाभदायक नहीं बनाया जा सकता तब तक उसकी जोत को लगान से मुक्त कर दिया जाय । लेकिन सरकार ने बड़ी नजाकत से कह दिया कि यह टैक्स नहीं है । आज जो काश्तकार लगान या मालगुजारी नहीं दे सकता उसको यह सरकार समझती है कि वह टैक्स अदा कर सकता है और इसीलिये उन्होंने टैक्स लगाने की बात सोची ।

फिर आगे वह क्या कहते हैं ? ३ 1/8 एकड़ तक को विरोध के नाते नहीं बल्कि इस नाते हमने छोड़ दिया कि लगान और मालगुजारी में बड़ी असमानता है, ठीक है । मेरा इस बात से इन्कार नहीं है कि असमानता नहीं है। मैं मानता हूं कि असमानता है । सवाल यह है कि अगर यह असमानता है तो आपने यह कैसे असेस कर लिया कि साढ़े 3 1/8 एकड़ वाले किसानों के पास, जैसा कि कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे और उस दिन राजस्व मंत्री जी ने कहा कि 20 रुपये के आय वाली जमीन को नहीं किया गया है लेकिन यह कौन सी लाचारी में हो गया कि साढ़े 3 1/8 एकड़ या सवा 3 एकड़ तक के लिये आपने रोक दिया ? जमींदारी टूटने के वक्त से लेकर भी काश्तकार के नियम थे उस जमाने के नियमों के अन्तर्गत जो मालगुजारी रखी गयी थी जमींदारी अबालिशन ऐक्ट ने सीधे सीधे मान लिया और उस पर अपनी मोहर लगा दी, उसको कानूनी जामा पहना दिया । सवाल यह है कि अगर ज्यादा लगान हो तो सबसे पहले सवा 3 एकड़ के खाते को छोड़ देना चाहिये । ऐसे खाते पर यह टैक्स न लगाया जाय । मैं मान लेता हूं, ठीक । 8 आने, 10 आने टैक्स देने वाले लोग हैं अगर उन पर यह लगाया जाय तो बात समझ में आती है । आपने तो एक

[श्री कल्पनाथ सिंह]

तलवार लटका दी है जिसमें सब का गला बेतहाशा होकर काटने का प्रयास किया है । यह तो आपके वर्ग भेद करने की शाजिश है । लेकिन वर्ग समर्थक नहीं होंगे । क्या आपको साढ़े 12 एकड़ का अल्हाम हो गया कि ढाई गुना कर दिया । आपकी सेन्ट्रल पार्लियामेंट्री पार्टी ने कहा है कि 10 एकड़ से ज्यादा सीलिंग नहीं होनी चाहिये और आप कहते हैं कि साढ़े 12 एकड़ के ऊपर तो साफ है कि आप 10 एकड़ से अधिक सीलिंग रखना चाहबे हैं । श्रीमन्, पिछले सत्र में जो सीलिंग बिल पेश हुआ था वह न आपको देखने को मिला होगा और न हम लोगों को ही देखने को मिला है । यह सरकार छिपाना चाहती है और उसकी आड़ में यह टैक्स लगाना चाहती है, चाहती है कि चर्चा उसकी होती रहे और किसानों पर टैक्स बढ़ाती रहे । यह सरकार किसानों को ऐसी बूटी पिलाना चाहती है जिसमें वह किसान बूटी पीकर सो जाय । इसलिये हम इस टैक्स वाले बिल को गला घोटूं कहत हैं ।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने और क्या कहा । वे कहते हैं कि वे बन्दोबस्त करने जा रहे हैं । अगर आपने बन्दोबस्त कर लिया होता, लगान में पैरिटीला दी होती मामूली सा संशोधन कि इस प्रदेश में जो सबसे कम लगान देगा और सर्वाधिक देगा, वह उसके बराबर कर दिया जायगा । लेकिन आपके मान की यह बात नहीं है । आपके मन में चोर छुपा हुआ है । इसलिये आप लगान 10 गुने से 10 गुना बढ़ा रहे हैं। उसमें कहीं 50 फीसदी टैक्स, कहीं 100 फीसदी टैक्स और कहीं 150 फीसदी टैक्स कर दिया है । आपने इसमें ऐसे किसानों को भी नहीं छोड़ा है जब कि जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट के तहत में लिखा हुआ है कि नदियों से निकलने वाली जमीन का कलेक्टर, राज्य सरकार की अनुमति से, समय-समय पर बन्दोबस्त करते रहेगें, उसमें 40 वर्ष की कैद नहीं है । उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसको, नये बन्दोबस्त के जरिये से नये सिरे से लगान को निश्चित किया जायगा ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस जमीन को नदी के पट्टी से निकली हुई जमीन आप मानते हैं उस पर आपको क्या हक है लगान लगाने का 2–1/2 टैक्स लगाने का आपको क्या हक है ? उसी पर किसी भी प्रकार से आपको टैक्स लगाने का हक नहीं है । क्या आप वहां पर ट्यूबवेल की नाली पहुंचायेंगे ? क्या बिजली की नाली पंहुचायेंगे ? क्या सड़क आप वहां पर पंहुचायेंगे ? कौन सा विकास कार्य वहां पर होगा जिसके लिये आप टैक्स लगाना चाहते हैं ? कौन से तरीके से वह जमीन सिंचित हो जाती है जिस जमीन के बदौलत आप कहते हैं कि इसका उत्पादन बढ़ेगा और इस पर रोपण किया जायेगा और इस पर टैक्स लगाया जायेगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना ही नहीं श्रीमन्, आज सारे उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो पायेंगे कि सिंचाई की हालत क्या है । मोटे तौर पर जिस जिले का कहिये श्रीमन् ।

मैं आपके ही जिले की बात कह दूंगा और अपने भी जिले की बात कह दूंगा । पहले हमारे जिले का देखिये । वहां 523.9 हजार हैक्टर्स जमीन काश्त के काबिल है और उसमें अब तक जो काश्त की सिंचाई हो सकी है वह 1970–71 के अन्त में राजकीय सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित हैं और सिंचित क्षमता बढ़ी है 33.3 । यानी 523 में 83.3। श्रीमन्, मुरादाबाद की स्थिति देखें । उसमें 526 हजार हैक्टर्स में 161 सिंचित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर डेवलपमेंट लेवी लगाना चाहते हैं, भूमि का विकास भी बढ़ाना चाहते हैं तो इन आंकड़ों के मुताबिक, ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं और टोटल मान लीजिये तो 35–36 फीसदी ही इर्रीगेटेड आ सकती थी। आपको अगर टैक्स लगाना था, यह कहते तो बात समझ में आ सकती थी । आपने तो एक तरफा शुरू कर दिया कि भूमि का विकास शुरू हो गया है हम टैक्स लगाना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका क्या हक है कि जिस जमीन का अपने अब तक विकास ही नहीं किया उस भूमि पर टैक्स लगाने का ?

आपको कौन-सा नैतिक अधिकार प्राप्त है । केवल बहुमत का अधिकार छोड़कर, बहुमत के मदान्धता का अधिकार छोड़कर, संख्यासुर और भस्मासुर का अधिकार छोड़कर ।

लोक मत के लिये ही यह संशोधन पेश किया गया है । इस बिल को जनमत संग्रह के लिये जाने दीजिये और जनता की राय आ जाय तब आप इस ऐक्ट को पास कराइये । आपको जल्दी क्या है । इस ऐक्ट में भी आपने लिख दिया है कि पूर्वगामी प्रभाव से यह टैक्स लगाया जायेगा । छः महीने के बाद भी यह टैक्स लगेगा तो अन्तर क्या पड़ेगा ? लेकिन नहीं । इनके सामने समस्या दूसरी है । इनके सामने समस्या यह है कि ये अपने मालिक केन्द्र की सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान मालामाल हो गया है और उस बेचारे किसान की झोपड़ी से यह बैल, मवेशी तक खोलवा लेना चाहते है । यह लोग यह समझ रहे हैं कि उसकी झोपड़ी में नोट सड़ रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश धनी हो गया है अन्यथा आप जरा सोंचें कि बात क्या है । एक बात यह कही गई कि श्री सी० बी० गुप्त ने मुजफ्फरनगर में विरोध किया था कि सवा 6 एकड़ पर लगान माफ नहीं होना चाहिये । उस सम्बन्ध में मैं स्वयं आपने राजस्व मंत्री जी से और उनके दल के लोगों के लिये यह जानकारी देना चाहता हूं और इस सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि श्री सी० बी० गुप्ता जी ने कभी भी यह बात नहीं कही ...

एक सदस्य—

इनको बोलने का कितना समय दिया गया है ....

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस तरह से निरर्थक बात करने से न तो सदन का हित होगा और न दूसरों का । मैं इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी श्री कमलापति त्रिपाठी का भाषण जो 15 दिसम्बर, 1970 को दिया था, उसको पढ़ने जा रहा हूं । क्या कहते हैं माननीय त्रिपाठी जी वह इस सदन के लोग जो उधर बैठे हुये हैं कान खोल कर सुन लें ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका भी भाषण इसमें छपा हुआ है उस दिन का । क्या कहते हैं माननीय त्रिपाठी जी और किस मासूमियत से और कितने भोले भाले हैं, यह जरा सुन लें । "दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि किसान के मन में फैली हुई यह आशंका है कि लगान की माफी होने के बाद हमारी जमीन हमारे हाथ से न निकल जाय । राजस्व मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया । राजस्व मंत्री को यह भली भांति मालूम होगा कि हमारे यहां लैंड रिकार्ड बहुत नाकाफी हैं और असन्तोषप्रद हैं । बल्कि ऊपर से नीचे तक गलत भी हैं" पहले तो यह शंका बता दी कि जमींन न निकल जाय । लेकिन यह बात भूल गये कि माननीय सी० बी० गुप्ता जी की सरकार ने, जब वह 1969 में थी, तभी किसानों के लिये पास-बुक जारी कर दी थी और सवा छः एकड़ तक के किसानों की लगान माफी का अध्यादेश कर दिया था और कह दिया था कि यह हमारे विरोधी लोग इस बात को फैलाते हैं और इनके विरोध में मत जाना । यह पास-बुक तुम्हारी धरोहर है । यह उसी वक्त कह दिया था । लेकिन बात क्या थी ? जरा आगे सुनिये मान्यवर, क्या कहते हैं । मान्यवर, शायद वह आप ही का संशोधन था कि लगान रबी की बजाय खरीफ से माफी की जाय । अगर मेरी याद दास्त सही है ।

तो यह आपका ही संशोधन था कि लगान रबी के बजाय खरीफ से माफकिया जाय और अधिष्ठाता महोदय, आपका भी संशोधन था । उस वक्त आप क्या फरमाते हैं, हमारे त्रिपाठी जी कि "अंत में यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को आज ही स्वीकार किया जाय और साथ ही साथ यह घोषणा कर दी जाय कि खरीफ से हम सवा छः एकड़ तक लगान की माफी करते हैं ताकि इस अध्याय की इति श्री हो जाय और किसानों को लगान से छूट मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।" मैं जानना चाहता हूं कि जिस भावना से आपने इसी सदन में यह भाव व्यक्त कर दिये तो उसके बाद आपको कौन-सा अधिकार प्राप्त है कि उसी सवा छः एकड़ पर दुबारा लगान लगाने की कोशिश करें और कह दें कि लगान नहीं है, टैक्स है ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

जनाब इसमें अन्तर सिर्फ इतना ही है कि तब इधर बैठे हुये थे, और अब उधर बैठे हुये हैं और यही नहीं, श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी ने एक और हवाला दे दिया, जब वे माननीय चरण सिंह के साथ राजस्व मंत्री थे ....

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया समय का भी ध्यान रखियेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैंने यह कह दिया कि यह काला कानून है। क्या, मान्यवर, मुझको पूरी बातें कहने का भी हक नहीं है? मैं हरगिज नहीं बैठने वाला। मुझको अपनी बात कहने का समय मिलेगा या नहीं?

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन और भी माननीय सदस्यों को भी तो इस पर बोलना है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब तक मैं अपनी दलील पेश कर रहा हूं। इसके सम्बन्ध में, श्रीमान् जी क्षमा करियेगा, आपको उस कुर्सी पर हक हासिल नहीं है कि यह कह दें कि इस पर बोलना बंद कर दूं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या उस पक्ष के लोगों को डिबेट में हिस्सा नहीं लेने देंगे?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप यह बात कैसे कहते हैं? मैं चाहता हूं कि जिसको जितना बोलना है यह बोले इस बिल पर, यह उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का मामला है। यह उन गरीब किसानों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं जिनको लालच दिया था कि समाजवाद लायेंगे, गरीबी दूर करेंगे और उसके नाम पर दलबदलुओं की सरकार बना कर आप बैठे हुयें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हर माननीय सदस्य को आज इस अवसर पर भी बोलने का मौका नही मिलेगा तो कब मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—

आपने इस विधेयक के ऊपर डिबेट करने का समय निश्चित कर लिया और उसी निश्चित समय में खत्म करना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या करना चाहिये?

श्री अधिष्ठाता—

कुछ समय निश्चित किया होगा इसके लिये?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुझ को तो यह मालूम है कि जब तक इस सदन में चर्चा होती रहेगी, यह विधेयक चलता रहेगा। इतनी आसानी से हम इसे पास नहीं होने देंगे। आप चाहते हैं कि 3 बजे चर्चा शुरू किया और 4 बजे कह दें कि पास हो गया। एक घंटे में यह बिल पास करना चाहते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

मेरा मतलब तो यह है कि दूसरों को भी तो बोलना है आज इस पर ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर ऐसे बिल को एक घंटे में पास करना चाहते हैं तो वह साफ-साफ बता दें ।

अगर ऐसा बिल घंटे भर के अन्दर यह सरकार पास कराना चाहती है तो इसमें ऐसे दियासलाई लगा दें···

श्री अधिष्ठाता—

इस विधेयक पर दूसरा संशोधन भी है, लोग इसको प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं, तो उनकी राय भी तो आनी चाहिये ?

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

ऐसा मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश के सारे काश्तकारों के तनहा हमदर्द कल्पनाथ सिंह जी ही हैं । उन्हीं से पूछ लीजिये कि कितना समय लेंगे और जब तक बोलना चाहें उन्हें बोलने दीजिये ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

हम लोगों को भी समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

बांके लाल जी भी कह रहे हैं, और प्रवर समिति में भेजने का भी संशोधन आया है जिस पर लोग बोलना चाहते हैं, वह भी अपना दृष्टिकोण रखेंगे । इसलिये मैंने कहा था ।

एक सदस्य—

श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी जरा-सा कम नाराज होकर सोच लें, वह बहुत नाराज मालूम पड़ते हैं । सूखा की जो स्थिति है उसके बारे में मुझे आदेश हुआ है कि मैं पांच बजे वक्तव्य दूं । आज के बाद कल यह सदन बैठने वाला नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सभी लोगों को बोलने का मौका मिल जाय, पांच बजे यह समाप्त हो जाय और फिर सूखा पर बहस हो ।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, यह विकास कर जो लगाने का प्रस्ताव है, उसका विरोध करने के लिये मैंने प्रस्ताव दिया है, इसलिये मुझे अवसर मिलना चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इस पर तो पूरी बहस होगी । टाइम करटेल करने का कहां से सवाल आ गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन् , यह सर्वसम्मति से लीडरों की मीटिंग में तय हो चुका है कि आज पांच बजे यह समाप्त हो जायेगा । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में...

श्री बंशीधर पांडेय---

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह हुआ था कि आज डिस्कशन होगा। लेकिन अगर आज नहीं पूरा हो पाया तो फिर होगा।

श्री बांके लाल---

जो कुछ भी तय हो हमें नहीं मालूम। हम इसको पास नहीं होने देंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं एक बात आपसे और आपके जरिये सरकारी पक्ष से जानना चाहता हूं कि क्या उनका इरादा यह है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को केवल दो घंटे में पारित कर दिया जाय ? 3 बजकर कुछ मिनट पर यह शुरू हुआ, क्या 5 बजे तक इसको पास कर लेने का इरादा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, इस प्रश्न पर जब से सदन चला है तब से लगातार बहस हो रही है। इसमें एक दिन से सदन का काम नहीं चला। दूसरे दिन आधे दिन तक इसी पर चर्चा चलती रही। अविश्वास के प्रस्ताव पर दो दिन तक ज्यादातर इसी पर चर्चा चली। उसके पहले भी घूम फिर कर 6--7 दिन लगातार इसकी बात हुई। यह बात नेताओं की बैठक में भी आयी और एडवाइजरी कमेटी में भी आयी और यह सवसम्मति से निर्णय हुआ कि आज यह पारित किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि यह झूठ है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह बात सत्य से बिल्कुल परे है। जो नेताओं की बैठक की बात यह कहते हैं तो बतायें कि उसमें कौन-कौन नेता थे। अब सवाल यह है, जैसा कि भानु प्रताप सिंह जी ने कहा, क्या आप इस महत्वपूर्ण विधेयक को दो घंटे में पास करना चाहते हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

जैसा एजेन्डा आज सदन के सामने है...

श्री भानु प्रताप सिंह---

मैं स्पष्ट पूछता हूं...कि क्या सरकार इतने महत्वपूर्ण विधेयक को केवल 2 घंटो में ही पारित करवाना चाहती है। मैंने आपसे एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है और उसका स्पष्ट उत्तर भी चाहता हूं। इस प्रकार का महत्वपूर्ण विधेयक इतनी जल्दी में पास करवाते हुये शर्म आती है।

श्री अधिष्ठाता---

एजेन्डे के अनुसार इस विधेयक को 5 बजे तक पारित हो जाना है। 5 बजे से 7 बजे तक सूखे की स्थिति पर चर्चा होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इस काले कानून को पास करके आप किसानों को तोहफा दे रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण बिल को केवल 2 घंटों में पारित करवाना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

इस उलझन को जनाबवाला आपने ही पैदा कर दिया। ठाकुर की बारात में नाई भी ठाकुर हो जाता है और उसको नाई ठाकुर कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

बात यह है कि अभी इस पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है। इसलिये बोलने वालों की कुछ सीमा जरूर निर्धारित होनी चाहिये । दूसरे सदस्यों को भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सन् 62 में जब चवन्नियां लगान बढ़ा था तो उस पर कितनी बहस हुई थी परन्तु आज तो बहुत बड़ा प्रश्न है । इतना बड़ा किसानों का प्रश्न दो घंटे में पारित हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

इसको तो आप सभी लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि पांच बजे तक पारित हो जायगा ।

श्री बंशीधर पांडेय---

सन् 62 के वित्त मंत्री आज के मुख्य मंत्री हैं । इन दोनों में जितना अन्तर है उतना ही अन्तर इसमें भी मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

श्री कल्पनाथ सिंह जी आप अपना भाषण जारी रखें परन्तु समय का ख्याल जरूर रखें ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)

सन् 52 से लेकर आज तक कांग्रेस में कितनी फूट बढ़ी है इस पर चर्चा के लिये तो आप 6, 7 घंटे का समय दे सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विधेयक आप केवल पौने दो घंटे में ही पारित करना चाहते हैं । इस प्रकार से यह सदन चल नहीं सकता है और यह अनुचित बात होगी । मंत्रणा समिति ने चाहे जो भी पास किया हो । अगर पांच बजे तक नहीं पूरा होता है तो आगे किसी भी दिन 15 या 16 तारीख के बाद इसको पारित किया जा सकता है परन्तु इस पर पूरी बहस करने का अवसर सभी सदस्यों को मिलना चाहिये । आर्डिनेन्स तो आप जारी कर ही चुके हैं ।

एक सदस्य---

भानु प्रताप सिंह कहां किसान रहे हैं वह तो राजा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

बात यह है कि अगर मैं अपनी बात समाप्त भी कर दूं तो भी बहुत से लोग इस पर बोलने वाले हैं । मुझको यह बतायें कि आप इस बिल पर सभी सदस्यों के विचार सुनेंगे या संख्या के मद में चूर होकर बहुमत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

जितनी जल्दी ही आप अपनी बात समाप्त कर लेंगे उतनी ही जल्दी दूसरों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर आप शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं कि पांच बजे तक यह हो जाये तो उसके लिय हम लोग भी तैयार हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

अभी तो पौने चार बजे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हम इस काले कानून को पास नहीं होने देंगे । यह काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा । इसलिये आप सुनिये ।

श्री बांके लाल—

अधिष्ठाता महोदय का भाषण पढ़ दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

और दूसरे लोगों का तो है ही लेकिन, आज के अधिष्ठाता माननीय रियासत हुसेन साहब जो कभी इधर बैठते थे और आजकल उधर बैठते हैं, उन्होंने क्या कहा है—"माननीय राजस्व मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और जहांतक मुबारकवाद का सवाल है, सभी प्रगतिशील पार्टियों का, उनके कार्य-कर्ताओं का और उनके साथ जितनी भी जनता रही है इस मांग को पूरा कराने के लिये, वे सभी मुबारकवाद के हकदार हैं और इस हैसियत से मैं उनको मुबारकवाद देता हूं । लेकिन जो कुछ नेता विरोधी दल ने कहा है और जो संशोधन रखा है कि जब इसका खात्मा करना है, तो आखिर 15 दिसम्बर से क्यों नहीं, इसमें मेरा तर्क है । माननीय मंत्री जी उस अमली परेशानी को देखें जो सामने आयेगी ।"

फिर कहते हैं—"इस विधेयक में लिखा है कि 50 लाख रुपये की आमदनी छटनी से होगी जो बसूलयाबी में अमीन और चपरासी लगे हुये हैं उनकी छटनी भी की जायगी । 75–80 फीसदी किसान छोटे हैं । अगर आप रेकार्ड देखें तो हर अमीन, चूंकि उस पर तहसीलदार का दबाव होता है अपनी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरी करो, इसलिये आम तौर पर प्रैक्टिस यह होती है कि छोटे छोटे खातों की बसूलयाबी पहले दफा खरीफ की फसल की वसुलयाबी में ही कर लेता है ।"

आपने यह तर्क दिया था कि खरीफ से ही यह लगान माफ कर दिया जाय . . . यह शब्द "आपने" प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय, वह "रियासत साहब" ने तर्क दिया था । तो वह पहले से लागू हो रहा है माफी के लिये और इस सरकार का टैक्स जो है यह भी पहले से लागू हो रहा है टैक्स लगाने के लिये (जरा मुलाहजा फरमाइये) माफी हो तो भी पहले से और टैक्स लग वह भी पहले से—दोनों में माननीय रियासत साहब की हां माननीय राजस्व मंत्री और माननीय कमलापति त्रिपाठी की हां । यह क्या मतलब है ? कहां आप चलना चाहते हैं ? दूसरी तरफ देखिये । माननीय मुख्य मंत्री जी 27–28 नवम्बर को दिल्ली पंहुचे जहां श्री अर्जुन अरोड़ा साहब का सोशलिस्ट ऐक्शन फोरम या कौन फोरम है । वहां जो बातें हुई उनको तो छोड़ दीजिये, सिर्फ एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, रिपोर्ट के पृष्ठ 14 पर है" अन्य राज्यों की तुलना में कर प्रणाली, विशेष कर बिक्री-कर, व्यापार तथा उद्योग के विकास में लाभकारी नहीं है । राज्य कर प्रणाली के अभिनवीकरण की आवश्यकता है ।"

जो कर लगे हुये हैं उनके अभिनवीकरण की तो आवश्यकता है लेकिन यह कर लगाने जा रहे हैं । फिर आगे कहते हैं—

"आज रोजगार की दृष्टि से नवयुवकों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण प्रथा को अधिक सरल बनाया जाय और यही नहीं, कृषि का विकास किया जाय जो आज कल प्रदेश का बुरी हालत में है । इससे विकास कार्यों में सहायता मिल सकेगी ।"

यह भी कहा कि कृषि का विकास किया जाय जो आजकल प्रदेश का बुरी हालत में है । इससे विकास कार्यों में सहायता मिलेगी । एक तरफ तो कृषि की बात कही जाती है कि यह बुरी हालत में है और दूसरी तरफ आप उस पर टैक्स ठोंकना चाहते हैं । अभी आपने फरमाया कि प्रदेश की तरक्की के लिये टैक्स लगाने की जरूरत है । हिंडालको से आपको अपना एग्रीमेंट तोड़ने में क्या दिक्कत है ? तब तो आप कहते हैं कि हमारा उनका एक वायदा हो गया है, लिखा पढ़ी हो गयी है और आज आप जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जो

वायदे भूमिधरों से आपने किये थे कि 40 साल तक तुम्हारे लगान का कोई इजाफा नहीं होगा ।उसको तोडने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं है । लेकिन बिड़ला साहब को उत्पादन लागत से भी कम पर बिजली देने के कंट्रैक्ट को तोड़ने में आपको शर्म आने लगती है । कल मैंने कहा था कि 9 पैसे फी यूनिट उद्योगों को औसत है और 18–19पैसे फी यूनिट, बल्कि अब तो ज्यादा हो गया, 20 पैसे से भी कुछ ज्यादा ही पड़ेगा क्योंकि 3 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति महीना अलग से टैक्स लगाते हैं, किसानों से औसत है । तो अगर किसानों के बराबर केवल बिजली का रेट पूंजीपतियों से लिया जाय तो इसमें सरकार को क्या एतराज है ? आप टैक्स किन से लेना चाहते हैं ? टैक्स आप उनसे लेना चाहते हैं जो देने की स्थिति में नहीं हैं । अभी कल माननीय भानु प्रताप जी ने बताया था और आज अपने भाषण में मुझे उम्मीद है कि वह उसका पूरा उल्लेख करेंगे, कि लगान और मालगुजारी बढ़ाने का तरीका केवल सेटिलमेंट हुआ करता था लेकिन यह सरकार केवल अध्यादेश के जरिये, घंटा दो घंटे के अन्दर बिल पास करा कर करोड़ों किसानों पर टैक्स लगा देती है बगैर यह जाने हुये कि उसकी टैक्स लगाने की क्षमता है या नहीं इन्होंने टैक्स देने की क्षमता किसान की घटायी है, कृषि का उत्पादन घटाया है, कृषि में लगने वाली वस्तुओं का मूल्य बढ़ाया है और इस तरह से इस सरकार ने किसान की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है । इसलिये मैं इस गला घोट विधेयक का विरोध करता हूं और मैंने जमकर इसका विरोध करने का फैसला लिया है । आप कहते हैं कि प्रदेश की जनता आप के हक में हो जायेगी । आपको अगर इतना इतमिनान है तो इस को जनमत संग्रह के लिये भेज दीजिये ।

मान्यवर, मेरे पास चौखुर प्रसाद का, जो जिला गोरखपुर का रहने वाला है, भोजपुरी में एक पत्र भेजा है । वह पत्र मैं यहां लाना भूल गया । उसमें लिखा है कि अपने समन चाहे कितना हूं चिल्लाई, हम जानतानी कि इटक्स लागी जरूर काहेकि रउरा समन के बहुमत नइखे । जब औखली में मूड़ी दिया गइल बात चाहे जैतना भी ओपर मूसर गिरे ओकरा गिनती से का मतलब । आगे यह भी लिखा है कि अगर सरकार चाहेतिया कि इ पास हो जाय तो ओ ही तरे से एहू पर वोट डलवा लेव गांव गांव में जेइसे गांव सभा का चुनाव में वोट भइल रहे । इसका मतलब उनका विलखने का यह है कि आप लोग चाहे कितना ही चिल्लायें हम यह जानते हैं कि यह टैक्स लगेगा क्योंकि आप लोग बहुमत में नहीं हैं । जब ओखली में सर दिया तो मूसली कितनी पड़ेगी इसकी चिन्ता करने से क्या लाभ है । मुर्दे पर एक गाड़ी नहीं कितनी ही मिट्टी डाल दीजिये कोई लाभ नहीं । अगर यह सरकार पास कराना चाहती है तो उसे चाहिये कि उस पर गांव गांव में उसी प्रकार वोट डलवायें जिस प्रकार से कि चुनाव में वोट डलवाये जाते हैं ताकि यह मालूम हो जाय कि यहां की जनता क्या चाहती है । और मालूम हो जाए कि यहां की जनता इसको चाहती है या नहीं । इसीलिए मैंने जनता की राय जानने के लिये परिचालित करने के लिए संशोधन पेश किया है । अगर माननीय राजस्व मंत्री जी चाहते हैं तो श्री चौखुर प्रसाद जी से बुलवा कर पूछ लें कि उन्होंने लिखा या नहीं । उनकी राय जानना चाहें तो पूछ लें । वह हमारी कांस्टीटुएन्सी के भी नहीं हैं, वह श्री रामपति जी की कांस्टुएन्शी के हैं ।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं इसके लिये भी तैयार हूं, शायद खजुहा क्षेत्र है फतेहपुर जिले का राजस्व मंत्री जी का क्षेत्र अथवा अब्बासी साहब का अथवा बाबू जगन्नाथ प्रसाद का इन तीनों मिनिस्टरों के क्षेत्र में राय ले ली जाय । नगीना सिंह जी के क्षेत्र में राय ले ली जाए । यदि आप जनता की राय के साथ चलना नहीं चाहते तो उसकी राय के साथ चलने वाले प्रतिनिधि बगैर उसका विरोध किये हुए मान नहीं सकते । इसलिए निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप इस बिल को जनमत संग्रह के लिये जाने दें और मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, ताकि जनता की सही सही मनःस्थिति का पता चल सके ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री विश्वनाथ कपूर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम बिलास पांडेय—

श्री कपूर ने कहा है कि प्रवर समिति को न भेंजे तो जनता की राय जानने के लिये ही परिचालित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह आपके कहने से थोड़े होगा ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सु पुर्द किये जाने का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को पूरा पढ़ दें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

चूंकि आप जबरदस्ती की जल्दी कर रहे हैं कि पांच बजे के पहले ही पास कर दिया जाय इसलिये हमने थोड़ा संक्षेप किया।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

पान खाये हुए हैं इसलिये समझ में आता नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने बताया यह सरकार अपने बचन को ही निगल जाती है, पी जाती है, जो कहती है उसके उल्टा काम करती है इसी को देहाती भाषा में कहते हैं थूक के चाटना। आज ठीक वही काम यह कांग्रेस की सरकार कर रही है। यही माननीय कमलापति जी त्रिपाठी संविद सरकार के समय जब विरोधी पक्ष में थे तो सवा 6 एकड़ तक की खेती की लगान माफी के लिये इसी सदन में बोले थे, और अब उसी खेती पर टैक्स लगाने को उतारू है। इसका आधार क्या लिया गया है? कल माननीय मुख्य मंत्री ने जो आधार लिया वह बताया कि वह श्रीमती इन्दिरा जी के पास गये, वहां लड़े झगड़े, पता नहीं क्या-क्या किया हो। यह वह कहते थे। (व्यवधान) किसान के बीच में आप तैयार नहीं होंगे यह जो गलत काम कर रहे हैं। साढ़े सात सौ रुपये में चुन कर आया हूं। आपकी तरह लाख रुपया खर्च करके नहीं आया है।

(श्री कृष्णकान्त अवस्थी के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अवस्थी जी उनको बोलने दीजिये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, कल जो माननीय मुख्य मंत्री कह रहे थे, कि वह हवाई जहाज से उड़कर गये दिल्ली, प्रधान मंत्री जी से झगड़ा किया और झगड़ा कर के हम उत्तर प्रदेश में बिजली ले आये। इतनी बिजली ले आये कि थोड़े दिनों में गांव गांव में सब जगह बिजली पहुंचा देंगे। बिजली देंगे हम को इसलिये खर्च आयेगा, इसलिये उन्होंने टैक्स बढ़ाने का अधिकार पा लिया। अधिष्ठाता महोदय, आप से भी यह बात छिपी हुई नहीं है कि यह यहीं वहीं कांग्रेस है जो 25 साल से बराबर वादे ही वादे करती आ रही है और सभी वादे ज्यों के त्यों पड़े हैं, कभी रामराज्य बना

रही थी, कभी कल्याणकारी राज्य बना रही थी। अब जब कहीं कुछ नहीं हुआ तब कह दिया कि हम समाजवाद ला रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, बेकारी दूर कर रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने अभी लोकसभा के चुनाव में यही सब वादा किया था। उस समय जब रेडियो खोलिये तब यही गाया जा रहा है, इंदिरा जी गरीबी दूर करेंगी बेकारी दूर करेगी। आज लोक सभा के चुनाव को कितने दिन हो गये। कितनी गरीबी दूर की ? कितनी बेकारी दूर की? माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोक सभा के चुनाव में जो वचन दिया था, माननीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती राजेन्द्रकुमारी ने जो वचन दिया था चुनाव के टाइमपर उसको कहां तक पूरा किया? इसी वादे की कसौटी पर और इसी रोशनी में भूमि विकास कर को समझना पड़ेगा, और देखना है कि वह वादा कितना पूरा किया कल उन्हें इसके कोई आंकड़े रखने चाहिये थे कि चुनाव के बाद से उन्होंने इतनी बेकारी दूर की, इतनी गरीबी दूर की लेकिन कहीं कोई आंकड़े पेश नहीं किये। विरोधी दल के सदस्यों ने पूरे आंकड़ों के साथ, जिम्मेदारी के साथ सदन को यह बात बतलाई कि चुनाव के बाद इस देश के अन्दर गरीबी बढ़ी है, बेकारी बढ़ती है और बढ़ती जायगी। क्या सदन को जनता को यह गुमराह करने की बात नहीं है कि इनका कहना है कि इन्होंने क्रेश प्रोग्राम चलाया जिससे बेकारी दूर हुई? सब जानते हैं किसी को धोखेधड़ी तथा फरेब का भाषण यहां नहीं देना चाहिये। बात सच्चाई के साथ सदन के अन्दर कही जानी चाहिये क्योंकि यह बहुत पवित्र जगह है और यहां गुमराह करना, झूठ कहना और फरेब की बात करना—इससे ज्यादा पाप और गुनाह कोई हो नहीं सकता, लेकिन, वह समझते हैं कि उनके लिये बुरे से बुरे सब काम अच्छे हैं, धर्म की बात है। क्रेश प्रोग्राम में दो महीने के लिये 50–50 लोगों को काम दे दिया और कांग्रेस की नजर में बेकारी दूर हो गई? मैंने एक प्रश्न रखा था। काफी दिन तक सरकार उसको टालती रही। वह प्रश्न उस सेशन में रखा था इम्तिहान लेने के लिये।प्रश्न यह था कि जो बेकार युवक अपनी आयु सीमा के अन्दर अपना नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज करा दें और सरकार उनको नौकरी न दे सके तो कम से कम उनकी बेकारी का भत्ता दे या फिर अगर भत्ता न दे सके तो उनकी आयु सीमा की पाबन्दी हटा दे जब तक कि सरकार उसको नौकरी न दे दे।अगर यह बात मान ली जाती तो यह पहचान होती कि सही माने में आप बेकारी दूर करना चाहते हैं, लेकिन आपने नहीं मानी और आप फेल हुये क्योंकि कोई जवाब आपने इस तरह का नहीं दिया। इससे साबित हुआ कि कांग्रेस का नारा झूठ, फरेब से भरा हुआ था और देश को धोखा देने वाला तथा और वह देश की गरीब जनता के साथ धोखा कर रही है,विश्वासघात कर रही है खिलवाड़ तथा फरेब कर रही है। कहा जाता है कि वह गरीबी दूर कर रहे हैं। पता नहीं, कांग्रेस के लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं अथवा इंगलैण्ड में—यहां पढ़ते लिखते हैं अथवा इंगलैण्ड में यह बात समझ में नहीं आती। एक मामूली आदमी इस बात को जानता है कि देश की गरीबी दो कारणों से बढ़ती है और बढ़ रही है। यह कारण आमदनी—खर्च तथा महंगाई व घसखोरी है। एक तो लोगों की अमदनी नहीं बढ़ रही है और दूसरे को जो आमदनी लोगों की है भी उसे महंगाई व घूसखोरी खाये जा रही है। जिंदगी की जरूरियात की जो चीजें हैं उनके दाम अनाप शनाप बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रति दिन और यही कारण है गरीबी बढ़ने के। प्रश्न यह है कि इन कारणों को दूर करने के लिये आपने अब तक क्या किया है?

अब श्रीमन्, इसे एक कसौटी पर कसा जा सकता है। कौन सा ऐसा काम ये कर रहे हैं जिससे गरीबी बढ़े नहीं तो कम से कम रुक जाय, थम जाय। पहला नमूना गरीबी दूर करने का देख लिया जाय। जितने टैक्स लगे हुये हैं क्या वे कम हैं। आज गरीब आदमियों का खून टैक्सों व महंगाई से चूसा जा रहा है और एक दूसरा टैक्स विकासकर के नाम पर यह लगाया जा रहा है। ऐसा करके इस सरकार ने बेरहमी का काम किया है क्योंकि ऐसे मौके पर यह सरकार किसान के ऊपर टैक्स लगायेगी जब कि किसान ऊपर बादलों की ओर देख रहा है और अपने आंसू पोछ रहा है। मैं कहता हूं कि कोई भी अच्छी सरकार होती, अपनी कौलफैल पर कायम

[श्री मोतीलाल देहलवी]

रहने वाली सरकार होती, सरकारी पक्ष के एम० एल० ए० अच्छे होते और अगर जरा भी मन में ईमानदारी का माद्दा रहता तो उनको इस विधेयक का विरोध करना चाहिये इसको पास नहीं होने देना चाहिये। हम लोग तो रहे एक तरफ उनको भी साथ देना चाहिये, लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं है क्योंकि कहावत है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ऐसे मौके पर जब कि प्रदेश में अकाल की स्थिति है, सूखे की स्थिति है ये टैक्स किसान पर लगा रहे हैं और वह भी विकास के नाम से, साथ ही यह सरकार बेशर्मी से गरीबी दूर करने की भी बात कहती है। मैं आपसे एक साधारण बात पूछता हूं कि जब आज यह टैक्स लगायेंगे तो क्या सवा तीन एकड़ के ऊपर के लोग इस टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर पायेंगे किसान की रोटी दाल का रुपया टैक्स में जायगा-तो गरीबी दूर होगी? एक तरफ तो आप इस सिद्धान्त को बघारते हैं कि गरीबों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिये, गरीबी मिटानी है तो आप कौन से वसूलों की कसौटी पर इस टैक्स की बात कसते हैं। जो गरीब हैं जिनकी लगान माफी का आप पक्ष लेते रहे हैं उन पर आप टैक्स लगा रहे हैं यह लज्जा की बात है। मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी अन्तर्रात्मा पर हाथ रख कर पूछें कि जो टैक्स किसान को विकास कर के नाम पर देना पड़ेगा उससे उनमें गरीबी बढ़ेगी या नहीं? उनको परेशानी होगी या नहीं? उनके पारिवारिक खर्चे में कमी होगी या नहीं? मान्यवर, इनका कहना है कि अगर उनको बिजली देनी है तो हम टैक्स लगायेंगे। तो इसी तरह सड़क के नाम पर स्कूल के नाम पर टैक्स लगा कर गरीबी खतम करने बजाय गरीब ही खत्म कर डालेंगे। जो विधेयक आज पेश हो रहा है उसी तरह से ये विधेयक लाते रहेंगे और पास करवाते रहेंगे क्योंकि आप को समाजवाद लाना है, गरीबी दूर करनी है। मैं कहता हूं कि यदि आप को समाजवाद लाना है गरीबी दूर करनी है तो मैं कहता हूं कि यदि आपको समाजवाद लाना है गरीबी दूर करनी है तो सबसे पहले आपको गरबी और अमीरी की विषमता को दूर करने का कदम उठाना चाहिये, क्योंकि समाजवाद का तो मूलमंत्र ही यही है।

आज यह टैक्स का पैसा जो आप गरीब किसानों पर लगाने जा रहे हैं, अच्छा होता कि यह टैक्स आपने पूंजीपतियों पर लगाया होता और उनसे रुपया लिया होता लेकिन वह आप कर नहीं सकते, आप की हिम्मत नहीं है कि आप पूंजीपतियों से टैक्स का पैसा लें और गांव का विकास करें। यह काम आप इसलिये नहीं कर सकते कि चुनाव में आप कभी जीत कर आ नहीं सकेंगे, अपनी सरकार बना नहीं सकेंगे और पूंजीपतियों के पैसा का इस्तेमाल न करें। मैं तथा कथित समाजवादी भाइयों से पूछता हूं कि लोक सभा का चुनाव हुआ, विधान सभा का चुनाव हुआ, आपने 15–15 और 20–20 लाख रुपये तक खर्च किया।

(इस समय 4 बजकर 23 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं दरभंगा चुनाव में गया था। वहां श्री ललितनारायण मिश्र उद्योग मंत्री रहते हुये चुनाव लड़ रहे थे। जो कार्यकर्ता उनके चुनाव सम्बन्धी कार्य कर रहे थे, वे एक साहबान मुझे एक दफ्तर में मिले। उन्होंने मुझे बतलाया कि उस चुनाव में 1 करोड़ रुपया कांग्रेस का खर्च हुआ है। मान्यवर, किसी भी चुनाव में क्या हमारे माननीय मंत्री लोग अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से कह सकते हैं कि दो लाख रुपये से कम खर्च हुआ है। कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह रुपया कहां से आया? क्या कोई इन्दिरा जी के पास नोटों के छापने की मशीन वहां लगी हुई है? यह पैसा आपने किसी किसान से नहीं लिया, किसी गरीब से नहीं लिया, जनता से नहीं लिया। मैं जानना चाहता हूं कि कहां से आया रुपया? तमाम का तमाम रुपया पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से कांग्रेस के पास जाता है और वे वही पूंजीपति व उद्योगपति है जो गरीबी को बढ़ाते हैं, चीजों के दाम बढ़ा जनता को लूटते हैं और गरीबी को पैदा करते हैं। आप तमाम रुपया पूंजीपतियों से लेकर चुनाव लड़त हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि हमको जनता ने चुन कर भेजा है। मैं उनसे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि उनको व कांग्रेसियों को पूंजीपतियों के पैसे, तिकड़म व फरेब ने चुन कर यहां भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप को इस पर कुछ नहीं बोलना है?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग किस तरह से फरेब करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये तो और समय होता है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

जब तक मैं अपनी बात को सिद्ध नहीं करूंगा तब तक तो यहां बोलना ही बेकार रहेगा। मैं सिद्ध कर रहा हूं कि विकासकर के नाम पर जो यह टैक्स लगाया जा रहा है, यह किसान के साथ, विश्वासघात है, धोखा है, फरेब है।

मान्यवर, यह जो पैसा उद्योगपतियों से लेते हैं तो वह कोई उदार होकर धर्म कर्म के नाम पर पैसा नहीं देता है बल्कि वह यह समझ कर देता है कि अगर हम कांग्रेस को दस लाख रुपया चन्दा देंगे, तो चीजों के दाम बढ़ा कर एक करोड़ रुपया पैदा कर लेंगे। यह धोखा देकर टैक्स लगाने जा रहे हैं जिससे गरीबी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और भुखमरी बढ़ेगी।

मान्यवर, यह बहुत सीधी सी बात है कि आज किसान की हालत बहुत ही खराब है। आप भी जब कभी गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे कि उनकी हालत कितनी खराब हो गई है। जब से यह सरकार आई है तब से रिश्वत खोरी बहुत बढ़ गई है। क्या कोई कांग्रेसी विधायक यह हिम्मत कर सकता है कि वह यह बताये कि प्रदेशीय सरकार का कौन सा विभाग ऐसा है जहां बिना रिश्वत के काम चल रहा हो, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है। मंत्रियों पर तो इल्जाम रह ही चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपको कल कहना चाहिए था।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, यह भूमि विकास कर का जो विधेयक है, यह काला कानून है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

श्री बांकेलाल—

यह तो उनकी भूमिका है।

श्री उपाध्यक्ष—

बांकेलाल जी समझ गये। अब आप दूसरे समय के लिये रखें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, यह तो काला कानून है। हम लोगों के लिये बड़ी लज्जा और शर्म की बात है। इसलिये इस पर दो दिन बहस होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कल ही कहते। हमको तो आपने पाबन्द कर दिया है। हम क्या करें? इसका समय 5 बजे तक है। अब आप ही सोचिये कि हमें आपने किस हद तक पाबन्द कर दिया।

श्री बंशीधर पांडेय—

कभी-कभी बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि मोरेलिटी के आधार पर सरकार इस्तीफा दे देती है।

श्री उपाध्यक्ष---

हमें इस पर कुछ नहीं कहना है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

यह जो कर लगा रहे हैं इसका कोई नैतिक आधार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कृपया बैठिये।

श्री रामबिलास पांडेय---

मान्यवर, समय जरूर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

और यह जबरदस्ती इस कर को लगाना चाहते हैं। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जैसा कहा कि अगर इस प्रदेश के किसानों की राय जानने के लिये रख लिया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2 (प्रतिशत) लोगों को छोड़कर, जो सरकार के चाटुकार हैं या जिनको लालच है कोटा, परमिट लाइसेंस का बाकी 99 प्रतिशत किसान इस कर को टैक्स को पसन्द नहीं करेंगे। चूंकि इसके साथ उनकी व्यथा, उनका दुख, उनका तर्क और कारण जुड़े हुये हैं। ऐसी हालत में इस विधेयक को यहां पर पारित नहीं करना चाहिये और इसमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिये। इसे सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये ताकि जल्दबाजी में इस तरह का किसान का गला घोट कानून पास न हो सके।

इस टैक्स के लगाने का कोई नैतिक, वैधानिक और संवैधानिक आधार नहीं है। सारी मान्यताओं का गला घोटकर, ताक पर रख कर यह जबरदस्ती इस विधेयक को रख रहे हैं, और किसान पर टैक्स जमीन पर लगा रहे ह।

(श्री उदित नारायण शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

अनेक सदस्य---

(व्यवधान) हमें मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है, आप का ही निर्णय है कि यह 5 बजे तक समाप्त किया जाय। अब समय इतना कहां है?

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)---

हमें आप को समय देना पड़ेगा . . .

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्, हमारा अननुमोदन का प्रस्ताव था हमें अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला जब कि आपने कहा भी था कि मौका जरूर देंगे। हम लोग अपने विचार भी नहीं रख सके, सरकारी पक्ष के लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं इस वास्ते समय बढ़ा दिया जाय तो उचित होगा। यदि हमारा दृष्टिकोण ही सदन के सामने न आ सका तो हमारे यहां रहने से क्या लाभ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

दस पांच मिनट तो हम वैसे बढ़ा सकते हैं।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—

समय दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार दक्षित—

श्रीमन्, इस मे प्रदेश की जनता के मलभूत अधिकार का प्रश्न है, जिस प्रश्न का सम्बन्ध प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता से है ऐसे आवश्यक प्रसंग पर यदि समय न मिले तो बड़े दुख की बात है, अभी कोई बहस इस पर नहीं ही सकी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपके नेताओं ने स्वयं समय नियत किया है..ट

श्री बांके लाल—

इस पर हमें जरूर समय दिया जाय...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कल भी आप के नेताओं ने यही संस्तुति की कि यह 5 बजे आज समाप्त हो जाय, कार्यमंत्रणा समिति का फैसला है और फिर उस पर सदन का फैसला है कि यह 4 तारीख को 5 बजे तक समाप्त होगा। उसके बाद कल भी यह बात उठी थी तो यह हुआ कि पूरे दिन असरकारी दिवस 14 को हो जाय और यह आज 5 बजे तक समाप्त हो जाय।

श्री रामधारी शास्त्री—

समय आप बढ़ा दें।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार दीक्षित—

उनके पास शक्ति है वह इस को पास करा लें लेकिन हमारी बात बिना सुने ही यह पास कराना चाहें तो कैसे काम चलेगा। आप सभी लोग जो बोलना चाहते हैं उन को इतना काफी समय दें कि वे सब अपनी बात सदन के सामने रख सकें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कार्य सूची में आज है और यह आपके प्रस्ताव के अनुसार ही आज पारित होना है। कल आप के प्रवक्ता ने ही मांग की थी कि कल यह शाम के 5 बजे तक पारित करा लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री—

हमने कहा था कि आज पूरे दिन इस पर बहस हो, इसका मतलब यह है कि 12 बजे से इस पर बहस आरम्भ होने थी, लेकिन नेताओं की बातचीत के फलस्वरूप यह बहस 3 बजे से आरम्भ हुई ज्यादा वक्त उस बड़े नेताओं के मामले में लग गया, इतना अहम यह मसला है इस पर आप जल्दी न करें और हमें बोलने दें।

श्री बांकेलाल—

आप नेताओं के प्रलाप के लिये 5 घंटे का समय दे सकते हैं लेकिन ऐसे मसले पर नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहते हैं 3 बजे शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

यह 11 बजकर 24 मिनट पर आरम्भ हुआ था। (व्यवधान) माननीय रामधारी ने यह कहा था कि निश्चय यह हुआ था कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक इस पर विवाद होगा। जैसा मैंने अभी कहा यह 1 बज कर 24 मिनट पर आरम्भ हुआ था.....

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन्, 3 बजने में कुछ मिनट शेष थे जब इस बिल पर विवाद प्रारम्भ हुआ था।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, 2 बजे तो माननीय गुप्ता जी ही बोल रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार इसे आज 5 बजे तक पास करना है।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, अनर्गल बातों पर विवाद करने के लिए तो आपने 3–4 घंटे का समय दे दिया था, लेकिन इस पर आप हमें अपने विचार करने के लिए कोई समय नहीं दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इसके लिए काफी समय दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ था उसी के हिसाब से तो हम समय दे सकते हैं।

श्री रामबिलास पांडेय—

मान लीजिए कि नेताओं ने बैठ कर तय कर लिया हो। क्या यह सरकार का दिवालियापन नहीं था कि जल्दी जल्दी में इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया? और क्या यह बात सही नहीं है कि जब हमने सदन को चलने न दिया तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने अपनी मीटिंग में इन्हें मजबूर नहीं किया कि ये 3 1/4 एकड़ पर चले आये वर्ना वह सब पर लग गया होता। आज यह सरकार अपने दिवालिएपन के कारण इसे 3 घंटे में पास करना चाहती है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर कुछ दिन बहस करा दें? हो सकता है कि इनका दिमाग साफ हो जाय और यह सीमा 6 1/4 एकड़ तक हो जाय। श्रीमन्, यह सरकार, जो अपने आपको समाजवादी और प्रजातांत्रिक सरकार कहती है कि अपने दिवालिएपन के कारण, अपनी मैजोरिटी के बल पर, अपनी मगरूरता के बल पर इसे पास कराना चाहती है। श्रीमन्, इस प्रदेश का भला हो सकता है अगर आप इस पर चर्चा का कुछ और समय दे दें 14 को, 15 को या 16 अगस्त, को इस पर बहस हो जाय?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं यह सोचता हूं कि बात तो सब सही है, पास करना चाहिए लेकिन साथियों की राय है कि इस बिल पर दो-ढाई बजे से आरम्भ हुआ, आपके यहां पर लिखा है कि यह 1 बज कर 24 मिनट पर आरम्भ हुआ। मैं स्वयं 1 बज कर 45 मिनट पर उठा हूं। मेरा सुझाव है कि यदि 14 तारीख को हमारी असरकारी दिवस निश्चित हुआ है, मैं कार्य मंत्रणा समिति में नहीं था, तो उस दिन..

श्री उपाध्यक्ष---

उस दिन 6 वक्तव्य होने हैं। तो 6 घंटे का समय उनके लिए ही काफी होगा और उस दिन और कोई काम नहीं हो सकता ।

श्री बंशीधर पांडेय---

तो नान औफिशियल डे हमारा कट जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले नान औफिशियल विधेयक आयेगा। उस दिन उसका सिर्फ पुरःस्थापन होना है। पुरःस्थापित हो जाने के उपरान्त फिर वक्तव्य लिए जायेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, आप इसको जल्दी में न पास करायें। 14 तारीख को इस बिल को ले आवें ?

श्री उपाध्यक्ष---

(माननीय राजस्व मंत्री की ओर इशारा करते हुए) आपकी क्या इच्छा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जैसा अभी आप कह रहे थे कि यह बिल 1 बज कर 24 मिनट पर प्रारम्भ हुआ था और इसके लिए 12 बजे से 5 बजे तक का समय निर्धारित था तो मेरा सुझाव है कि इसको 6 बज कर 24 मिनट तक समाप्त कर लें ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं पुनः माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 1 बज कर 24 मिनट 2 बजे या 3 बजे तक का झगड़ा नहीं है। 2 बजे तक तो निश्चित रूप से कल वाली बात पर विवाद चलता रहा। मैं तो इस पर भी तैयार हूं। जैसा कि सूखे का प्रश्न है आपने कहा था उपाध्यक्ष जी कि एक दिन का डिस्कशन होगा। फिर कहा कि दो दिन होगा। दो दिन तो निश्चित ही कहा था। श्रीमन् आज आधे सदस्य तो चले ही जायेंगे। सूखे वाला डिस्कशन समाप्त हो हो जायेगा। आपका विधेयक तो पास होना ही है, उसको चौदह तारीख को ले लें। टैक्सेशन जब से आप लगा रहे हैं वह तब से ही हो जायेगा। सेशन कान्टीन्यूड है। 6 हफ्ते के अन्दर वाली बाधा भी नहीं आने वाली है। कल मान्यवर, नें नहीं रहा काय मंत्रणा समिति में नहीं तो उस राय को देता हालांकि मैंने मित्तल साहब को अपनी राय बताई थी बड़ी ईमानदारी के साथ मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री को इसके लिये 14 तारीख को राजी कर दीजिये। 14 तारीख को जो और कार्यक्रम ह उसके लिये सोलह तारीख को और बैठ लेंगे। आप 14, 15 का भत्ता तो देंगे ही, खर्चा भी नहीं होगा।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, मैं तो आपकी बात मान लिया होता। मैं नहीं चाहता कि 14 और 15 तारीख को जो कार्यक्रम बना दिया गया है उसके अलावा कोई और कार्यक्रम बना दिया जाय।

श्री रामबिलास पांडेय---

14-15 अगस्त को ही आप फैसला ले लें। अगर आप किसानों के हमदर्द हैं तो उसी दिन बुला लीजिये।

एक सदस्य---

मान्यवर, किसानों को 15 अगस्त को वह नया तोहफा दे दीजिये।

श्री रामकुमार दीक्षित---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार यह विवाद उठ खड़ा हुआ है उसके लिये यदि यह सरकार कोई मध्य का रास्ता निकालना चाहती है तब तो विकल्प निकल सकता है। यदि यह एडामेन्ट है कि जो काम हम करेंगे आज ही और इसी वक्त करेंगे चाहे वह कितना ही बुरा हो तो हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किस तरह से करें। वह रास्ता बता दें। या तो मध्य का रास्ता कोई विकल्प स्वीकार कर लें अन्यथा हम विवश होंगे उन रास्ते पर चलने के लिये जिनकी प्रजातन्त्र में मान्यता नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि आप कोई भी रास्ता मध्यस्थता करके निकालें। माननीय राजस्व मंत्री जी की हठता को हटायं। इससे उनकी शान नहीं बढ़ती ह, उनकी मर्यादा व प्रतिष्ठा ही भंग होती है। जनता की भावना को बिना सुने हुए बिल पेश होगा यह उचित नहीं है। 14 तारीख को अगर पेश होगा तो आप का क्या बिगड़ जायेगा? इस पर विचार करके देख लें।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, जैसा कि मैं कल कह रहा था कि राजस्व मंत्री के अतिरिक्त अगर पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर होते या मुख्य मंत्री होते तो शायद मैं समझ जाता। मैं आप से फिर अनुरोध करता हूं कि लोगों की भावनाओं को बिना सुने आप इसे कर रहे हैं। इसको आप 14 तारीख को कर दीजिये। एक दिन के अन्दर यह पास हो जायेगा। दस आदमी और बोल लेंगे। अध्यादेश तो लागू है ही। उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री बसंतलाल शर्मा---

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि शायद सहमत हो जायं। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा गौर करें यह फाइनेन्शियल बिल है, साधरण बिल नहीं है और इसका सीधे सीधे सम्बन्ध कर से है। कर भी दो तरह के होते हैं---एक डाइरेक्ट और दूसरा इनडाइरेक्ट। यह डाइरेक्ट कर है और इसका सीधा सम्बन्ध रीढ़ की हड्डी से है---यानि किसानों से। आप अपोजीशन की दशा देख लीजिये कि सारी बेंचेज खाली। न जनसंघ है और न बी० के० डी० के सदस्य। श्री कल्पनाथ सिंह ने पहले अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके बाद मोतीलाल देहलवी जी ने। इनका समर्थन भी अभी नही हो पाया है और राजस्व मंत्री जी खड़े हो गये। तो मेरा निवेदन यह है कि किसानों के ऊपर आप कर लगाने जा रहे, कम से कम आप अपोजीशन के अधिकारों का तो हनन न कीजिये। अगर मनमानी करनी है तो कोई बात ही नहीं है। आप 14 तारीख के बाद इसको रख दें और आज सूबे पर बहस करवा लें जिसका सम्बन्ध पूरे हाउस से है और वह एक ऐसी बात है जिस पर सब को कुछ न कुछ कहना है। हम सभी किसानों के नुमाइंदे हैं और अपनी बात कहने का अधिकार है। उनके यहां झगड़ा चला और एक एकड़ से सवा 3 एकड़ हो गया। राजस्व मंत्री जरा अपनी पीठ घुमा कर देखें ज्यादा समाजवादी कहलाने वाले लोग सब के सब गैर हाजिर हैं। मुमकिन है हमारे विचार से आपके यहां और भी विधायक सहमत हों। आपको समय देने में क्या आपत्ति है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, दुख यह है कि संसदीय प्रणाली का बार बार नाम लिया जाता है और सारे असंसदीय काम किये जाते। संसदीय प्रणाली यह है कि कार्य मंत्रणा समिति में विरोध पक्ष के सब लोग बैठते और तय करते हैं तथा उसी के अनुसार काम करते हैं। यह तो एक तरीका होता है। लेकिन काम उसके विपरीत होता है। आज कम से कम 2–3 घंटे का समय ऐसी बातों में बीत गया जिसका इससे कोई भी सम्बन्ध न था। यह लोग चाहते भी हैं कि बहस हो, लेकिन बहस करते हैं दूसरी बातों पर। जितनी भी बातें यहां पर की गई उससे यह पता नहीं चलता कि कोई बहस करना चाहता है या कोई बहस करने की मंशा रखता है। सुबह

माननीय चौधरी साहब बोलते रहे और उसके बाद डेढ़ बजे यह काम शुरू हुआ। कोई कहता है दो बजे शुरू हुआ और कोई कहता है 3 बजे कहता है। इस तरह से काम कैसे चलेगा ...

श्री राम बिलास पांडेय—

अगर आप बहस ही करवाना चाहते हैं तो दो–तीन रोज बहस करवाइये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी बहुत आसानी से कह देते हैं कि इधर के लोग संसदीय प्रणाली का नाम लेते ह लेकिन कार्य करते असंसदीय। अब किसी में थोड़ा भी अहसास होता तो शायद यह बात नहीं करता। लेजिस्लेटिव असेम्बली की विधायनी शक्ति होती है। कायदा होता है कि बिल पेश किया जाय और बिल पेश करने के बाद समय की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये जैसे दूसरे कामों में होता है। यह लाते हैं आर्डीनेन्स और अर्डीनेंन्स को पास कराना चाहते हैं जैसे चकबन्दी की अदालत में मुकदमें किये जाते हैं। बहस हो जाय और मामला खत्म कर दिया जाय। आप खुद ही देखें कौन संसदीय है और कौन असंसदीय। जहां तक आज समय का सवाल है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं यहां सदन से डेढ़ बजे के बाद गया, उस वक्त तक बिल पर बहस आरम्भ नहीं हुई थी। अब यह कहते हैं कि डेढ़ बजे हुआ, दूसरा कहता है कि ढाई बजे और तीसरा कहता है कि 3 बजे। तो आप इसको ढाई बजे समझ लीजिये और फिर वह डिसकशन यदि गैरजरूरी था, तो फिर माननीय राजस्व मंत्री जी बार-बार क्यों उचक रहे थे? आपको अपने ऊपर खुद नियंत्रण रखना था और जो कुछ बहस चल रही थी, उसको बन्द करने की कोशिश करते ताकि माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक समय मिलता। मान्यवर, यह इस माननीय सदन के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। आखिर मैं पूंछना चाहता हूं जब यह बहस इतनी जरूरी है तो क्या एतराज है हमारी बात मानने में? 14 तारीख हमारा दिन है। उस दिन को बिल लावें लेकिन इस पर बहस हो जाने दें। पास तो आप बहुमत के आधार पर करा ही लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामधारी शास्त्री का प्रस्ताव आया है कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा—

आप सदन को दो घण्टे और बढ़ा दें या चाहें तो कल बैठ जांय। मैं तो कहता हूं कि आप चाहें तो रात भर बैठ जांय। हम तैयार हैं।

श्री राम बिलास पांडेय—

मान्यवर, हम इतने उतावले नहीं हैं गरीब और बेजबान किसानों पर टैक्स लगाने के लिये कि रात भर उसके लिये बैठें। बैठेंगे तो किसी इत्मीनान के दिन बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

कल के बारे में आप लोगों की क्या राय है?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, इस समय पांच बज गया है। सूखे पर बहस शुरू होगी तो वही दो ढाई घण्टे यानी लगभग 8 बजे तक चलेगी। उसके बाद इस काम को लेकर 11 बजे तक बैठें, तो मान्यवर यह कुछ ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आज रात में नहीं तो कल को ले लें।

(नहीं-नहीं की आवाजें)

श्री बंशीधर पांडेय—

कल तो इसलिये नहीं बैठेंगे कि लोगों को मालूम था कि कल जाना है इसलिये कोई है ही नहीं है, यह बिलकुल प्रेक्टिकल बात है कि सब जा चुके हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बिलकुल जा चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी मजबूरी यह है कि कार्यमंत्रणा समिति में और सदन में इस पर निर्णय हो चुका है।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर निर्णय हो चुका है कल और हमारे माननीय सदस्य भी मौजूद थे और अब मांग कर रहे हैं कि कल और परसों तो यह असंगत बात है।

श्री बांकेलाल—

वह कोई ब्रह्मा की लीक नहीं है, अगर निर्णय हो गया तो। इसमें सारे प्रदेश के गरीब किसानों का मसला है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, हर आदमी जानता है कि शनिश्चर को यह सदन नहीं बैठा करता। अगर लोगों को मालूम होता कि सदन कल भी बैठेगा तो लोग नहीं जाते। लेकिन बहुत सारे माननीय सदस्य जा चुके हैं। तो इस प्रकार इस बिल पर जो बहस होगी, उसमें उनके साथ न्याय नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जो रहेंगे, उनको तो समय मिलेगा ?

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर कल कार्य मंत्रणा समिति में जब यह तय हुआ था तो लोगों को मालूम था कि कल 12 से 5 बजे तक इस पर बहस होगी। इसमें समय बढ़ाना, अब न्याय-संगत नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार चाहती थी कि यह बिल आ जाय। यह मुझसे आपके सेक्रेटरी ने कहा मान्यवर, पूंछ लीजिये मित्तल साहब से—उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि कल आवें। हम कन्सीड करते हैं। मान्यवर, इस समय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं यहां। कभी कभी आप देखते हैं कि कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय के बाद भी मुख्य मंत्री जी जब इस सदन का दबाव देखते हैं और आवश्यकता देखते हैं तो दो-तीन घंटे स्वयं टाइम बढ़ाने के लिये कह देते हैं। नो कांफीडेंस के प्रस्ताव पर भी उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को 2 बजे तक चर्चा हो, लेकिन अनन्तराम जी और माधव बाबू ने कहा कि दो ही दिन में 6 बजे तक बढ़ाकर कर दिया जाय। तो श्रीमन्, त्रिवेणी राय जी की बात तर्क से बिल्कुल परे है। हम 14 तारीख देते हैं। आप 14 तारीख को नही चाहते तो 8 को बैठ जाइये, 9 को बैठ जाइये, 10 को, 11 को जिस दिन आप चाहें बैठ जायं।

श्री त्रिवेणी राय—

माननीय पांडेय जी ने कहा कि हमारी बात तर्क से परे है···

(व्यवधान)

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यह दर्द हम ही को नहीं है, उधर बैठने वालों को भी है, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग भी उसका इजहार नहीं कर पाए हैं। आज गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, अलाभकर जोतों पर जो लगान माफ हुआ था उस पर कर लगाया जा रहा है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)। हाय रे यह राक्षसी सरकार! मैं गरीब लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या अपने बच्चों को भूखों मारना चाहते हो? आज उनके लिए अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। आपने उनकी पढ़ाई का इन्तजाम नहीं किया। सिंचाई का इन्तजाम नहीं किया। कोई इन्तजाम नहीं किया। हाय रे यह राक्षसी सरकार। झूठा वायदा करके, समाजवाद के नाम पर जीतकर आए और किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने वायदा किया था कि टैक्स नहीं लगायेंगे·····

श्री रामबिलास पांडेय—

पाइंट आफ आर्डर... (शोर)

श्री भाभी यादव—

हम लोगों को यहां से पुलिस से.. (शोर)

श्री रामबिलास पांडेय—

अब पांच बज गया। अब सूखे वाला प्रश्न लाइए। (व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कल विरोधी पक्ष असहमत होता तो मैं जरूर कहता लेकिन···

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री बंशीधर पांडेय—

कल मैं था नहीं। जो नोटिस मिली थी उसम आपने लिखा था कि 6 बज के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और बैठक के लिए टाइम मिला 8–30 बजे। इसलिए यह कहना कि अगर कल विरोध होता—मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। कार्य मंत्रणा समिति जो हुई, सही मानों में उसको स्ट्रिक्ट सेन्स में मत लीजिए। इसलिए अब इसको 14 तारीख के लिए जाने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 का अननुमोदन करता है।

(घोर व्यवधान के मध्य प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(सदन में घोर अशान्ति जारी रही और कुछ सदस्य 'यह काला कानून वापस हो, वापस हो' के नारे लगाते रहे। कुछ सदस्यों ने विधेयक की प्रतियां फाड़ कर तथा गद्दियों को उछाल-उछाल कर सदन में फेंकी।)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने के लिए 6 मास तक परिचालित किया जाय।

(व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

(घोर व्यवधान के मध्य) प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(अत्यन्त शोर, विधेयक की प्रतियां फाड़ी गयीं तथा कुर्सियों की गद्दियां फ्लोर पर फेंकी गयीं।)

श्री उपाध्यक्ष---

(शोर के मध्य) प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपथित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2

परिभाषाएं 2---जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध मे पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, दवामी काश्तकार, हिस्सेदार (परगना असकोट के हिस्सेदार से भिन्न) अपनी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो किसी खायकर द्वारा धृत न हो, परगना असकोट के हिस्सेदार अपनी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो किसी गुजारेदार अथवा खायकर द्वारा धृत न हो अथवा परगना असकोट के गुजारेदार से है;

(ख) 'खायकर' का वही तात्पर्य है जो कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों में प्रयोज्य भौमिक अधिकार से संबंधित वर्तमान विधि में उक्त पद के लिये दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौरूसीदार या हलबन्दी माफीदार नहीं है;

(ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से है जिसके संबंध में राजस्व का निर्धारण या भुगतान किया जाय या किये जाने के लिये दायी हो, तथा जो—

(1) किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा; या

(2) किसी मध्यवर्ती द्वारा यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उसकी सीर या खुदकाश्त या बाग के रूप में हो---

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुटपालन भी है, से सम्बन्धित प्रयोजनों के निमित्त धृत या अध्यासित हो;

(घ) 'कर' या 'भूमि विकास कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देय कर से है;

(ङ) पद 'अदना मालिक' और 'मातहतदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 में दिये गये हैं; यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1901

(च) पद 'कृषि वर्ष', 'बाग' 'खुदकाश्त', 'अवध में पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी', 'दवामी काश्तकार,' 'सीर' और 'ठेकेदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में दिये गये हैं; यू० पी० ऐक्ट संख्या 17, 1939

(छ) पद 'भूमिधर' 'सीरदार' और स्वामी के वही अर्थ हैं जो उनके लिये 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं; और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951

(ज) पद 'हिस्सेदार' का वही अर्थ है जो कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम. 1960 में उसके लिये दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1960

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रूपनाथ सिंह यादव ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 3

3—प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये सभी भूमि पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर से एक कर जो भूमि विकास कर कहलायेगा भारित तथा आरोपित किया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा: करारोपण

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में उक्त कर केवल आधा भारित तथा आरोपित किया जायगा तथा उसका भुगतान किया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रूपनाथ सिंह यादव ।

(संशोधन प्रस्तुत न करने पर)

प्रश्न यह है कि खंड 3 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 4

4—किसी भूमि पर अरोपण और भुगतान के प्रयोजनार्थ, भूमि विकास कर ऐसी भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व का भाग समझा जायगा, और वसूली की रीति

उसमें सम्मिलित किया जायगा, और तद्नुसार, कर के संबंध में, यथास्थिति 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का अध्याय 10 (धारा 247—ख और बंदोबस्त से संबंधित उपबन्धों को छोड़कर) या यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध और उक्त उपबन्धों के संबंध उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये कोई नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राजस्व के संबंध में लागू होते हों :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में कर भू-राजस्व की रबी किस्त का भाग समझा जायगा तथा उसमें सम्मिलित किया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रूपनाथ सिंह यादव ।

(संशोधन प्रस्तुत न करने पर)

प्रश्न यह है कि खंड 4 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 5

उपयोग

5—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात राज्य सरकार राज्य की संहत निधि से भू-विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से साठ प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी और उसे एक प्रथक निधि में जमा करेगी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास निधि कहलायेगी और उक्त निधि में इस प्रकार की धनराशि का जमा किया जाना राज्य की संहत-निधि पर भारित व्यय होगा ।

(2) उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास निधि से किसी भी धनराशि का, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय, न तो भुगतान किया जायगा और न ही उसका प्रयोग किया जायगा:—

(क) सिंचाई;

(ख) चिकित्सा संबंधी सुविधायें, और सार्वजनिक स्वास्थ्य;

(ग) सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण;

(घ) विद्युतीकरण;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पेयजल सम्भरण ।

(3) उक्त निधि, जिसके अन्तर्गत उसके जमा खाते की धनराशि का निवेश या पुर्नानिवेश भी है, का अनुरक्षण और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात राज्य सरकार, संहत निधि में से भूमि विकास कर के मद्दे पिछले

वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से चालीस प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी, और—

(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पंद्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961

(ख) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से पचास लाख रुपयों की धनराशि राज्य विद्युत परिषद को, ऐसे ग्रामों में जहां विद्युतीकरण हो चुका हो, सड़कों पर रोशनी के लिये प्रयुक्त बिजली के लैम्पों को ऊर्जा के यथोचित सम्भरण हेतु देगी और शेष को उक्त धारा 99 के अधीन स्थापित क्षेत्र निधियों तथा यू० पी० पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अधीन स्थापित गांव-निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1947

(5) उपधारा (4) में उल्लिखित धनराशियों का उस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यय राज्य की संहत निधि पर भारित होगा ।

(6) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 या यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947, जैसी भी दशा हो, में किसी बात के होते हुये भी,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961

(क) कोई जिला परिषद जिला निधि में इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का सिवाय प्रायमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा सड़कों के निर्माण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, कार्यों के प्रयोजनार्थ न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी;

(ख) कोई क्षेत्र समिति या गांव सभा क्षेत्र नधि या, यथास्थिति, गांव निधि में इस प्रकार जमा की गयी धनराशियों को सिवाय ऐसी पेयजल योजनाओं जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, सड़कों व पुलियों व नालियों के निर्माण और अनुरक्षण और विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी । उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1947

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रूपनाथ सिंह यादव ।

(संशोध न प्रस्तुत न करने पर)

प्रश्न यह है कि खंड 5 विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 6 व 7

नियम बनाने की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र

श्री उपाध्यक्ष—

हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1972

7—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानों यह अधिनियम 16 जून, 1972 को प्रवृत्त हो गया था ।

निरसन तथा अपवाद

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 6 तथा 7 विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

(धारा 3 देखिये)

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा:—

(क) किसी भूमिधर या सीरदार की दशा में—

(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 0.4047 हेक्टर (1 एकड़) से अधिक न हो ।

कुछ नहीं ।

(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 0.4047 हेक्टर (1 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो ।

उसके अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247—ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का 50 प्रतिशत ।

(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक हो ।

उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 100 प्रतिशत ।

(ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में ।

उसके द्वारा देय भू-राजस्व का 100 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण---इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए :---

(क) परिवार के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, है;

(ख) 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, की धारा 247-ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशों का अवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

(शोर व्यवधान के मध्य)

श्री राज मंगल पांडेय---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक में वर्तमान अनुसूची के बजाय निम्नांकित रख दिया जाय :---

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा :---

(क) किसी भूमिधर या सीरदार की दशा में :--

(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्य द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो।	कुछ नहीं।
(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो।	उसके अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247-ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का 50 प्रतिशत।
(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 100 प्रतिशत।
(4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।
(ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में।	उसके द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण---इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये :---

(क) परिवार के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या न हों, हैं,

(ख) 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 247-ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशों का अवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधेयक में वर्तमान अनुसूची के बजाय निम्नांकित रख दिया जाय:—

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा :—

(क) किसी भूमिधर या सीरदार की दशा में:—

(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो ।	कुछ नहीं ।
(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक न हो ।	उसके अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247–ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का 50 प्रतिशत ।
(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2.5293 हेक्टर (6.25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो ।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 100 प्रतिशत ।
(4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिला कर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो ।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत ।
(ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में ।	उसके द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये :—

(क) परिवार के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या न हों, हैं,

(ख) 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 247–ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशों का अवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामधारी शास्त्री ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री सजीवन लाल ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री सजीवन लाल ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री रामधारी शास्त्री ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री सजीवन लाल ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री सजीवन लाल ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामधारी शास्त्री ।

(संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि-विकास कर विधेयक, 1972

ग्रामीण विकास की कतिपय योजनाओं के लिये रक्षित संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से कृषि भूमि पर कर आरोपित करने तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विकास कर अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 1 जुलाई, 1971 से प्रवृत हुआ समझा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रूपनाथ सिंह यादव ।

(संशोधन उपस्थित नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर विधेयक, 1972, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 में जितनी सूचनायें दी गयी थीं वह सब अस्वीकृत की गयीं ।

उत्तर प्रदेश में अनावृष्टि तथा सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रदेश में सूखे की स्थिति पर माननीय राजस्व मंत्री का वक्तव्य होगा । माननीय राजस्व मंत्री ।

(घोर व्यवधान तथा कुछ माननीय सदस्यों के सभा स्थल के मध्य इकट्ठा हो कर नारे लगाने तथा राजस्व मंत्री के वक्तव्य की प्रतियां फाड़ कर फेंके जाने के कारण वक्तव्य पढ़ा नहीं जा सका ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और 14 अगस्त को 11 बजे दिन में फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 15 मिनट पर सोमवार, 14 अगस्त, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
4 अगस्त, 1972 ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1076 पर)

परिशिष्ट—क

1971 की बाढ़ में बाढ़ सहायता कार्य में गल्ला खरीदने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची । तहसील—बलिया

अन्न का प्रकार	क्रय करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण
1—गेहूं	1—श्री कमलाकान्त पांडे, ना0 त0, गड़हा 2—,, जर्नादन पांडे, स0 का0, हल्दी/द्वाबा 3—,, राजेश्वर सिंह सु0 का0, गड़ही 4—,, केशव लाल, सु0 का0, गड़वार 5—,, केदार नाथ वर्मा, मु0 ख0 का0 6—,, जगदीश लाल, ना० त०, सिटी 7—,, तहसीलदार, बलिया,
2—आटा	1—श्री निरहू राम, स० वि० अ०, बैरिया 2—,, जगदीश पाल सिंह, ना० त०, द्वाबा 3—,, राम प्रसाद सिंह, स० बि० अ०, बैरिया 4—,, जगदीश लाल, ना० त०, सिटी 5—,, जनार्दन पांडे, सु० का०, हल्दी द्वाबा
3—चना	1—श्री जगदीशपाल सिंह, ना० त०, द्वाबा 2—,, जगदीश पाल शुक्ल, ना० त०, हल्दी 3—,, प्रफुल्ल चन्द्र उपाध्याय, सु० का०, सिटी 4—,, जनार्दन पांडे, सु० का०, हल्दी/द्वाबा 5—,, लालजी राय, स० बि० अ०, बैरिया 6—,, राम प्रसाद सिंह, स० बि० अ०, बैरिया 7—,, निरहू राम, स० बि० अ०, बैरिया 8—,, बनवारी सिंह, स० बि०, अ0, बैरिया 9—,, स० वि० अधिकारी, सोहाव 10—,, श्री निवास सिंह, प्रगति सहायक 11—,, राम दरस शास्त्री, स० बि० अ०, मुरली छपरा 12—,, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, स० बि० अ०, बैरिया 13—,, श्री रमेश्वर सिंह सु० का० गड़हा 14—,, श्री सरजू प्रसाद, स० र० का० 15—,, बिनय कुमार, अतिरिक्त अधिकारी 16—,, जिला पूर्ति अधिकारी, 17—,, जगदीश लाल, ना० त०, सिटी
4—मक्का	1—श्री श्री जगदीश लाल, ना० त०, सिटी ।

अन्न का प्रकार	क्रय करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण
5—चावल	1—श्री कमला कान्त पान्डे, ना० त०, गड़हा 2—,, विनय कुमार, अतिरिक्त अधिकारी 3—,, डिस्ट्रिक्ट स्टाफ अफसर, होम गार्ड्स 4—,, तहसीलदार बलिया ।
6—दाल अरहर	1—श्री डिस्ट्रिक्ट अफसर होम, गार्ड्स 2—,, श्री कृष्ण सिंह, स० बि० अ०, बैरिया 3—,, विनय कुमार, अतिरिक्त अधिकारी,
7—दाल मसूर	1—श्री श्री कमला कान्त पाण्डे, ना० त०, गड़हा
	तहसील-रसड़ा ।
1—गेहूं	1—श्री असरार अहमद आजमी, ना० त०, नगरा 2—,, विकास अधिकारी (बागेश्वर प्रसाद), नगरा 3—,, सुरेन्द्र नाथ शर्मा, स० बि० अ०, रसड़ा (केन्द्र अधिकारी, सराय भारती) 4—,, गनेश लाल, पर्यवेक्षक कानूनगो, सोयर 5—,, मान्धाता सिंह, स० बि० अ०, रसड़ा 6—,, रवीन्द्र नाथ वर्मा, स० वि० अ०, चिलकहर 7—,, बदरुदीन खां, पर्यवेक्षक का०, रतनपुरा 8—,, अयोध्या प्रसाद ना० त०, रतनपुरा 9—,, बिजय प्रताप सिंह, स० बि० अ०, सोयर, 10—,, धुरीराम, स० बि० अ० कृषि, चिलकहर 11—,, बद्री प्रसाद यादव, स० बि० अ०, सोयर, 12—,, गिरजा लाल, ना० त०, रसड़ा, 13—,, उसमान गनी, स० वि० अ०, नगरा 14—,, प्रहलाद सिंह, स० वि० अ०, सीयर 15—,, श्रीनिवास तिवारी, ना० त०, सीयर 16—,, श्याम राम गुप्ता, ना० त०, चिलकहर ।
2—आटा	1—श्री असरार अहमद आजमी, ना० त०, नगरा 2—,, विकास अधिकारी, नगरा 3—,, अयोध्या प्रसाद, ना० त०, रतनपुरा 4—,, विकास अधिकारी, चिलकहर । 5—,, गिरजा लाल, ना० त०, रसड़ा 6—,, श्री नेवास तिवारी, ना० त०, सोयर 7—,, श्याम राम गुप्ता, ना० त०, सीयर
3—जौ	1—श्री असरार अहमद आजमी, ना० त०, नगरा 2—,, अयोध्या प्रसाद, ना० त०, रतनपुरा 3—,, श्रीनिवास तिवारी, ना० त०, रतनपुरा ।
4—चना	1—,, जोगीन्द्र सिंह, अमीन ।

अन्न का प्रकार	क्रय करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियो का विवरण
तहसील बांसडीह—	
1—गेहूं	1—श्री तहसीलदार, बांसडीह 2—,, गंगा प्रसाद, ना० त०, 3—,, रमेश चन्द्र मिश्र, नायब तहसीलदार 4—,, हरीश चन्द्र लाल, सु० का०, सिकन्दरपुर 5—,, बशीर अहमद, मु० का०, बांसडीह 6—श्री महराज सिंह, सु० वि० अ० (पं०), बांसडीह 7— ,, राम नगीना सिंह, स० र० का , बांसडीह 8— ,, श्याम बहादुर सिंह, अमीन (मनियर) 9— ,, के० एन० सिंह, ए० डी० ओ०, पन्द्रह
2—आटा	1—श्री रमेश चन्द्र मिश्र, नायब तहसीलदार 2— ,, बशीर अहमद, सु० का०, बांसडीह 3— ,, शम्भूनाथ पांडे, स० र० का०, बांसडीह 4— ,, हरी चन्द्र लाल, सु० का० सिकन्दरपुर 5— ,, राम नगीना सिंह, स० रा० का०, बांसडीह 6— ,, गंगा प्रसाद, नायब तहसीलदार,
3—चना	1—श्री गंगा प्रसाद, नायब तहसीलदार 2— ,, रमेश चन्द्र मिश्र, नायब तहसीलदार
4—मक्का	1—श्री महराज सिंह, स० वि० अ० (प०), बांसडीह
5—चावल	1—श्री गंगा प्रसाद, नायब तहसीलदार, बांसडीह 2— ,, खण्ड विकास अधिकारी, बांसडीह 3— ,, खण्ड विकास अधिकारी, मनियर
6—दाल	1—श्री गंगा प्रसाद, नायब तहसीलदार 2— ,, खण्ड विकास अधिकारी, बांसडीह 3— ,, खण्ड विकास अधिकारी, मनियर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1081 पर)

क्रमांक	नाम काश्तकार	वर्ष जिसमें भूमि बांटी गयी	क्षेत्रफल एकड़ में
	सर्वश्री—		
1	—सहादत पुत्र खुदाबख्श ..	1365 फसली	4.54
2	—सितलू, पुत्र महादेव	„ ..	1.44
3	—मौजी लाल, पुत्र छोटा	„ ..	3.54
4	—सुन्दर, पुत्र छेहा	„ ..	2.03
5	—भदई, पुत्र मैकू	„ ..	1.52
6	—छोटा, पुत्र लछमन	„ ..	2.03
7	—इशहाक, पुत्र ईदू	1366 से 1370 फसली ।	3.62
8	—काली चरन, पुत्र गुबरा	„ ..	2.53
9	—झूरी, पुत्र विपत	„ ..	3.59
10	—दीन दयाल, पुत्र कुरसी	„ ..	1.70
11	—द्वारिका, पुत्र सीताराम ..	„ ..	1.01
12	—नन्हा, पुत्र लछमन	„ ..	2.02
13	—रमाकान्त, पुत्र चन्द्रमोल	1377 फसली	2.99
14	—बृज किशोर, पुत्र मन्ना लाल ..	„ ..	4.07
15	—हरीकृष्ण, पुत्र मन्नी लाल ..	„ ..	5.10
16	—राम किशोर, पुत्र मदन गोपाल ..	„ ..	4.83
17	—बसन्त लाल, पुत्र मन्नी लाल ..	„ ..	5.35
18	—रामकुमार, पुत्र गोबरधन ..	„ ..	2.03
19	—बंशीधर, पुत्र मन्नी लाल ..	„ ..	5.11
20	—श्रीमती तारादेवी, पत्नी हरीकृष्ण ..	1378 फसली	4.41
21	—श्री सुरेन्द्र कुमार, पुत्र रामकिशोर ..	„ ..	4.26

नत्था 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1082 पर)

अनुसूची–1

बलिया जिले में सन् 1971 की बाढ़ में बड़ी मोटर बोट के प्रयोग का विवरण—

दिनांक	स्थान जहां प्रयोग की गयी	प्रयोग करने वाले अधिकारी
25-7-71	1—दुवहड़ वगैरह तथा गायघाट ..	सु० का० सीटी दारोगा आदि ।
29-7-71	2—गायघाट में शिवपुर दोयरआ दिरातको बलिया वापस ।	श्री फारुकी, डिप्टी कलेक्टर आदि ।
30-7-71	3—हेवतपुर आदि ..	सुपरवाइजर कानूनगो सीटी ।
31-7-71	4—बलिया से श्रीपालपुर लालगंज से जगदीशपुर मुझौला, बहुआरा, श्रीपालपुर ।	दारोगा बैरिया ।
1-8-71	5—बहुआरा, जगदीशपुर, मुसौला, गडरिया, सुरेमनपुर, लच्छूटोला, दलकी वगैरह ।	दारोगा बैरिया पुलिस लेखपाल ।
2-8-71	6—सोनवरसा, लक्षमनछपरा, एस० डी० एम०, बांसडीह बाबूटोला, भवन टोला, रामपुर कोडरहा, जयप्रकाशनगर शिवनरायण राय का टोला ।	
3-8-71	7—सीवन राय के टोला से सोन - वरसा, सोनवरसा से लछूटोला, सुरेमनपुर वगैरह, तथा वापस सोनबरसा ।	राज्य शिक्षा मन्त्री अतिरिक्त परगना-धिकारी, बलिया ।
4-8-71	8—सोनवरसा से योगिन्दरगिर के मठिया तथा वापस सोनबरसा ।	ड्राइवर मय स्टाफ व मल्लाह ।
5-8-71	9—सोनबरसा से दलकी डोकटी वगैरह से सोनबरसा ।	ना० तहसीलदार, क्षेत्र विकास अधिकारी ।
6-8-71	10—सोनवरसा से दलको लछूटोला, सुरेमनपुर, गडेरिया, मुरार पट्टी, जगदीशपुर, श्रीपालपुर, बाजित-पुर, सोनबरसा, लालगंज मुसैला वापस सोनबरसा ।	सहायक अभिलेख अधिकारी, बलिया ।
7-8-71	11—सोनबरसा से दलको लछूटोला, सुरेमनपुर गडेरिया, श्रीपालपुर, से गायघाट ।	अति० परगनाधिकारी बलिया ।
8-8-71	12—गायघाट से नौरंगा मुवालछपरा	सहायक वा० वा० नवीस तथा लेखपाल
9-9-71	तथा वापस प्रबोधपुर/गायघाट ।	
10-9-71	13—प्रबोधपुर से बलिया ..	तहसीलदार, बलिया ।

दिनांक	स्थान जहां प्रयोग की गयी	प्रयोग करने वाले अधिकारी
16-8-71	बलिया से शिवपुर दियरज वहाँ से प्रबोधपुर ।	तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर कानूनगो ।
19-8-71	15—प्रबोधपुर से सोनवरसा ..	अतिरिक्त परगनाधिकारी, बलिया ।
21-8-71	16—सोनवरसा से दलकी सुरमेनपुर लछूटोला, वगैरह के शिवनराय का टोला ।	अतिरिक्त परगनाधिकारी, पलिया ।
22-8-71	17—शिवनराय के टोला से चल कर	बलिया, तहसीलदार, बलिया
23-8-71	बलिया से कथरिया, कथरिया से पीपरा पुल ।	राज्य शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश
24-8-71	पोपरा पुल से बलिया ..	नायब तहसीलदार, बलिया ।
25-8-71	18—बलिया से ठेकहा, ठेकहा से-	तहसीलदार, बलिया ।
26-8-71	वाजराम का टोला । रिपाल राय का टोला ककरू राये का टोला	
27-8-71	लछमनपुरा शोभा छपरा वापस शिवनराय के टोला ।	
2-9-71	19—शिवन राय का टोला से बलिया	नायब तहसीलदार, बलिया ।
3-9-71		
7-9-71	20—बलिया से पीपरापुल, पीपरापुल से बलिया ।	राज्य शिक्षा मन्त्री, तहसीरदार बलिया।
10-9-71	22—शिवनराय के टोला से बलिया,	जिलाधिकारी, तहसीलदार, बलिया ।
11-9-71	बलिया बैरिया पुल से छन्दरपुर, थम्हानपुरा से वापस बलिया ।	
9-9-71	22—बलिया से ठेकहा जयप्रकाशनगर	राज्य शिक्षा मन्त्री, सहायक अभिलेख
12-9-71	वगैरह से शिवनराय का टोला ।	अधिकारी, बलिया ।
13-9-71	23—बलिया से सोनवरसा से भोजा- पुर श्रीपालपुर, लघुटोला वगैरह सोनवरसा ।	अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट बलिया, श्री विनय कुमार
14-9-71	24—सोनवरसा से श्रीपालपुर वगैरह	जिलाधिकारी, अतिरिक्त अधिकारी, बलिया ।
15-9-71	25—सोनवरसा से बहुआरा दल की सुरेमनपुर लछूटोला वगैरह से सोनवरसा ।	अतिरिक्त परगनाधिकारी, बलिया ।
18-9-71	26—सोनवरसा से शिवनराय का टोला	पानी कम होने के कारण गायघाट
21-9-71	शिवनराय का टोला से गायघाट ।	लायी गयी ।
3-10-71	27—गाय घाट से पीपरापुल, पीपरा-	राज्य शिक्षा मन्त्री, तहसीलदार, बलिया
4-10-71	पुल से नसीरपुल, नसीरपुर से पीपरापुर से वापस बलिया ।	
9-10-71	28—बालिका से शिवपुरा दियर, शिवपुरा दियर से प्रबोधपुर, प्रबोधपुर से बलिया ।	तहसीलदार, बलिया और अन्य कर्मचारी ।

अनुसूची–2

बलिया जिले में 1971 की बाढ़ में छोटी मोटर बोट के प्रयोग का विवरण ।

दिनांक	स्थान जहां प्रयोग की गयी	प्रयोग करने वाले अधिकारी
29-7-71	1—बकूल्हा से ठेकहा नेकराय का टोलामठ वजूमठिया लच्छमन छपरा वगैरह से ठेकहा ।	नायब तहसीलदार, बलिया ।
30-7-71	2—ठेकहा से सिताबदियर जयप्रकाशनगर वगैरह होते ठेकहा ।	,, ,,
2-8-71	3—ठेकहा से लच्छमनछपरा होते जयप्रकाशनगर वगैरह ।	अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय ।
3-8-71	4—ठेकहा से जयप्रकाशनगर लछूटोला वगैरह से ठेकहा ।	,, ,,
4-8-72	5—ठेकहा से भुसौला जगदीशपुर लालगंज डोकटी ।	,, ,,
8-8-71	6—ठेकहा से लालगंज गडेरिया . .	,, ,,
9-7-81	7—लछूठोला से ठेकहा/फकरूटोला से नेकराय के ठोला लछमन छपरा वगैरह से ठेकहा ।	,, ,,
10-8-71	ठेकहा से फकरूराय का टोला मठ धजूगिरि लछमनछपरा सितावदियर जयप्रकाशनगर वगैरह ।	विशेष भूमि अवाप्ति अधिकारी ।
11-8-71	9—ठेकहा से गडेरिया भुसुला लालगंज डोकटी वगैरह होते ठेकहा ।	,, ,,
12-8-71	10—ठेकहा से हवासपुर भवनटोला बैजूटोला होते ठेकहा ।	,, ,,
13-8-71	11—ठेकहा से रामपुर कोडहरा बाबूटोला वगैरह होते ठेकहा ।	,, ,,
14-8-71	12—ठेकहा से सुरेमनपुर इब्राहीमाबाद भगवानपुर सोनवरसा से ठेकहा ।	,, ,,
15-8-71	13—दोकटा भुसहुला लालगंज वगैरह होते ठेकहा ।	,, ,,
16-8-71	14—ठेकहा से जजीरा नम्बर 36 जयप्रकाशनगर रामपुर कोडरा होते ठेकहा ।	,, ,,

दिनांक	स्थान जहां प्रयोग की गयी	प्रयोग करने वाले अधिकारी
24-8-71	15—देवमठिया से भूपालपुर होते हुये फिर देवमठिया ।	परगनाधिकारी, बांसडीह ।
14-9-71	16—चांदपुर बरुआ भूपालपुर दियरा वगरह होते देवमठिया ।	परगनाधिकारी, बांसडीह जिला बाढ़ अधिकारी बलिया, तहसीलदार, बांसडीह ।
15-9-71	17—देवमठिया से भूलपुर से दियारा वगैरह होते हुये देवमठिया ।	एस० डी० एम०, बांसडीह, अतिरिक्त अधिकारी प्रथम तहसीलदार ।
16-9-71	18—देवमठिया से माफीपुल होते हुये ठेकहा ।	नायब तहसीलदार, दुवेवा ।
17-9-71	19—ठेकहा से पटान देखने के लिए जयप्रकाश नगर के बांध को वापस गये ।	आयुक्त, वाराणसी, जिलाधिकारी बलिया, तहसीलदार, बलिया ।
24-9-71	20—रेवती दल छपरा से चांदपुर बलुवा से फिर रेवतीदल छपरा ।	परगनाधिकारी, बांसडीह ।
25-9-71	21—दलछपरा होकर थाना पर आये	जिलाधिकारी/तहसीलदार, बलिया ।
26-9-71	22—देवमठिया से घाघरा नदी होते ठेकहा वापस ।	नायब तहसीलदार, दोआबा ।

नत्थो 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1083 पर)

परिशिष्ट–क

प्रार्थना-पत्र दिनांक 30–1–72 की प्रतिलिपि

सेवा में,

श्रीमान् परगनाधीश, महोदय,
पट्टी, प्रतापगढ़ ।

सेवा में,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी के गांव के लगभग 24 आदमी को तहसील में बुलाकर तहसीलदार महोदय ने घर बनाने का अनुदान दिनांक 22–1–72 को बांटा है। अनुदान के फारम में 100.00 लिखा गया है। परन्तु बाद में हम लोगों को इच्छा के विरुद्ध जबर-दस्ती उसमें से 75, 75 रु० काट लिया। हम लोगों को केवल 25 रु० ही दिया गया जिससे हम लोग परेशान हैं। अतः प्रार्थना है कि इस मामले को श्रीमान जी स्वयं जांच करके जबरदस्ती लिया गया रुपया वापस दिलाने की कृपा करें।

प्रार्थी,

भगवती दीन,
भोलन,
मुन्नीलाल,
साकिन ताला, पट्टी, प्रतापगढ़ ।
30–1–72

———

प्रार्थना-पत्र दिनांक 12–2–72 की प्रतिलिपि

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधीश,
प्रतापगढ़ ।

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि पट्टी तहसील के ग्राम ताला म दिनांक 22–1–72 को गृहनिर्माण अनुदान का वितरण तहसीलदार महोदय ने किया। उक्त विवरण में कागज पर तो 100/–एक सौ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिखाया गया परन्तु यथार्थ में केवल 25 रु० (पचीस रुपया से लेकर 50 रु० तक प्रभाव एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर भुगतान किया गया। इस तथ्य की मौखिक सूचना परगनाधिकारी महोदय को पट्टी के 2 वकीलों ने दिनांक 23–1–72 को दिया जिस पर आज तक आश्वासन के बावजूद न तो कोई जांच हुई और न ही दोषी अधिकारी दंडित किये गये। वरन् दोषी अधिकारी ताला ग्राम में अपनी स्थिति, शक्ति प्रभाव, धन एवं प्रलोभन से सत्य को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

तकावी वितरण के सम्बन्ध में तहसीलदार महोदय का यह निश्चित सिद्धान्त है कि 10 प्रतिशत धन अग्रिम लेनें के बाद तकावी का वितरण करते हैं। इससे त्रस्त लोगों ने तहसीलदार महोदय के विरुद्ध प्रदर्शन इस आशा में किया कि श्रीमान जी आ रहे हैं और उनसे वे अपनी व्यथा कथा कहेंगे। और इस दुख और शोषण से छुटकारा पायेंगे। परन्तु परगनाधिकारी महोदय ने प्रदर्शनकारियो के दुःख न सुनकर उन्हें धमकाकर भगा दिया।

तहसील में पूरी नादिरशाही मच गयी है। हर कर्मचारियों से कुछ न कुछ धनराशि हर महीने लेना तय किया है। सनद के सारे मामले उन्होंने अपने न्यायालय में मंगा लिया है तथा नये दायरे अपने यहां रख रहे हैं जब कि कार्य के वितरण में प्रत्येक क्षेत्र के सनद के मामले नायब तहसीलदारान क्षेत्रानुसार किया करते थे। इससे एक तो देर होती है दूसरे तहसीलदार साहब के रेट के अनुसार (100 रु० प्रति बीघा) जनता को सनद बनवाना बहुत मंहगा भी पड़ रहा है। उनके धन की मांग से परेशान होकर के बाद स्थानान्तरण के लिए दरख्वास्तें पड़ रही हैं। तहसीलदार का ब्योहार जनता के साथ, अधिकारियों के साथ, वकीलों के साथ तथा मुन्शियों के साथ आपत्तिजनक है।

उनका व्यवहार पूर्णतया तानाशाही है। तहसील की जनता उनके इस रवैये से परेशान होकर चारों ओर आश्रय के लिए, न्याय के लिए देख रही है।

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों की जांच की जाय एवं जांच को प्रभावित करने में सक्षम अधिकारियों को जांच के दौरान स्थानान्तरण कर दिया जाय तथा दोषी पाये गये अधिकारी को कठोर दण्ड देकर न्याय की रक्षा करें।

भवदीय,

ह० पं० रामनरेश शुक्ल,

अध्यक्ष,

जिला कांग्रेस कमेटी, प्रतापगढ़।

नत्था 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1084 पर)

परिशिष्ट—क

तहसील	गृह निर्माण अनुदान	आपदा बीज चारा और बैल तकावी	गृह निर्माण तकावी	कुल तकावी का योग (स्तम्भ-3-4 का योग)
1	2	3	4	5
	रु०	रु०	रु०	रु०
1 गोण्डा ..	9,95,500	11,26,000	10,55,550	21,81,550
2 तरबगंज ..	8,53,000	17,50,000	13,66,950	31,16,950
3 उतरौला ..	3,06,500	2,10,000	1,96,250	4,06,250
4 बलरामपुर ..	2,25,000	3,52,000	61,250	4,13,250
योग ..	23,80,000	34,38,000	26,80,000	61,18,000

परिशिष्ट 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1085 पर)

संलग्नक

आरोप	कार्यवाही
1—समिति के सदस्यों को विभागीय निर्देशानुसार पास बुकें नहीं दी गई हैं।	1—समस्त सदस्यों को पास बुक जारी कर दी गई थीं।
2—वर्ष 1963-64 से समिति में 7,765.34 रु0 की खली समिति में बिना विक्रय किये हुये पड़ी है।	2—यह खली क्रय विक्रय समिति केशरगंज, मेरठ द्वारा बिक्री के लिये सिसौली भेजी गई थी किन्तु इसकी बिक्री नहीं हो सकी। अतः इसको नीलामी के लिये संचालक मंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। नीलामी के बाद होने वाली हानि का उत्तर-दायित्व निर्धारित कर दिया जायेगा।
3—समिति के भवन का निर्माण बिना विभागीय स्वीकृति के कराया गया।	3—समिति के भवन का निर्माण विभागीय स्वीकृति से हुआ था।
4—समिति में बकाया वसूली की कार्यवाही समय से नहीं की गई।	4—समिति में बकाया वसूली की कार्यवाही की गई और बकायादारों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही कर दी गई।
5—अनियमित रूप से समिति की चाकरी में संचालक एवं अध्यक्ष के रिश्तेदारों को एकाउन्टेन्ट के पद पर रखा गया।	5—केवल एक एकाउन्टेन्ट जो समिति के अध्यक्ष का दूर का सम्बन्धी था, की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं।
6—भवन के उद्घाटन समारोह में समिति की आर्थिक दशा को ध्यान में न रखते हुये अधिक व्यय किया गया।	6—समिति के भवन के उद्घाटन समारोह में समिति की साधारण बैठक बुलाई गई थी। उससे व्यय की धनराशि में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। फिर भी समारोह को देखते हुये व्यय अधिक नहीं कहा जा सकता।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 30 तारांकित प्रश्न संख्या उत्तर पीछे पृष्ठ 1086 पर)

नाम मद	स्वीकृत धनराशि	गृहीताओं को दी गई धनराशि	शेष धनराशि	31 मार्च, 1972 तक स्तम्भ 4 में उल्लिखित धनराशि का भुगतान न किये जाने का कारण
1	2	3	4	5
	रु0	रु0	रु0	
गृह निर्माण	17,000	8,898	8,102	ये अनुदान किश्तों में दिये जाते हैं तथा सम्बन्धित अनुदान गृहीताओं को स्वीकृत किस्तों के बारे में उनके उपभोग का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर आगे की किश्त दी जाती है। अनुदान गृहीताओं से वांछित प्रति पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण प्रश्नगत धनराशि दी नहीं जा सकी।
कूप निर्माण	10,000	2,640	7,360	
कुटीर उद्योग	6,000	4,075	1,925	
गृह स्थल ..	1,500	500	1,000	
कृषि उत्थान	4,500	4,500	..	
योग ..	39,000	20,613	18,387	

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1088 पर)

प्रोबेशन कार्यालयों में 1-4-72 को कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं०	प्रोबेशन कार्यालय		कार्यरत कर्मचारियों की संख्या			
			प्रोबेशन अधिकारी	लिपिक	चपरासी	चौकीदार
1	आगरा	..	2	1	2	..
2	अलीगढ़	..	1	1	1	..
3	इलाहाबाद	..	2	1	2	1
4	बाराबंकी	..	1	..	1	..
5	बरेली	..	1	..	1	1
6	बुलन्दशहर	..	1	1	1	..
7	देहरादून	..	1	..	1	1
8	देवरिया	..	1	..	1	..
9	इटावा	..	1+1	..	1	..
10	फैजाबाद	..	1	1	2	..
11	फर्रुखाबाद	..	1	..	1	..
12	फतेहपुर	..	1	..	1	..
13	गाजीपुर	..	1	1	1	..
14	गोरखपुर	..	1	1	1	..
15	हमीरपुर	..	1	..	1	1
16	हरदोई	..	1	..	1	..
17	जालौन	..	1	..	1	..
18	जौनपुर	..	1	..	2	..
19	झांसी	..	1	..	1	..
20	कानपुर	..	2	..	1	1
21	लखनऊ	..	1	..	1	1
22	लखीमपुर खीरी	..	1	..	1	..
23	मेरठ	..	1	1	1	1
24	मुरादाबाद	..	1	..	1	1
25	मुजफ्फरनगर	..	1	..	1	..
26	प्रतापगढ़	..	1	..	1	1
27	रामपुर	..	1	1	1	..
28	शाहजहांपुर	..	1	..	1	.
29	सीतापुर	..	1	..	1	..
30	सुल्तानपुर	..	1	1	1	..
31	उन्नाव	..	1	1	1	..
32	वाराणसी	..	1	..	1	1
	योग	..	35+1	11	36	10
	मुख्यालय:—	..	3	6	6	..
	कुल योग	..	38+1	17	42	10

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1092 पर)

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जिन्दाबाद
इन्कलाब जिन्दाबाद

(बन्दोबस्त अधिकारी, बलरामपुर
का विभाग भ्रष्टचार व घूस का अड्डा)

साथियों,

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बलरामपुर ने चकबन्दी में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में एक लम्बे अर्से से आन्दोलन छेड़ रखा है। समय-समय पर वितरित पत्रक प्रदर्शन व अनशन आदि इसके प्रमाण हैं इसके परिणाम स्वरूप कुछ फल भी निकलता नहीं है । फिर भी बन्दोबस्त अधिकारी (च) बलरामपुर के विभाग आज भी भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। बन्दोबस्त अधिकारी भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता की खुली लूट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम तो बन्दोबस्त अधिकारी, बलरामपुर को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। क्योंकि यदि वे चाहें तो जनता न्यायानुकूल न्याय प्राप्त कर सकती है। इस पत्रक द्वारा हम निम्न मांगें प्रस्तुत करते हैं—

1—गैसड़ी क्षेत्र, मौजा गटेहना के निम्न 11 फाइलों की न्यायिक जांच तत्काल कराई जाय । मि0 नं0 428, 552, 458, 249, 97, 365, 402, 323, 127, 298, 137 तथा ए0 सी0 ओ0, श्री राम प्यारे तिवारी को तत्काल निलम्बित किया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें सेवा से मुक्त किया जावे।

2—वह रु0 (मुबलिग 2,4050 रु0) जो ए0 सी0 ओ0 बीरेन्द्र बहादुर ने काश्तकारों से नाजायज वसूल किया है और जिसकी सूचना जिला अधिकारी, गोंडा को भी दी जा चुकी है। उसे काश्तकारों को वापस कराया जावे।

3—लेखपाल राम औतार को नाजायज तरीके से ए0 सी0 ओ0 वीरेन्द्र बहादुर के इशारे पर श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी (च) बलरामपुर ने नाजायज तरीके से परेशान कर रखा है तथा उसकी नौकरी लेने के लिये तुले हुए हैं।

4—दिनांक 1-8-1970 ई0 को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बलरामपुर के यहां बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा प्रदर्शन को दिनांक 30-11-1970 ई0 को अनशन के समय बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दिये गये आश्वासन को अब तक पूरा नहीं किया गया ।

5—सतीश चन्द्र लेखपाल द्वारा डी0 डी0 सी0 महोदय के यहां अपील की कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि न नियुक्ति की गई।

6—ग्राम समाज की भूमि वा रास्ता जो गांव के जबरदस्त लोग जोते हुए हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि छोटे-छोटे गरीब भूमिहीनों के विरुद्ध अधिकांश कार्यवाही की गई या बदले की भावना से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ही लोगों को परेशान करने के लिये झूठे-झूठे मुकदमें चलाये जा रहे हैं। उदाहरण हेतु कांग्रेसी एम0एल0ए0, श्री महेश्वरदत्त सिंह जो रंजीतपुर मश्मूले बलरामपुर में ग्राम समाज की बहुत सी जमीन जोते हुए हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । प्रधान बलरामपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर अभी तक पूरी जांच करके आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। जिसकी वजह से आज भी अपने पद का दुरूपयोग करके नाजायज लाभ उठा रहे हैं।

इन तमाम उपरोक्त कारणों से जनता में व्यापक बेचैनी, रोष तथा भय व्याप्त है। जिस से गम्भीर संकट पैदा होने की आशंका हो सकती है अतः प्रदेशीय सरकार तथा जनपद के विभागीय उच्च अधिकारियों से प्रार्थना है कि वे मामले की यथाउचित जांच करके घूसखोर, बेइमान तथा अनुउत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों के प्रति अविलम्ब कानूनी कार्यवाही जनता को राहत दे यदि शीघ्र ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी सक्रिय आन्दोलन करके उचित रास्ता निकालने के लिये बाध्य होगी।

भारत, प्रेस बलरामपुर । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बलरामपुर ।

आज दिनांक 26-3-1971 को संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी, तहसील बलरामपुर की ओर से गैसडी बाजार में श्री दक्षिणी प्रसाद तिवारी ग्राम संग्रामपुर की अध्यक्षता में एक जन सभा हुई ए० सी० ओ०, धनघरा तथा ए० सी० ओ०, मझोली व गैसड़ी, रिसमोहा, सिमोहानी तथा रतनपुर, सी० ओ० सर्किल गैसडी में हैं के भ्रष्टाचार व धांधलेबाजी पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस पर प्रकाश डालते हुये बताया कि मार्च महीना के बाद श्रीमान् स० अ० च० महोदय, बलरामपुर व डिप्टी डायरेक्टर महोदय, बलरामपुर गोन्डा ने यह आश्वासन दिया है कि जनता की सभी शिकायतों को अप्रैल, सन् 1971 से जांच किया जायेगा वक्ताओं ने जनता से धैर्य रखने की अपील की और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि उनके साथ न्याय न हुआ तो संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी एक जबरदस्त आन्दोलन करायेगी। उसके लिये चाहे जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े उसका मुकाबला किया जावेगा। सभा में निम्न प्रस्ताव उपस्थित जनता ने सर्वसम्मत से पास किया ।

1—आज की यह जन सभा सी० ओ० सर्किल गैसडी में चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनता की खुली लूट करने पर अशान्ति प्रकट करती है और उत्तर प्रदेश सरकार व विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग करती है कि इसकी खुली जांच की जाय और भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

2—ए०सी०ओ0, श्री वीरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तवा सर्किल धनघरा में ग्राम संग्रामपुर के चक काटते समय मुबलिग 24,050 रु0 जनता को धोखा तथा गलत आश्वासन देकर नाजायज तरीके से वसूल किया है। उस रुपये को काश्तकारों को वापस कराया जाय तथा ए० सी० ओ० के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके अविलम्ब वहां से हटाया जाय।

3—ए०सी०ओ०, श्री रामपियारे तिवारी सर्किल मझोली के विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही की जाय और ग्राम भटेहना की जो फाइल गायब है उसका पता लगा कर जनता के साथ न्याय किया जाय ।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में भेजी जा रही है :—

1—श्रीमान् मुख्य मंत्री महोदय, उ० प्र० लखनऊ।
2—श्रीमान् राजस्व मन्त्री महोदय, उ० प्र० लखनऊ।
3—श्रीमान् चकबन्दी आयुक्त महोदय, उ० प्र० लखनऊ।
4—श्रीमान् डी० डी० सी० महोदय, बलरामपुर, (गोंडा) ।
5—श्रीमान् ब० अ० च० महोदय, बलरामपुर ।
6—श्रीमान् च० अ० महोदय, गोंडा ।
7—श्रीमान् मंत्री महोदय, संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी, उ० प्र०, लखनऊ।

भवदीय,

ह० राधेश्याम तिवारी,

संगठन मंत्री,
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ।
27-3-1971।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1093 पर)

सर्व श्री

1—जमुना राम तिवारी
2—रमेसर प्रधान
3—शिव मंगल
4—नक्छेद
5—राम बली
6—मगन
7—खेरुल्लाह
8—तिलर
9—मुनी लाल
10—समी
11—छेदी लाल जैसवाल
12—भोला
13—जगरनाथ
14—सरजू
15—श्री राम
16—राम वैलास
17—अवध नरायन
18—हजारी लाल
19—काशी
20—कन्हैया
21—सीधु
22—सोमई
23—सिरफा
24—नन्दलाल
25—मोहित
26—अब्दुल हई
27—नेबू लाल
29—तुलसी
29—गंगा
30—रमानन्द
31—दुखरन
32—श्री बहादुर
33—मुहम्मद हनीफ
34—श्री फकीर
35—श्री कन्हैया लाल
36—बजरंगी
37—सावित
38—शिवसरन
39—समी उल्लाह
40—मोरई
41—सनेही
42—अजी मुल्लाह
43—वोलर
44—चन्द्र वली
45—महादेव
46—लक्ष्मन
47—निठुरी प्रसाद
48—राम लखन
49—शीतल राम
50—मुनेसर राम
51—राम परसन
52—मेवा राम
53—राम प्रकाश त्रिपाठी
54—कृपा राम
55—वाला राम
56—राम उग्रह
57—धमधारी
58—मदन राम
59—राम नाथ
60—त्रिलोकी राम तिवारी
61—विन्देश री त्रिपाठी
62—शिव नयक
63—राम आधारे राय
64—मंगल प्रसाद
65—परमहंस
66—लक्ष्मी प्रसाद
67—विहारी
68—राम चन्दर
69—राम प्यारे
70—राम स्वरूप
71—तीर्थ राम
72—घिराऊ।

नोट—उपरोक्त प्रार्थियों का प्रार्थना-पत्र श्रीमती मसाली देवी, सदस्या, विधान सभा के साथ जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिया गया।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1094 पर)

दिनांक 18-4-72

प्रेषक

कल्याण सिंह
सदस्य विधान सभा (उ० प्र०),
क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ ।

माननीय राजस्व मंत्री,
उत्तर प्रदेश, सरकार,
लखनऊ।

विषय:— श्री छेदा लाल वर्मा, चकबन्दी अधिकारी, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा फर्जी यात्रा, गबन एवं अन्य गम्भीर अनियमितताओं के विरुद्ध ज्ञापन।

महोदय,

मैं आपका ध्यान आपके अधीन चकबन्दी विभाग के श्री छेदा लाल वर्मा, चकबन्दी अधिकारी, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के फर्जी यात्रा भत्ताओं के सम्बन्ध में विभिन्न अनियमितताओं एवं गबन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सतर्कता विभाग द्वारा इसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही करेंगे।

1—उक्त अधिकारी ने माह अक्तूबर, 1971 तक अपनी यात्राओं में उच्च श्रेणी (अपर क्लास) का किराया अवैधानिक रूप से लिया है जब कि अपर क्लास बसों से समाप्त हुए वर्षों बीत गये हैं कृपया परिशिष्ट 1, 2 तथा 3 का अवलोकन करें जो माह मई, जून तथा जुलाई, 1971 के यात्रा भत्ते की प्रतिलिपियां हैं।

2—एक ही स्थान कादीपुर तथा सुतगरपुर के बीच प्रत्येक माह में लगभग 20 यात्राएं हैं, जो आपत्तिजनक हैं तथा यहां पर लिये गये रात्रि निवास के भत्ते वास्तविकता से परे हैं क्योंकि श्री वर्मा के कादीपुर स्थित हेडक्वार्टर से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं और यातायात की समस्त सुविधायें हर समय उपलब्ध हैं। इन्होंने वास्तव में सुतगरपुर में उतने रात्रि निवास नहीं किये जिनका भत्ता प्राप्त किया है। प्रमाण के लिये कृपया संलग्न परिशिष्ठ 1, 2 तथा 3 का अवलोकन करें।

3—बस यातायात के उपलब्ध होने पर जो सड़क यात्रा वैधानिक प्रतीत नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप दिनांक 23-5-1971 से 25-5-1971 तक की यात्रायें संलग्न परिशिष्ठ 1 तथा माह जनवरी, 1972 की 376 किलोमीटर की यात्रायें हैं।

4—कादीपुर से सुल्तानपुर को अनावश्यक यात्रायें व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर दिखाई गई हैं, जो अवधानिक हैं। प्रतिदिन डाक रनर का प्राविधान तथा कार्यालय में सीधे टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध हैं। एक डाक रनर द्वारा दूसरी टेलीफोन द्वारा अब तक विभागीय सूचनायें एवं काय सम्पन्न किये जाते रहे हैं। उक्त सन्दर्भ में डिप्टी कमिश्नर, सुल्तानपुर दिनांक 10-4-1972 को आपत्ति अवलोकनार्थ परिशिष्ठ 4 पर अंकित है।

उक्त यात्रा भत्तों में स्थानीय बन्दोबस्त अधिकारी भी सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। श्री वर्मा और उक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की गहरी सांठ-गांठ है।

अतः सानुरोध निवेदन है कि उक्त यात्रा भत्तों की जांच सतर्कता विभाग से कराई जाय और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। गत दिनों राजस्व विभाग के अनुदानों पर चर्चा के समय आपने सदन को आश्वासन दिया था कि चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें लिख कर दी जायेंगी तो उनकी जांच कराई जायेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

अतः मैं आशावान हूं कि आप अपने बचनों का पालन करते हुए इस काण्ड की अविलम्ब कार्यवाही करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना और इस सम्बन्ध में कृत कार्यबाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

कष्ट के लिये अपार धन्यवाद।

भवदीय,

ह० कल्याण सिंह,

एम० एल० ए०।

दिनांक

18–4–1972

प्रतिलिपि माननीय मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमाण के लिये 4 परिशिष्टों की प्रतियां माननीय राजस्व मंत्री को संबंधित ज्ञापन के साथ संलग्न है जिनका उल्लेख इस ज्ञापन में किया गया है।

ह० कल्याण सिंह,

एम० एल० ए०।

Copy of the order dated 10-4-72 *of Sri C M. Vasudev, Deputy Commissioner, Sultanpur on the T. A. Bill of Sri C. L. Verma, C. O. Kadipur for the month of March,* 1972 *amounting to Rs.* 212—15 *P.*

The amount of T. A. Bill for one month is very high S. O. C. may report as to why it was necessary for the C. O. to visit Sultanpur so frequently during the month.

Sd/-
for Deputy Commissioner, Sultanpur.
10-4-72

Copy forwarded to S. O. C., Kadipur for early report please. T. A. Bill of Sri Verma, C. O. is enclosed herewith.

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1096 पर)

सूची

क्रम-सं0	अनधिकृत कब्जेदार का नाम	प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल वि0 वि0 वि0
1	श्री गुरुदीन	1161/1	1-13-18
2	श्री साबित खां	1278 (दोकिता)	0-14-08
		1473	2-06-07
3	श्री राम नरेश	1473	1-00-00
4	श्री राम लाल	1414	0-03-00
5	श्रीमती सहलाल	647/2	1-00-00
		624/2 (तीन किता)	0-10-00
		819/2	0-03-00
6	श्री बरिहम पुत्र बिसेंसर ..	1419/2	0-05-00

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1102 पर)

परिशिष्ट (क)

क्रमांक	च0 अ0 क्षेत्र	ग्राम का नाम जिसमें चकबन्दी कार्य समाप्त है।
1.	कौड़ीराम	1—जोत गुटकी 2—सहरीडांड 3—ताल बड़ेला 4—नैनियां 5—अन्दीपुर 6—आराजी पड़पुरवा 7—हाटा 8—लरपेटया मु0 9—सैनुआपार 10—पैकोली 11—कुसवासी 12—गिरधरपुर सोलकी 13—वारीडीहा 14—चकदनियाल 15—टेम्मा 16—खदियापार 17—देवड़ार खुर्द 18—गिरधरपुर सोलकी 19—नीमडांड़ 20—चांदा 21—ढड़िया बु0 22—सुकहना 23—गुरमी मु0 24—डूमर डांड़ 25—दाही खुर्द 26—अम्बी 27—सरसोंपार 28—देवकली बु0 29—तालदोहर 30—बेनुआटीकर 31—भिटहा 32—चन्दौली बु0 33—खेसुआ 34—मलौली 35—खमुआ भट्ट 36—भरवल 37—मसियार 38—सियर 39—आसेखोर

क्रमांक	च० अ० क्षेत्र	ग्राम का नाम जिसमें चकबन्दी कार्य समाप्त है।
		40—सियारो गयना
		41—महाडीह
		42—धनसई
		43—गोरुआ उर्फ परसौना
		44—मेरुआ बाबू
		45—तिधरा बु०
		46—ताल बखे
		47—बैदौली
		48—मसहापार
		49—देवकली खुर्द
		50—चन्दौली खुद
		51—गौरा
		52—दाही बु०
		53—बकुल्हा
		54—भटास
		55—तैवना
		56—ढौली
		57—महुआपार
		58—सौनवर्सा
2.	पकड़ी दूबे ..	1—मुआर
		2—धम्माकापुर
		3—देवरिया
		4—मठिया
		5—भीटी
3.	बांसगांव	1—अम्बा उर्फ क्यारपोखर
		2—सुखनियां
		3—पचपेड़वा
		4—चकभगवान
		5—डोहरिया
		6—किल हिरावारी
		7—इन्नाडीह
		8—खरभर
		9—बैरिया
		10—भिटखोरी
		11—रतनपुर राजा
		12—कौल
		13—आराजी महुआपार
		14—देवपटा
		15—भैंसा हरिहर
		16—कौनीखुर्द
		17—घोरभारी

क्रमांक	च0 अ0 क्षेत्र	ग्राम का नाम जिसमें चकबन्दी कार्य समाप्त है।
		18—चकिया
		19—गुलरहा
4.	सीकरीगंज	1—गोविन्दपुर उर्फ नकहा
		2—तिवारीपुर
		3—काश्तकोज जोखन
		4—सुखटौली
		5—पंचहा
		6—मेड़ा चक
		7—आराजी हैरडांड़ बु०
		8—आराजी हरेंडांड़ खुर्द
		9—पल्टूपुर
		10—सरसड़ काश्त पाठक
		11—चक खभगहा
		12—जमीन कैथी

परिशिष्ट (ख)

क्रमांक	च० अ० क्षेत्र	नाम ग्राम जिनमें हरिजन आबादी नहीं छोड़ी गयी	आबादी न छोड़ने का कारण
1	2	3	4
1.	कौड़ीराम ..	1—अन्दीपुर ..	गैरआबाद
	..	2—चांदा ..	,,
		3—डूमर डाँड	,,
		4—सियारी गयना	,,
		5—ढोली	,,
		6—महुआपार	,,
		7—सोनवर्सा	,,
2.	पकड़ी दूबे ..	1—धम्मकापुर	गैरआबाद है
3.	बांसगांव ..	1—अदबा उर्फ क्यारपोखर	गांव में हरिजन आबादी नहीं है
		2—किलहिरा बारी	,,
		3—इन्नाडीह	,,
		4—खरकर	,,
		5—भिटखोरी	,,
		6—रतनपुर राजा	,,
		7—अराजी महुआपार	,,
		8—चारभारी	
		9—सुखनिया	गैरआबाद है
		10—चकभगवान	
		11—डोहरिया	,,
		12—गुलहरा	,,
		13—कौल	,,

नत्थी "ढ"

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1104 पर]

अनुदान के रूप में जो दिया गया

		रु०
1—श्री कामतां प्रसाद नि० कोना	.. .. ..	100
2—श्री किशोर ,,	.. .. ..	200
3—श्री काशी प्रसाद ,,	.. .. ..	200
4—श्री राम खेलावन निवासी समहन	.. .. ..	100
5—श्री रामसुमेर ,,	.. .. ..	100
6—श्री केवला नि० सिरसा	.. .. ..	100
7—श्री राम प्रताप नि० उपरोडा	.. .. ..	200
8—श्री राम अधार नि0 समहन	.. .. ..	100
9—श्री मु० मुकरो नि० सिंहपुर कलां	.. .. ..	100
10—श्री रामसजीवन नि0 ,,	.. .. ..	100
11—श्री राम लाल नि0 भमौरा	.. .. ..	100
12—श्री मुरली नि0 ,,	.. .. .	100
योग	..	1,500

ऋण जो दिया गया

1—श्री विजय बहादुर सिंह	नि० पौसिया जवनिया		..	250
2—श्री शिअचल गिर	,,	,, ..	..	250
3—श्री नर्बदागिर	,,	,, ..	..	200
4—श्री जयचन्द्र गिर	,,	,,	..	200
5—श्री अब्दुल	,,	,, ..	..	200
6—श्री हबीबउल्ला	,,	,, ..	..	200
7—श्री रामसरूप	,,	,, ..	..	150
8—श्री देवसरन	,,	,,	..	150
9—श्री चुन्नू	,,	,,	..	200
10—श्री फुलवन्ती	,,	,,	..	200
11—श्री दुखी नि0 डेलोहा			..	200
12—श्री गायत्री प्रसाद नि0 उपरौडा	..	..	..	1,000
13—श्रीमती जमुनादेवी नि0 चौकठाल च्छन		..	..	250
14—श्री समाजीत	,,		..	150
15—श्री ब्रह्मदेव नि0 अकबरशाहपुर		..	..	200
16—श्री मंगरू	,,	..	..	150
17—श्री अछैबरलाल नि0 गौशोराकलां		..	..	200
18—श्री बृजनाथ सिंह नि0 बमहवा		..	..	200
19—श्री लक्ष्मीशंकर अकबर शाहपुर		..	..	150
20—श्री भरोस नि0 अकबरशाहपुर		..	..	200
21—श्री संगमलाल नि0 गौरीशंकर		..	..	200
22—श्री रामदास नि0 बकचूंदा		..	..	500
		योग	..	5,400

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1105 पर।)

मेरठ जिले में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत की गई धनराशियां।

जातियां	वर्ष 1970–71	वर्ष 1971–72
	रु0	रु0
1—अनुसूचित जातियां	14,59,914	18,08,470
2—अन्य पिछड़ी जातियां	62,271	63,116

नत्थो 'त

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1106 पर।)

आवंटित धनराशियों का विवरण तहसीलवार निम्न प्रकार है :—

तहसील	अहेतुक सहायता	गृह निर्माण सहायता	बैलों की तकावी (आपदा तकावी के अन्तर्गत)	भवन निर्माण ऋण
	रु0	रु0	रु0	रु0
महराज गंज	1,28,000.00	2,45,750.00	7,05,000.00	1,60,000.00
फरेंदा ..	2,31,000.00	3,82,775.00	6,20,000.00	1,70,000.00
बांसगांव	3,59,000.00	5,62,925.00	7,90,000.00	2,40,000.00
सदर ..	3,30,388.60	4,11,550.00	9,25,000.00	6,40,000.00
योग ..	10,48,388.60	16,03,000.00	30,40,000.00	12,10,000.00

उपर्युक्त में से भवन निर्माण ऋण के अतिरिक्त अन्य धनराशियों का पूरा पूरा वितरण हो गया। भवन निर्माण ऋण के 12,10,000.00 रुपये में से 10,60,000.00 का वितरण हो पाया। शेष 1,50,000.00 रुपया शासन को प्रत्यार्पित कर दिया गया।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 149 एल0 ए0—1973—8351